Thursday, 01 September, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
On 29-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शाक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २६९६—९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८—९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०—६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४—३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

पृष्ठ

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९
तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१
आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४
उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४
विधेयक—पुरस्थापित २८३४
(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४
विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७
खण्ड २ से ६ और १ . . . . . १८३७–३८
पारित करने का प्रस्ताव २८३८
बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२
विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२
खण्ड १ से ३ . . २८४२
पारित करने का प्रस्ताव २८४२
भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५
खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८
संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८
औषधि (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१
पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७
दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९—२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . . २९०४—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९५२—५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५—८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २९८८—९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५—३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७—२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२—७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७—७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९—८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९—३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५—१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९—२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७—५१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८	३१५१–६१
अतारांकित प्रश्न संख्या १९५० से १९५६ और १९५८ से २०३९	३१६१–३२०३
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	३२०३
राज्य सभा से सन्देश	३२०३
प्राक्कलन समिति	
कार्यवाही सारांश . . .	३२०३
स्कूटरों के बारे में वक्तव्य	३२०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति	३२०४–०६
आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३२०६–३१
कार्य मंत्रणा समिति	
पचपनवां प्रतिवेदन . . .	३२३५
दैनिक संक्षेपिका . .	३२३२–३७
अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १९६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)	
राज्य सभा से सन्देश . .	३२३९–४०
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	३२४०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।	
पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति	३२४०–४२
सभा का कार्य . .	३२४३
बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित .	३२४४
कार्य मंत्रणा समिति	
पचपनवां प्रतिवेदन . .	३२४४
आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२४४–७९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन	३२८०
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—	
अस्वीकृत	३२८०–९०
नौवहन सभा के बार में संकल्प	
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२९१–९२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३४१५–१९

सभा का कार्य ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५२१,३५२२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३५२१–२२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में भूकम्प	३५२२–२३
विधेयक—पुरस्थापित	३५२३–२४
१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० .	३५२३–२४
२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . .	३५२४
औषधि (संशोधन) विधेयक . . .	३५२४–३०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२४,३५२५–२९
खण्ड २ से ११ तथा १ . . .	३५२९–३०
पारित करने का प्रस्ताव .	३५३०
सभा का कार्य . . .	३५२४
सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	३५३०–३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३०–३१
खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ .	३५३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३१
बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	३५३२–५३
विचार करने का प्रस्ताव	३५३२–४९
खण्ड २ से १० तथा १	३५४९–५२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५५२–५३
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	३५५३–५६
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५५३–५६
दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३५५७–६३
तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां . .	३५६३
दैनिक संक्षेपिका	३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक)	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० .	३५७३–९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . .	३५९९–३६१२
अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ	३६१२–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३६६४–६६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३६६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सतरवां प्रतिवेदन . . .	३६६६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी	३६६७
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३६६७–७७
उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . .	३६७७–३७१२
नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	३७१२–१३
दैनिक संक्षेपिका . .	३७२१–२८
अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३७२९
दैनिक संक्षेपिका .	३७३०
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख .	३७३१–५४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३७५४–५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८	३७५७–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ .	३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छतर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

	पृष्ठ
प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—	
श्री मोरारजी देसाई	३९०३
सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	३९०३—०४
रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—	
डा० प० सुब्बरायन	३९०४—०६
प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य	३९०७
विधेयक—पुरस्थापित	३९०७
(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६०	३९०७
(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६०	३९०७
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	३९०८—४५
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३९०८—३६
खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १	३९३६—४४
पारित करने का प्रस्ताव	३९४५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तरवां प्रतिवेदन	३९४५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित	३९४६—४७
१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का)	३९४६
२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का]	३९४६
३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का]	३९४६
४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का]	३९४७
बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	३९४७—५१
भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	३९५१—५३
दैनिक संक्षेपिका	३९५४—६९
ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप	३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

गुरुवार, १ सितम्बर १९६०

१० भाद्र, १८८२ (शाक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ठगों के दल

+

†*६६४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने ठगों के एक ऐसे दल का पता लगाया है जिसने अफ्रीका और मलाया के हजारों लोगों को उपहार-पार्सल भेजने का वचन देकर ठगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन् लोगों में से किसी को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) वे लोगों को अन्य किन तरीकों से ठगते हैं और उनका व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) पुलिस ने ऐसे किसी दल का पता नहीं लगाया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस बारे में सरकारों को विदेशों से, विशेषत: अफ्रीका और मलाया से कोई शिकायत मिली हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** पुलिस को जादुई अंगूठियों, तावीजों आदि के बारे में कुछ मिथ्या साथों द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। मैं समझता हूं कि बाज दफ़ा इस बारे में पत्र भजे जाते हैं कि उपहार योजना में किसी व्यक्ति को उपहार आवंटित किया गया है और प्रेषिती को कुछ रुपया भेजने को कहा जाता है ताकि उसको उपहार भेजा जा सके । परन्तु फिर वापस कुछ नहीं भेजा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1082 (Ai) LS.—1

श्री आसर : क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों से भी ऐसी शिकायतें मिली हैं ? सरकार का इस बारे में क्या पग उठाने का प्रस्ताव है ?

श्री गो० ब० पन्त: मैं नहीं जानता कि क्या सरकार कोई नया नियम बनायेगी । अन्यथा पुलिस को सतर्क रहना पड़ता है और उन्होंने कुछ मामले न्यायालयों में भेजे हैं और कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं ।

इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

+

†*९६५. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित **प्रश्न** संख्या ५११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन और विकास के लिये नियुक्त की गयी विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां तो रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख) यह आशा की जाती है कि समिति चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हिन्दुस्तान में बनारस का इंजीनियरिंग कालेज जो है, वह सबसे प्राचीन है, सब से अच्छा और सब से उत्तम कालेज है । मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडी को क्या वहां पर आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य ने एक संस्था को प्रमाण-पत्र दिया है । निश्चय ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विभाजन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी मेरे साथी, श्री रघुनाथ सिंह ने बनारस इंजीनियरिंग कालेज का उल्लेख किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उस इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल को हाल ही में किस आरोप में हटाया गया है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । फिर यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उनको ख्वामखाह हटाया जा रहा है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक प्रश्न में किसी दूसरे प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता । श्री विट्ठल राव ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त० ब० विट्ठल राव : समिति के सदस्य कौन कौन हैं और यह समिति कब नियुक्त की गयी थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसमें दस सदस्य हैं । क्या मैं सभी दसों सदस्यों के नाम बताऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह आवश्यक नहीं है । इसका क्या तात्पर्य है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह १८ नवम्बर, १९५९ को नियुक्त की गयी थी ।

†**एक माननीय सदस्य** : समिति का प्रधान कौन है ?

श्री हुमायून् कबिर : इसके प्रधान प्रोफेसर ठक्कर हैं ।

पुर्नवित्त निगम

+

†*९९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर : }

क्या वित्त मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुर्नवित्त निगम की गतिविधियों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: यह तै किया गया है कि कुछ चुने हुये अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निगम के अंशधारी (शेयरहोल्डर) बने बिना पुर्नवित्तीय सुविधायें दी जायें, निगम को यह अधिकार दिया जाये कि यह पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुये किसी विशेष उद्योग के बारे में सहायता के लिये पात्रता निश्चित करे और पुर्नवित्त के लिये पात्र ऋणों की अधिकतम अवधि ७ वर्ष से बढ़ाकर १० वर्ष कर दे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या ब्याज दर में भी कोई कमी करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ऋण के ब्याज की दर की सीमा निगम निश्चित करेगा । वर्तमान ब्याज की दर की सीमा को हटा दिया गया है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यद्यपि इस पुर्नवित्त निगम की स्थापना हुये दो वर्ष हो चुके हैं, तथापि इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है । इन निगम की प्रगति में क्या रुकावट है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निगम को जो कठिनाइयां हुईं, उनके बारे में वाशिंगटन के राष्ट्रीय सहकार प्रशासन के साथ विचार किया गया । ये कठिनाइयां उनको बतायी गयीं । उनके सुझाव को देखते हुये इन्हें दूर किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : पुर्नवित्त निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जुलाई, १९६० के अन्त तक कुल धनराशि ४·२६ करोड़ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यादव नारायण जाधव : इस पुनर्वित्त निगम से कौन से उद्योग लाभ उठा सकते हैं ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऋण लेने वालों की पात्रता के बारे में निगम द्वारा स्वयं निर्णय किया जायेगा ।

दिल्ली के शहरी क्षेत्र में पंचायतें

+

†*९९७. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली के शहरी क्षेत्र में पंचायतें बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) तथा (ख) दिल्ली के शहरी क्षेत्र में पंचायतें बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क समिति ने कुछ सुझाव भेजे हैं । वे सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि दिल्ली की जन सम्पर्क समिति ने क्या कोई सुझाव भी दिया है कि ये पंचायतें किस तरह की होंगी और इन पंचायतों और जो देहातों में पंचायतें हैं, उनमें और इन में क्या अन्तर होगा ?

श्री गो० ब० पन्त : देहातों की पंचायतें तो कानून के मुताबिक चुन कर बनाई जाती हैं । इन पंचायतों के बारे में तजवीज़ हैं कि पब्लिक रिलेशंस कमेटी की एक तरह से शाखायें हों और ये पब्लिक रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन के ज़रिये कायम की जायें । ये तो एक एग्जेक्टिव तरीके पर होंगी और कोई स्टेचुटरी इनका आधार नहीं होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जन-सम्पर्क समिति ने इन पंचायतों के लिए क्या काम बतायें हैं जो ये करेंगी ?

श्री गो० ब० पन्त : एक तो जन-सम्पर्क समिति की मदद करना । जो कोई काम जन-सम्पर्क समिति कहे करने हैं, उनको पूरा करने में मदद देना । दूसरे जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ सम्पर्क रखना कऔर जो ऐसी दिक्कतें हों, जोकि सरकार से या और मामलों से ताल्लुक रखतीं हों, उनको हल करने की कोशिश करना । आपसी झगड़ों को निपटाना । जहां पर कोई झगड़े फसाद ज्यादा हों तो उनको दूर करने में भी ला एंड आर्डर के मामले में मदद देना और जो बुराइयां हैं समाज में, जैसे दो दो तीन तीन शादियां कर लेने की या बूढ़ों और जवान लड़कियों की शादिया कर देने की, उनको रोकना । जो अछूतपन है, उसको दूर करने में मदद देना, और सब के बीच में, चाहे कोई लोग हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, भलमन्साहत कायम रखना और सरकार की तरफ से जो काम हो रहे हैं, उन की नीति और उन के कारणों को भी बतलाना ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ब्रजराज सिंह : अभी गृह मंत्री महोदय ने बतलाया कि इन पंचायतों का कोई कानूनी आधार नहीं होगा । जब उन का कोई कानूनी आधार नहीं होगा तो किस प्रकार उन का गठन होगा, चुनाव से होगा या वैसे ही नामजदगी से और उन को चलाने के लिये धन की व्यवस्था होगी तो कैसे होगी ?

श्री गो० ब० पन्त : यह मैंने पहले ही कहा था कि वे चुनाव के आधार पर नहीं होंगी और जाब्ते से यह नामजदगियां चीफ कमिश्नर के जरिये होंगी । यह पंचायतें कैसे काम करेंगी, किस तरीके से उन से मदद ली जायेगी, यह सब देखने की बात है । अगर कानून के चक्करों से उतना फायदा नहीं होता, जितना कि लोगों के स्वेच्छा से मदद देने से ।

श्री यादव नारायण जाधव : क्या मैं जान सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी आबादी के लिये एक पंचायत दी जायेगी ?

श्री गो० ब० पन्त : एक पुलिस स्टेशन के एरिया में एक पंचायत बनाने का विचार है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान अभी तक यह आम धारणा रही है कि पंचायतें केवल गांवों में ही हो सकती हैं, तो अगर यह नई तरह की पंचायतें हों रही हैं तो शहरी क्षेत्र में उन का नाम पंचायतें रखने की क्या जरूरत है ? क्या उन का कोई दूसरा नाम नहीं रक्खा जा सकता ?

श्री गो० ब० पन्त : अगर किसी दूसरे नाम का सुझाव आप दे सकें, तो सोचा जायेगा ।

हिन्दी आयोग

+

*९९८. { **श्री नरदेव स्नातक :**
श्री राम शरण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी में वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक (टेक्निकल) शब्दों को तय करने के लिये एक हिन्दी आयोग बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब बनेगा ; और

(ग) आयोग अपना कार्य कब तक समाप्त करेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अयोग के शीघ्र ही स्थापित किये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री नरदेव स्नातक : हिन्दी के वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिये क्या पंडित सुन्दर लाल जी को भी यह काम सौंपा गया था ? यदि उन को सौंपा गया था तो उन्होंने कितना किया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित है नहीं ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार केवल हिन्दी की ही शब्दावली बनाने का यत्न करेगी याकि सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये एक सामान्य शब्दावली बनाने के सम्बन्ध में विचार करने का यत्न करेगी ताकि सम्पूर्ण देश में वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों में अधिक समानता लायी जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस सम्बन्ध में आयोग राष्ट्रपति के आदेश और सरकारी भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के सामान्य निदेशों का पालन करेगा। राष्ट्रपति के आदेश में यह कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय को निदेश दिया गया है कि वह अभी तक किये गये कार्य का पुनरीक्षण करे और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार शब्दावली तैयार करे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न्यूनतम परिवर्तनों को साथ अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को अपनाना चाहिये । अर्थात मूल शब्द वही होने चाहियें जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग में आते हैं परन्तु उसकी व्युत्पत्ति भारतीय दृष्टि से की जाये। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी सुझाव रखेंगे, वे सुझाव उस आयोग के सामने रख दिये जायेंगे ।

श्री त्यागी : क्या इस कमिशन को इस किस्म की हिदायत दी जायेगी कि जो शब्द प्रचलित हो गये हैं अंग्रेजो के या दूसरे भाषाओं के, उन का तर्जुमा करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे टेम्परेचर है, थरमामीटर, है, स्टेशन, लालटेन, अर्दली वगैरह । इस के अतिरिक्त कुछ और भी हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह कमिशन प्रेजिडेंट के आर्डर के मुताबिक काम करेगा और इस के बारे में जो सुझाव मेम्बर साहबान देंगे वे कमिशन के सामने रक्खे जायेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक हाई पावर कमिशन होगा जिस से प्रेजिडेंट के आर्डर के मुताबिक काम करने की स्वतंत्रता होगी।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** वैज्ञानिक शब्दावली बनाने के लिये जो यह कमीशन नियुक्त किया जा रहा है, उस के पूर्व भी तो इस का काम चलता रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह काम किन किन को दिया गया और किस किस योग्यता के अनुसार दिया गया। इस का विवरण कृपा कर के बता दिया जाय ।

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तक जितना काम हुआ है वह मिनिस्ट्री में ही हुआ है। आप को मालूम होगा कि बोर्ड आफ साइंटिफिक ऐंड टेकनिकल टर्मिनालोजी के नाम से एक बोर्ड था, और उस बोर्ड के मातहत यह काम होता रहा । अभी हाल में हिन्दी डाइरेक्टोरेट भी स्थापित हुई। इस तरह से अधिकतर काम जो साइंटिफिक टर्मिनालोजी का हुआ वह मिनिस्ट्री में ही इस बोर्ड के अधीन हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे :** क्या अन्य भाषाओं में भी वैज्ञानिक शब्द बनाने के लिये कोई आयोग या समितियां नियुक्त की जायेंगी ताकि समानता लायी जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह शब्दावली यथासंभव सभी भाषाओं को स्वीकार्य हो सकेगी ।

श्री नरदेव स्नातक : अभी माननीय मंत्री जी ने श्री म० ला० द्विवेदी के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि मंत्रालय ने भी कुछ काम किया है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितना काम हुआ है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस की सूची तो मेरे पास नहीं है । मगर समय समय पर पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट्स आती रहती हैं इस के मुताल्लिक यदि आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका विस्तृत रूप से उत्तर दे दूंगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि आयोग शीघ्र बनेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि "शीघ्र" शब्द की व्याख्या से उन का क्या अभिप्राय है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : एक हफ्ते में ।

श्री भक्त दर्शन : अब तक इस सम्बन्ध में सब से बड़ी अड़चन यह रही है कि बोर्ड आफ टेकनिकल टर्मिनालोजी द्वारा जो शब्दावली बनाई जाती थी, भले ही वे एक स्पेशल बोर्ड द्वारा बनाई गई हो, लेकिन वह स्वीकृति के लिये मंत्रिमंडल के पास जाती थी, और उस में बड़ी देरी होती थी । तो क्या इस कमिशन को अंतिम अधिकार दिया जायेगा कि वह इस बारे में निर्णय कर सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस कमिशन को अन्तिम अधिकार होगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि पहले जो भी काम हुआ है उस के पुर्ननिरीक्षण के लिये और पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिये यह कमिशन बनेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले जो काम हुआ, वह क्या विभाग के अलावा किन्हीं संस्थाओं के द्वारा कराया गया और क्या उन संस्थाओं में हिन्दुस्तानी अकेडेमी, इलाहाबाद भी थी ? और उसे कितना रुपया मंत्रालय की तरफ से दिया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक साइंटिफिक टर्म्स का ताल्लुक है, जैसा मैंने निवेदन किया कि वहा सारा काम मिनिस्ट्री में ही हुआ बोर्ड आफ साइंटिफिक ऐंड टेकनिकल टर्मिनोलोजी के द्वारा । मेरा खयाल है कि आप का मतलब हिन्दुस्तान कल्चर सोसायटी, इलाहाबाद से है । उन को एक डिक्शनरी का काम सौंपा गया था । मैं याददाश्त से कह रहा हूं कि उन्हें १ लाख रु० दिया गया था ।

श्री ब्रजराज सिंह : ७ लाख नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : १ लाख । यह मेरा अनुमान है ।

†**श्री वारियर :** माननीय मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के बारे में कुछ कहा है । क्या सभी यूरोपीय भाषाओं में एक समान ही शब्द हैं यदि उनका संकेत केवल अंग्रेजी शब्दावली से ही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जहां तक मुझे ज्ञात हुआ, है अधिकांश भाषाओं में वैज्ञानिक शब्द अलग अलग लगभग एक समान हैं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी का क्या अनुमान है कि कितने वर्षों में यह कमिशन अपने कार्य को समाप्त कर सकेगा, क्योंकि इस में बहुत देरी पहले ही हो चुकी है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं तो चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, इस काम को खत्म किया जाय, और हमारी यही कोशिश होगी। यही कमिशन की भी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके, इस काम को समाप्त किया जाय । लेकिन यह काम ऐसा है जिस में कुछ अवधि लग सकती है । इस में बहुत जल्दी नहीं की जा सकती ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब कमिशन इस काम को हाथ में लेगा, तो क्या मंत्रालय ने जो काम किया था उस का भी फिर से पुनर्निरीक्षण करेगा और क्या मंत्रालय के काम को आप ने उचित नहीं समझा और चूंकि वह ठीक नहीं हो रहा था इसलिये कमिशन मुकर्रर किया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह बात नहीं है । आप को स्मरण होगा कि लैंग्वेज कमिशन ही की इस तरह की सिफारिश थी कि जितना काम हुआ है उस को एक बार फिर से दोहरा लिया जाय, इस दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है । इस का मतलब यह नहीं है कि जो काम मिनिस्ट्री में हुआ है वह निरर्थक हुआ । वह काम मेरे खयाल से बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यह एक हाई पावर कमिशन होगा, उस में साइंटिस्ट्स और टेकनोलोजिस्ट्स होंगे, इसलिये मौका दिया जाय कि वे इस को दोहरा लें, ताकि फिर उस में रद्दो बदल न हो ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : बदलती हुई दुनिया के साथ प्रतिवर्ष नये वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्द बनते जाते हैं । क्या यह आयोग स्थायी होगा जो कि इस वर्ष तथा अगले वर्ष बनने वाले नये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शब्दों को भी ध्यान में रखेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कहना बड़ा कठिन होगा कि यह आयोग कितने समय तक रहेगा। वैसे यह एक स्थायी आयोग है । परन्तु यह कहना कठिन है कि यह कुल कितने समय तक रहेगा ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो संस्थायें यह काम कर रही हैं वे अपना काम करती रहेंगी, या यह तमाम काम इसी कमीशन के सिपुर्द कर दिया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो संस्थाएं काम कर रही हैं वे तो अपना काम करती रहेंगी। उस से कमीशन को कोई मतलब नहीं है । कमीशन को तो अपना काम करना पड़ेगा।

श्री नरदेव स्नातक : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हिन्दी डिक्शनरी के लिए एक लाख रुपया दिया गया है । उस में कितना काम हुआ है और उसको बीच में क्यों छोड़ दिया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो एक अलग प्रश्न है। इसका कमीशन से क्या सम्बन्ध है । अगर आप अलग प्रश्न पूछें तो उसका जबाब दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह जिम्मेदारी कमीशन को दी गयी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आप यह पूछ रहे हैं कि हिन्दुस्तानी कल्चुरल सोसाइटी को जो काम दिया गया था उसको उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया । मैं ने कहा कि अगर इस के लिए अलग सवाल पूछा जाए तो मैं जबाब दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदयः** मैं ने यह समझा था कि यह पूछा गया है कि क्या शब्द कोष तैयार करने का कार्य भी इसी आयोग को सौंपा जायेगा ताकि यह कार्य भी आयोग की देख रेख में किया किया जा सके । शब्दकोष में शब्दावली भी सम्मिलित हो जाती है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आयोग के अन्य कार्यों के साथ साथ ये कार्य भी हैं :—

(१) राष्ट्रपति के आदेश के पैरा ३ में निर्धारित सिद्धान्तों के प्रकाश में वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली के क्षेत्र में अभी तक किये गये कार्य का पुर्नविलोकन करना ;

(२) हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिकीय शब्दावली के समन्वय करने और निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्तों का निर्धारण करना ।

(३) राज्य सरकारों के परामर्श से अथवा उन के कहने पर वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय शब्दावली के क्षेत्र में राज्यों की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्य में समन्वय उत्पन्न करना और सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा उसको प्रस्तुत की गयी हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की शब्दावलियों को स्वीकृति देना ;

(घ) बनाये गये अथवा स्वीकृत शब्दों के आधार पर प्रामाणिक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकों की रचना करना; वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्द कोष तैयार करना और विदेशी भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना ।

विदेशी बैंकों में भारतीय खाते

***९६९. श्री प्रकशवीर शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्य देशों में बैंकों में अपने खाते खोल रखे हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि अब भी पर्याप्त धन अप्रत्यक्ष रूप में विदेशों को भेजा जाता है ; और

(ग) क्या रुपया जमा कराने वाले ये लोग सरकार को विदेशी बैंकों में अपनी जमा राशि तथा अन्य धन का ब्यौरा बताते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य, विदेशों के बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा विदेशी मुद्रा में जमा की गयी रकमों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं । मौजूदा नियमों के अनुसार भारतीय राष्ट्रजनों के लिये, विदेशों में खाता खोलने या उसे चालू रखने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक की इजाजत लेनी जरूरी है । लेकिन ऐसी किसी भी रकम के लिए छूट दे दी गई है जो ८ जुलाई, १९४७ को पौण्ड स्टर्लिंग के रूप में किसी खाते में जमा

---

†मूल अंग्रेजी में

हो और वह खाता उस तारीख से पहले मौजूद हो। रिजर्व बैंक से पहले से इजाज़त लिए बगैर ऐसे खाते में नई रकमें जमा नहीं करायी जा सकतीं। न रिजर्व बैंक और न सरकार के पास ऐसा कोई साधन है जिससे विदेशी बैंकों में बिना इजाज़त लिए जमा की गयी रकमों की जांच-पड़ताल की जा सके, क्योंकि वे बैंक ऐसी रकमों के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय, यानी डाइरेक्टरेट आफ़ एनफोर्समेण्ट, बिना इजाज़त के लेन देन और बिना इजाज़त के खाता चालू रखने पर कड़ी नज़र रखता है और जो लोग हमारे विदेशी मुद्रा (विनिमय) नियमों को तोड़ते हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करता है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि कम्युनिस्ट नेता श्री डांगे के घर से कुछ ऐसे कागजात बरामद हुए हैं जिनसे पता चलता है कि नेशनल बैंक, ग्रिंडले, लन्दन, में उनका ३५०१६ पाउण्ड जमा है और उसमें आखिरी रकम फरवरी १९६० में जमा की गयी थी?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का उत्तर तो इससे पहले वित्त मंत्री इस सदन में दे चुके हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अखिल भारतीय शान्ति परिषद्, इंडिया सोवियत कलचुरल सोसाइटी, हिन्द चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन और अखिल भारतीय प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ऐसे जो कम्युनिस्ट प्रेरित संगठन हैं, उनके भी खाते बैंकों में हैं?

अध्यक्ष महोदय : फारिन बैंकों में।

श्री ब० रा० भगत : अगर उनका रुपया गलत ढंग से जमा होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मगर अभी तक हमको उसका कोई पता नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी आपने बताया कि डांगे जी के सम्बन्ध में पहले उत्तर दिया जा चुका है। इससे पहले यह कहा गया था कि डांगे जी के केस के सम्बन्ध में एन्क्वायरी हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि उस एन्क्वायरी का क्या परिणाम हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हुई है?

श्री ब० रा० भगत : अब डाइरेक्टर आफ़ एनफोर्समेण्ट ने उन पर उचित कार्रवाई की है और एन्क्वायरी से भी बढ़ कर अब मामला एडजूडीकेशन में पहुंच गया है।

श्री अंसार हरवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक भारतीय राजे महाराजे तथा कुछ बड़े बड़े व्यापारी जो प्रायः विदेश जाते हैं, यहां से अपने साथ पर्याप्त धन ले जाते हैं और उन बैंकों में जमा करा देते हैं? उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक ८ जुलाई, १९४७ से पहले रुपया जमा कराने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है उन्हें इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे उन खातों को रख सकते हैं, परन्तु रिजर्व बैंक की अनुमति से ही उन खातों में रुपया जमा कराया जा सकता है या रुपया निकलवाया जा सकता है। विदेश जाने पर वे उन खातों से रुपया खर्च कर सकते हैं परन्तु इसके लिए भी रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ेगी।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डाइरेक्टरेट) इस प्रकार के मामलों पर नजर रखता है, परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि विदेशी बैंक बिना इजाज़त जमा की गयी रकमों के बारे में सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो यह निदेशालय कैसे जान सकता है कि किसी विदेशी बैंक में किसी की कितनी राशि जमा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : वह अपने साधनों से पता लगाता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या २५ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना के बाद कुछ व्यक्तियों ने अपने खाते घोषित कर दिये थे ; और यदि हां तो कितने व्यक्तियों ने ?

†श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री कमल सिंह : क्या विदेशों में धन जमा कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है या कम हो रही है ? यदि यह बढ़ती जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : हम यह कैसे कह सकते हैं क्योंकि वे गुप्त रूप से या गैर-कानूनी तौर पर धन भेजते हैं । यदि कुछ मामलों का पता चलता है तो वे पकड़े जाते हैं । प्रवर्तन निदेशालय औसतन प्रति मास लगभग १०० मामले पकड़ता रहा है ।

श्री अ० मु० तारिक : बहुत से राजे महाराजों के मरने के बाद उनकी बसीयत के जरिए यह मालूम होता है कि वह काफी दौलत गैर-मुल्की बैंकों में छोड़ गए हैं । अभी नवाब साहब भोपाल के मरने के बाद मालूम हुआ कि फारिन बैंकों में उनकी काफी दौलत जमा थी । मैं वजीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट को इसकी इत्तला उनके मरने से पहले थी, और क्या राजे महाराजों के बारे में भी गवर्नमेंट को इस तरह की इत्तला है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : उनका सब कुछ मालूम था ।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ मालूम था ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय प्रधान मंत्री ने गत विदेशी दौरे के दौरान यह कहा था कि भारतीय राजे महाराजे तथा कुछ अन्य व्यक्ति विदेशों में व्यर्थ में बहुत अधिक धन खर्च करते हैं । क्या उस खर्च के बारे में रिजर्व बैंक से अनुमति ली जाती है ?

†श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया है, रिजर्व बैंक की अनुमति से ही उन खातों में रुपया जमा या वहां से रुपया निकाला जा सकता है ।

†श्री जोकीम आल ा : क्या आयकर के हिसाब में यह भी लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति का विदेशों में हिसाब था या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी ?

†श्री मोरारजी देसाई : यह तो केवल एक सुझाव है ।

श्री ि श्वनाथ रेड्डी : विदेशी बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों के खातों की शेष राशि के सम्बन्ध में कैसे जाना जा सकता है ? क्य। सरकार उन व्यक्तियों के प्रति नरम रुख रखने के सम्बन्ध में विचार करेगी जिन्होंने इस समय अपने विदेशी खातों के सम्बन्ध में स्वयं घोषणा कर दी है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने २५ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना के बाद कुछ समय दिया था । उस अवधि में जिस भी व्यक्ति ने घोषणा कर दी थी, उसके साथ नरम व्यवहार किया गया । उसके बाद नरम व्यवहार का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†श्री सुगन्धि : क्या यह सच है कि श्री डांगे का एक और खाता चैकोस्लोवाकिया के किसी बैंक में भी है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० रा० भगत** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

+

†*९७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री आसर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा देने की सिफारिश पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सिफारिश के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) सरकार सिद्धान्ततः इस सुझाव से सहमत है और इसकी सिफारिश राज्य सरकारों को कर दी है, क्योंकि वे ही इसे कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार हैं। सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें अपनी अपनी वित्तीय अवस्था को देखते हुए इस मामले की ओर उचित ध्यान देंगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना की कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता तो नहीं दी गई है, परन्तु राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में बड़ा उत्साह दिखाया है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : कितनी राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सब राज्य सरकारों की अलग अलग स्थिति है, उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में सभी बच्चों के लिये आठवीं कक्षा तक के लिये शिक्षा निःशुल्क है और राज्य सरकार के नान-गज़टेड कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में ९वीं से १२वीं कक्षा तक आधी फीस माफ कर दी जाती है। आसाम ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे सभा-पटल पर एक विवरण रख दें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, सभा-पटल पर विवरण रखना ही अच्छा होगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस तरीके से रेलवे मंत्रालय ने अपने थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सुविधा देने के लिये उनकी संतानों को निःशुल्क शिक्षा और वर्दी आदि देने का प्रबन्ध किया है तो उसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय अपने जो थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिये स्कूलों और कालिजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यही मशविरा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है कि जो अध्यापकों के बच्चे हैं उन सब को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। हमने कहा कि हाई स्कूल तक कोई फीस न ली जाय और बाकी आगे की जो यूनिवरसिटी की तालीम है कम से कम जो लड़के फर्स्ट क्लास निकलते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाय ।

†**श्री वेंकटा सुब्बय्या** : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नान-गज़टेड पदाधिकारियों तथा स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे स्मरण है, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हमें लिखा है कि उसके पास पर्याप्त वित्त नहीं है। बाकी मुझे यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि क्या इस सरकार ने कोई सहायता मांगी है या नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यदि कोई राज्य सरकार केन्द्र से ऐसी सहायता मांगती है तो क्या उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार सहायता दे देगी क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों ने इसमें बड़ा उत्साह दिखाया है और हम इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि इन पर कुल कितना वित्तीय खर्च आयेगा ? यदि हां, तो अनुमानतः कुल कितना खर्च आयेगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यथा समय वित्तीय खर्च के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जायेगा ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये इस प्रकार की किसी योजना का सुझाव दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भी जारी रखा जायेगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या इन विद्यार्थियों को इस सुविधा के अतिरिक्त छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभ करने वाले योग्य विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखने के सम्बन्ध में एक सुझा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि इसके लिये कितनी राशि उपलब्ध हो सकेगी ।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्रों में इसकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां ; सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को लिख दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी को पता है कि जहां पर फ्री प्राइमरी एजुकेशन है यह तो ठीक है कि वहां पर फीस तो नहीं ली जाती है लेकिन वहां टीचर्स लोग इस तरह का एग्जामिनेशन फीस वसूल करते हैं जो कि फीस से ज्यादा पड़ जाती है और गरीब लड़के दे नहीं पाते हैं तो सरकार क्या इस बारे में सोचेगी कि उन को पूरा फ्री रहे ?

डा० का० ला० श्रीमाली: आप की निगाह में कोई ऐसा उदाहरण आया हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में मशविरा दीजिये ।

लोक सहायक सेना

+

*९७१. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री पांगरकर : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सहायक सेना के पुनर्गठन की योजना स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया):** (क) से (ग). पुनर्गठन योजना का निरीक्षण हो चुका है । आशा है अन्तिम निर्णय बिना विलम्ब के लिये जायेंगे । संशोधित योजना के अन्तर्गत शिविरों की संख्या और सीमास्थित क्षेत्रों के शिविरों में, प्रशिक्षण की अवधि, दोनों को बढ़ाने का विचार है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** समिति ने कैम्पों की अवधि में कितना विस्तार करने का सुझाव दिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** सुझाव यह दिया गया है कि सीमान्त क्षेत्रों में ये कैम्प ३० से ६० दिनों तक लगायें जायें और शेष क्षेत्रों में कैम्पों की अवधि पहले के समान ही रहनी चाहिये ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** लोक सहायता सेना की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सीमान्त क्षेत्रों के कैम्पों में ११ प्रशिक्षण दल होंगे और अन्य क्षेत्रों में १८ दल होंगे । वास्तव में उसमें सीमान्त क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है, कुल सीमान्त क्षेत्रों में ३३ कैम्प और शेष क्षेत्रों में १०८ कैम्प होंगे ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या राष्ट्रीय सेना छात्र दल, लोक सहायक सेना और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कार्यों में दुहरापन नहीं आ जायेगा ? विभिन्न संस्थायें चलाने की बजाय

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या केवल एक ही संस्था चलाना उचित नहीं है ? उसका नाम लोक सहायक सेना ही रखा जा सकता है और स्कूलों, कालेजों तथा नागरिकों के लिये उसके विभिन्न 'विंग' स्थापित किये जा सकते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह तो केवल एक सुझाव दिया जा रहा है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उक्त तीनों संस्थाओं के प्रशिक्षण के ढंग और प्रयोजन अलग अलग हैं। राष्ट्रीय सेवा छात्र दल , लोक सहायक सेना, आदि संसद् के अधिनियम के अधीन बनायी गई हैं।

†**श्री विश्व नाथ रेड्डी :** क्या लोक सहायक सेना में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों के लिये कोई "फ़ौलो-अप प्रोग्राम" भी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** फिलहाल तो नहीं। परन्तु वे सेवा में लिये जा सकते हैं। हमारे वर्तमान संसाधनों को देखते हुए उन व्यक्तियों को हर साल प्रशिक्षण के लिये बुलाना संभव नहीं है। हां, देश के संसाधनों में सुधार होने पर इस सुझाव पर विचार किया जा सकेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या पंजाब के लाहोल और स्पिति स्थानों के लिये लोक सहायक सेना का कोई प्रशिक्षण यूनिट है ; और यदि नहीं, तो क्या वैसा करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के लिये ११ प्रशिक्षण दल होंगे।

†**डा० राम कृष्ण गुप्त :** पंजाब के स्पिति और लाहोल क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? मुझे तो यह ज्ञात हुआ है कि इन क्षेत्रों में ग्राम्य निवासियों की संख्या कम होने के कारण लोक सहायक सेना स्थापित नहीं की जा रही है। क्या वहां पर आबादी कम होने के बावजूद भी लोक सहायक सेना की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई विचार है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जिन स्थानों की मंजूरी हो चुकी है, यदि उनमें से किसी को बदला गया तो वह स्थान रह जायेगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। अगर वहां लोक सहायक सेना की कोई यूनिट स्थापित नहीं भी हुई तो वहां के लोग अन्य निकटतम स्थानों के कैम्पों में जा कर प्रशिक्षण ले सकेंगे। कैम्प केवल स्थानीय लोगों के लिये ही नहीं होते, वे तो उस सम्पूर्ण क्षेत्र के सभी लोगों के लिये हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वहां के लोगों को इस कार्य में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि अन्य स्थानों के कैम्पों में जाने में दस पन्द्रह दिन लग जाते हैं। अतः यदि माननीय मंत्री सीमान्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में सचेत हैं तो उन्हें उन लोगों को लोक सहायक सेना के सम्बन्ध में विशेष सुविधा देनी चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस में 'यदि' का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम राज्य सरकार को . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य एक विशेष जिले के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वह एक बहुत बड़ा जिला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में यह सेना स्थापित की जा रही है। वह जिला भी तो राज्य में सम्मिलित ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : वह ज़िला पंजाब की उत्तरी सीमा में है। उसका क्षेत्रफल ६,००० वर्ग मील है, परन्तु जनसंख्या केवल लगभग ३५,००० है। क्या उस क्षेत्र में भी लोक सहायक सेना स्थापित करने का कोई विचार है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना है कि क्योंकि वह एक बड़ा इलाका है और सीमान्त क्षेत्र में स्थित है, इसलिये, बावजूद इस बात के कि लोग उसके लिये धन की व्यवस्था नहीं कर सकते, वहां पर वह सेना स्थापित की जाये। वास्तव में यह एक सुझाव है और माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखेंगे।

†श्री त्यागी : क्या उन सीमान्त क्षेत्रों में एक सहायक सैनिक बल स्थापित करने का और वहां पर स्थायी रूप से अस्त्र शस्त्र रखने का कोई विचार है ताकि वे सदा सेना के अनुशासन में रहें और देश की रक्षा कर सकें ?

†श्री कृष्ण मेनन : ऐसा तो कोई सुझाव नहीं है ; परन्तु सीमन्त क्षेत्रों में सेना के साथ पुलिस को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। लोक सहायक सेना के इस प्रशिक्षण में सुधार होने और वित्तीय संसाधनों के भीतर, प्रादेशिक सेना का विस्तार होने पर सीमान्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

†सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक साल में इस योजना में कितना खर्च होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : गत एक वर्ष में इस योजना पर कितना खर्च हुआ है ?

†श्री कृष्ण मेनन: गत वर्ष के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लोक सहायक सेना पर आने वाला सम्पूर्ण खर्च प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। कुल वार्षिक खर्च लगभग १.२ करोड़ रुपये है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि कुछ एक राज्य सरकारें इस कार्य में रुचि नहीं ले रही हैं ?

†श्री कृष्ण मेनन : इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

†श्री भक्त दर्शन : उस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि पुनर्गठन के कार्य पर इतना अधिक समय क्यों लगा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : इसके कारण लोक सहायक सेना के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। वह तो निरन्तर चलता ही रहा। यह परिवर्तन तो सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्य को बढ़ाने के लिये ही किया गया है। विलम्ब का कारण यह था कि इस कार्य को निभाने के लिये योग्य पदाधिकारियों के मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यह कार्य नियमित सेना के प्रशिक्षित पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। यह बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों के मिलने में देर लग जाती है।

†श्री बासप्पा : क्या प्रत्येक कैम्प के लिये निर्धारित संख्या पूरी हो जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृष्ण मेनन : पांच वर्षों में लोक सहायक सेना में ३,०००० व्यक्तियों की कमी रही है। कुल लक्ष्य ५,००,००० व्यक्तियों के लिये था, अभी तक ४,७०,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

+

†*९७२. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० गं० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य क्षेत्रीय परिषद् (सेन्ट्रल जोनल काउंसिल) की कब से बैठक नहीं हुई है; और

(ख) इतने समय तक कोई बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक २८ अगस्त, १९६० को हुई थी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि रिहांड विद्युत् वितरण का फैसला करने के लिये मध्य क्षेत्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति करार पूरा करने में असफल रही है ? यदि हां, तो परिषद् ने इस उद्देश्य के लिये कि मध्य प्रदेश को रिहांड विद्युत परियोजना से बिजली का अपना पूरा हिस्सा मिले, और क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : दोनों राज्यों ने मान लिया है कि मूल करार को माना जाये और पालन किया जाये ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : परिषद की बैठक दो वर्षों से नहीं हुई क्योंकि इस बारे में वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। इसकी बैठक अभी हुई है । यह घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार रिहांड विद्युत वितरण के बारे में अपने पूर्व वचनों का पालन करेगी। क्या इसका यह अर्थ है कि उत्तर प्रदेश तथा भूतपूर्व रीवां और विंध्य प्रदेश राज्यों के बीच का प्रारूप करार कार्यान्वित किया जाएगा?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी, हां।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या क्षेत्रीय परिषद ने, जिसकी बैठक २८ अगस्त को हुई है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्र के लिये एक सामान्य रक्षित पुलिस दल के बारे में कोई फैसला किया है और क्या उसने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल घाटी के डाकुओं के आतंक से पीड़ित क्षेत्र को साफ करने के लिये कुछ कार्रवाई भी की है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : दोनों राज्यों के पुलिस जरनैल इस उद्देश्य के लिये एक योजना तैयार करेंगे और बैठक करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की कार्रवाइयां प्रकाशित नहीं होतीं। ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** ये समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं। वे अन्यत्र प्रकाशित होती हैं या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का सभापतित्व करते हैं इसलिये इन प्रश्नों की अनुमति दी जाती है । माननीय सदस्यों को बैठकों की कार्वाइयों की प्रतियां समय समय क्यों नहीं दी जातीं ? मैं चाहता हूं कि ऐसी सूचना जो सदस्यों को और तरीके से दी जा सकती है, उसके लिये सभा का समय खराब नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** कभी कभी सदस्यों को पढ़ने की अपेक्षा सुनना आसान होता है ।

†**श्री रंगा :** इसकी प्रति सभा पटल पर रख दी जाया करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं विस्तृत सूचना देने का कष्ट माननीय मंत्री को नहीं देना चाहता ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं कष्ट की परवाह नहीं करता।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** माननीय मंत्री ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक २८ अगस्त को हुई थी। पिछली बैठक कब हुई थी और इन दोनों बैठकों के बीच कितना समय बीता ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस से पहले बैठक जून, १९५८ में हुई थी ।

विशेष पुनर्गठन यूनिट डिवीजन

†*९७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुनर्गठन यूनिट डिवीजन का इस वर्ष पुनर्गठन किया गया है और उस के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गयी है और क्या उसकी योजना और कार्यक्रम के लिये कोई विशेष हिदायतें दी गयी हैं ;

(ख) पुनर्गठन और कार्यक्रम का क्या स्वरूप है ; और

(ग) १९६० में किन मंत्रालययों और विभागों की जांच की गयी और सहायता की गयी और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के सब मंत्रालयों और महत्वपूर्ण संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य अध्यापन को पूरा करने के लिये १९५९ के अन्त तक विशेष पुनर्गठन इकाई की शक्ति बढ़ा दी गई थी। कर्मचारियों को नियुक्ति से पहले तीन महीनों का प्रशिक्षिण दिया गया था । इकाई के काम की तरीकों का दिसम्बर, १९५६ में पुनर्नवीकरण किया गया था और इकाई की शक्ति बढ़ जाने के पश्चात उनको जारी रखा जा रहा है । यह मानना होगा कि काम के तरीके स्थायी नहीं हो सकते और काम आरम्भ करने के साथ साथ बनते रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६०–६१ के लिये विशेष पुनर्गठन इकाई के कार्य अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित विभागों/संगठनों की सूची तथा आाघ्यतन प्रगति दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच है कि संगठन तथा उपाय विभाग भी इसी अधिकारी के अधीन रखा गया है तो इस इकाई का नियंत्रण कर रहा है ? यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस इकाई तथा ओ० ऐंड एम० डिवीजन के बीच काम का बंटवारा कैसे किया गया है , क्योंकि काम एक ही प्रकार का है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** विशेष पुनर्गठन इकाई का पुनर्नमीकरण १९५६ से किया गया है और यह मंत्रिमण्डल सचिवालय के ओ० ऐंड एम० डिवीजन द्वारा किये गये काम को व्यापक करता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** आधे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** संगठन तथा उपाय पहलू का प्रत्येक मंत्रालय लगातार परीक्षण करता है । यह अपना काम कर रहा है । सब जगह उप विभाग हैं। वित्त मंत्रालय में विशेष पुंनर्गठन इकाई है, और मंत्रिमण्डल सचिवालय में भी यह सामान्य पर्यत्रेक्षण इकाई है । वह भी इसी अधिकारी के अधीन है । परन्तु दोनों इकाइयां काम कर रही हैं और एक दूसरे की ोषक हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं, कोई दोहरा-पन नहीं ।

†**श्री त्यागी :** क्या इस संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, यदि हां, तो कितनी बचत हुई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** उन्हें लागू किया गया है और ५५·९० लाख रुपये की बचत की सम्भावना है तथा कर्मचारीवृन्द पर कमी करने से ९८·५४ लाख रुपये की और बचत होगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस का वार्षिक प्रतिवेदन क्यों प्रकाशित नहीं किया जाता और सभा पटल पर रखा जाता, जैसा कि ओ० ऐंड एम० डिवीजन के बारे में किया जाता है। क्या अब ऐसा किया जाएगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** प्रशिक्षण के विभिन्न मंत्रालयों के कितने अफसरों ने लाभ उठाया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस के अन्तर्गत ४ प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिये उन्नत पाठ्य क्रम, सैक्शन अफसरों के लिय छोटा कोर्स, कार्य-पालिका अधिकारियों में वरिष्ठ प्रबन्ध अधिकारियों के लिये पाठ्य क्रम, और प्रोबेशन वालों के लिये छोटा पाठ्य क्रम । अधिकारियों के कोर्स में १०६ को प्रशिक्षण दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा क्रय मिशन

†*१७४. + **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री हाल्दर :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक क्रय-मिशन २० मई, १९६० को ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के लिये रवाना हुआ; और

(ख) यदि हां, तो मिशन का क्या उद्देश्य है और उसके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** (क) जी, हां।

(ख) शिष्ट मंडल भारतीय विमान बल के लिये अपेक्षित कुछ अधिक परिवहन विमान और फालतू सामान खरीदने तथा भारत भेजने के लिये शीघ्रता से आवश्यक प्रबंध पूरा करने के लिये अमेरिका भेजा गया था। वापिसी पर, शिष्टमण्डल के सदस्य हमारे प्रतिरक्षा संगठन के हित की कुछ बातें जानने के लिये ब्रिटेन में ठहर गये। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्माण करने वाली परियोजनाओं के बारे में उपयोगी चर्चा भी की। बनाये गये या कायम रखे गये सम्बन्धों के अतिरिक्त, इस यात्रा से हमारी कुछ उत्पादन समस्याओं के लिये भी सहायता मिलेगी। अधिक व्यौरा देना लोक हित में नहीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या कुछ माल खरीदा गया था, और यदि हां, तो किस देश से ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अमेरिका के "फेयर चाइल्ड पैकेट" खरीदे गये थे, जो परिवहन विमान हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस मिशन ने हमारे देश में विमान बनाने के लिये किस प्रकार का परामर्श किया और किस के साथ ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमारी विभिन्न उत्पादन परियोजनाएं हैं। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में, रोल्ज रायल इंजन हैं, जिन के क्रमिक विकास के बारे में लगातार बात चीत की जा रही है । और चूंकि यह तुलनात्मक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल अपने रास्ते से ब्रिटेन वापिस आ रहा था ; उन के लिये वहां ठहर कर इन मामलों के बारे में बात चीत करने में कम खर्च होता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में आर्डिनेंस फैक्टरियों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रतिरक्षा स्टोरों का निर्माण काफ़ी बढ़ गया है, क्या निर्माण के मामले में विदेश पर हमारी निर्भरता कम हो गई है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†श्री कृष्ण मेनन : प्रधान अंशों के बारे में निर्भरता कट गई है । स्वभावत: जब निर्माण बढ़ता है, तो विदेश से जो अत्यावश्यक पुर्ज़े मंगवाये जाते हैं, वे दूसरी ओर बढ़ते हैं ।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्या मिशन ने कुछ जैट विमान देखे हैं और विमान खरीदने के बारे में उन देशों से कोई सौदा किया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या ब्रिटेन में कुछ माल खरीदा गया था, और यदि हां, तो क्या क्या माल खरीदा गया था ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि हमारा निर्माण बढ़ रहा है और हम कुछ पुर्ज़े मंगवा रहे हैं, इन पुर्ज़ों को यहां बनाने के लिये क्या कदम उठाया गया है ? क्या इस का कोई कार्य क्रम है ?

†श्री कृष्ण मेनन : हमारे देश में अपने संसाधनों और कुशलता की सीमा में जो कुछ बनाया जा सकता है, वह बनाया जा रहा है और जो कुछ बनाया जा सकता है उसे बाहर से मंगवाया नहीं जाता ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : माननीय मंत्री ने मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ब्रिटेन में माल नहीं खरीदा गया । आप जानते हैं कि हम इस समय सरकार के विभिन्न विभागों में मितव्ययता कर रहे हैं । पर फिर भी यह मंत्रणा मिशन ब्रिटेन गया, हालांकि कोई चीज नहीं खरीदनी थी ।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बता चुके हैं कि अमरीका से लौटते समय, रोल्ज रायस और कुछ दूसरे लोगों के संबंध बढ़ाने के लिये यह मिशन वहां ठहर गया था, क्योंकि उन के साथ सौदे की बात चीत पहले से चल रही थी ।

पुलिस द्वारा गश्त

†*९७६. श्री वी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस की चलती फिरती गश्ती टुकड़ियों की, जो चौबीसों घंटे घूमती फिरती रहती हैं, संख्या में वृद्धि की जायेगी ;

(ख) इसका क्या कारण है ;

(ग) इन गश्ती टुकड़ियों पर आजकल कुल कितना धन व्यय किया जाता है ;

(घ) इन टुकड़ियों में वृद्धि होने के पश्चात् कुल कितना व्यय होगा ; और

(ङ) पुलिस की इन चलती फिरती गश्ती टुकड़ियों को क्या सफलता मिली है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लगभग १,७० ००० रुपये प्रति वर्ष ।

(ङ) इस गश्ती दल के पास इसके आरम्भ से लेकर ७१६८ कालें आईं और इसने शीघ्रता से उनकी ओर ध्यान दिया ।

†श्री दी० चं० शर्मा: क्या सरकार को पता चला है कि इस चलते फिरते पुलिस के गश्ती दल के बनने के पश्चात् शांति और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो वह और क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि सुधार हुआ है । माननीय सदस्य के इस अपने प्रश्न से कि क्या इस दस्ते को बढ़ाया जा रहा है, यह पता चलता है कि वह इसका कुछ उपयोग समझते हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं पिछले महीने या उससे पूर्व अथवा उससे पूर्व के महीने की सांख्यि की के आधार पर पूछना चाहता हूं कि क्या इन दस्तों ने कोई ठोस काम किया है ? क्या सरकार के पास कोई रिपोर्ट है ?

†श्री गो० ब० पन्त: आंकड़े लोगों के कामों के परिणाम हैं, दस्तों के काम के बारे में नहीं । मैं समझता हूं कि कुछ सुधार अवश्य हुआ है । दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और हमें उन परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है जिनमें पुलिस को कार्य करना पड़ता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ३ महीनों में १४ हत्यायें हुई हैं और अपराधों में साधारणतया वृद्धि हुई है । इसे रोकने के लिये इस दस्ते के अतिरिक्त और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं नहीं समझता कि अपराधों में वृद्धि हुई है । पुलिस सतर्क है और कुछ दूसरी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि पुलिस सुपरिंटेंडेंट रात्रि के समय जांच करें कि ये दस्ते कैसे काम कर रहे हैं और थानों में जाकर देखें कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं ।

†श्री साधन गुप्त: दिल्ली में ऐसे दस्ते कितने हैं ? क्या उन सब में वायरलेस होता है जो उन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से मिलाता है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि ऐसा होता है, परन्तु मैं निश्चित उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

गोआ के निकट भारतीय क्षेत्र पर अज्ञात विमान

*९८२. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६० के अन्तिम सप्ताह में गोआ के निकट भारतीय क्षेत्र पर एक अज्ञात विमान उड़ता हुआ देखा गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले भी चार बार ऐसे विमान भारतीय क्षेत्र पर उड़ते हुये देखे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सावधानी के तौर पर क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) जी, नहीं ।

(ख) जनवरी, १९६० के तीसरे सप्ताह से, ऐसे कोई विमान भारतीय क्षेत्रों पर उड़ते नहीं देखे ये ।

(ग) जो भी उपाय संभ हैं, किये जा रहे हैं, और सतर्कता बरती जा रही है । हम ने जो उपाय किये हैं, या करने का विचार रखते हैं, उन्हें बताना लोक हित में नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून के स्टोर्स आफिस में आग लगना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वे आफ इंडिया, देहरादून में आग लगने की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या मुख्य निष्कर्ष हैं ; और

(ग) क्या समिति ने सिफारिश की है कि हिसाब की त्रुटियों को छिपाने के लिये आग लगाई गई थी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]

(ग) समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बिजली के शोर्ट सर्कट के कारण या औटो कम्बशन या अन्य किसी आकस्मिक कारण से आग नहीं लगी । अतः आग लगाये जाने की धारणा है । परन्तु जब तक पुलिस जांच करने के उपरंत अपनी रिपोर्ट नहीं देती, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

†डा० राम सुभग सिंह : पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट कब तक मिलने की आशा है ?

†श्री हुमायून कबिर : मैं समय के बारे में नहीं कह सकता । हमने शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** फोटोग्राफी के सामान और सर्वेक्षण के औजारों का कितना मूल्य है जो इन दो आगों में नष्ट हो गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुख्यतया लिनन बैक्ड कागज, स्टेशनरी का सामान, दफ्तरी फर्नीचर, पेपर प्लेटें, छपाई का कागज जिंक प्लेटें आदि की हानि हुई है और बिजली के सामान तथा इमारत की लागत समेत कुल ५.६७ लाख रुपये की हानि का अनुमान है । इसमें अवक्षयण का हिसाब नहीं लगाया गया ।

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि आज से चार वर्ष पहले, सन् १९५६ में यू० पी० के अकाउटेंट जनरल ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि वहां के स्टोर्स विभाग में बड़ी गड़-बड़ी है ? क्या आप के ख्याल में तब से कोई कार्रवाई की गई थी या रोक थाम की गई ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकरी की जांच करूंगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** कितने कर्मचारी मुअत्तिल किये गये हैं ? क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे लोग भी मुअत्तिल किये गये हैं जो उस विभाग के प्रभारी नहीं थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** विभागीय कार्रवाई की गई थी, और दोनों आगों संबंधी जांच पूरी होने तक आठ कर्मचारी मुअत्तिल किये गये हैं ।

†**श्रीमती इलापाल चौधरी :** विवरण से पता चलता है कि आग बुझाने के वर्तमान प्रबन्ध का कोई लाभ नहीं और रक्षा गार्ड शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हैं— यह समिति का निष्कर्ष है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस दफ्तर में बहुमूल्य दस्तावेज हैं, इसका पहले पता क्यों नहीं लगा, और सरकार को पहले क्यों नहीं बताया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** सरकार को यह पहले से मालूम नहीं । यदि हमें मालूम होता तो आग न लगने दी जाती । इन मामलों का पता चलने के तुरन्त पश्चात् प्रबन्ध को सुधारने की कार्रवाई की जायेगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि दूसरी आग के पश्चात् मिलिट्री गार्ड तैनात किया गया था ? पहली आग के बाद ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पहली बार आग ६ जून को लगी और इसका पक्का निश्चय नहीं था कि यह दुर्घटना वश थी या नहां । परन्तु जब १० जून को फिर आग लगी तो दुर्घटना की संभावना नहीं रही और आवश्यक कार्रवाई की गई ।

†**श्री कमल सिंह :** विवरण में कहा गया है कि स्टोर बे तरीके रखे ये हैं और स्टोर के प्रभारी लोग कागज और दस्तावेज रखने में बड़े प्रवीण नहीं थे । यह इमारत इतनी देर से है और वहां बड़ी देर से संभवत: १९२० से स्टोर रखे जा रहे हैं, यह क्या बात है कि सरकार को अब ही पहली बार पता चला कि वहां कागज इस बे ढंगे तरीके से रखे जाते थे ? उन्हें उचित तरीके से रखने के लिये सामयिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं २० साल पहले की बातों का उत्तर नहीं दे सकता । अब हमें इसका पता लगा, आग लगने के बाद, दो जांच हो चुकी हैं । सर्वेयर जनरल ने विभागीय जांच की और मैंने अपने मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय के आग सलाहकार, देहरादून डिवीजन के ऐग्जै-

†मूल अंग्रेजी में

क्टिव इंजीनियर और भारत के विस्फोट विभाग के मुख्य निरीक्षक की एक विशेष समिति नियुक्त की जो इस सारे प्रश्न की जांच करेगी। इसके अतिरिक्त हमने पूरे मामले पर विचार करने के लिये एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त करने का कदम उठाया है और इसके लिये हमने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन के शास्त्रास्त्र सर्वेक्षण के महानिदेशक की सेवाओं की मांग की है।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या दोनों आगों से पूर्व या पश्चात् हिसाब में कोई त्रुटि पाई गई थी और यदि हां, तो कितनी राशि की ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** महा सर्वेक्षक द्वारा नियुक्त जांच न्यायालय ने यह सिद्ध किया है कि गोदाम में बहुत सा ऐसा कागज पड़ा था जो हिसाब में दर्ज नहीं था, परन्तु चूंकि कागज जल चुका है, उसकी ठीक लागत नहीं बताई जा सकती।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** समिति की सिफारिशों से प्रतीत होता है कि बहुत से रक्षा गार्ड शारीरिक दृष्टि से अक्षम हैं। कितने गार्ड हैं और कितने अक्षम हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। हमने प्रत्येक गार्ड की उचित डाक्टरी परीक्षा करवाने को कहा है। चार कर्मचारी प्रतिरक्षा मंत्रालय के आग बुझाने के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, ८ अगस्त को इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि इन दो अग्निकांडों से ५ लाख ६७ हजार रुपये का नुक्सान हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों का अनुमान है कि नुक्सान इससे कहीं ज्यादा हुआ। कुछ लोगों का अनुमान है कि १ करोड़ का नुक्सान है, जिसमें १९ लाख रु० के तो आप्टिकल इंस्ट्रुमेंटस ही थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई छान बीन की गई है कि वास्तव में कितना नुक्सान इसमें हुआ है।

†**श्री हुमायून् कबिर :** माननीय सदस्य ने एक करोड़ के आंकड़े कहां से प्राप्त किये हैं ? मुझे समिति से ये आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ? मुझे तो यह बताया गया है कि पुस्तक मूल्य के अनुसार ५ ६७ लाख रुपये की हानि हुई है। यथार्थ मूल्य इससे काफी कम होगा क्योंकि बहुत से फोटोग्राफी के कागज और प्लेटें बहुत पुरानी थीं और इस कारण उनका अवक्षयण घटा कर आंकड़े इससे भी कम होंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रति वर्ष स्टाक का निरीक्षण किया जाता है और क्या यह सच है कि पिछली बार स्टाक का निरीक्षण करते समय भारी त्रुटियां पाई गईं थीं और उनको छिपाने के लिये यह आग लगाई गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा है कि महा सर्वेक्षक ने यह सिद्ध किया है कि ज्यादती का कोई हिसाब नहीं रखा गया था। यह स्टाक निरीक्षण का परिणाम था।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि टैंक जो आग बुझाने के सामान का अंग है, उनकी बहुत समय से मरम्मत नहीं हुई थी, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसमें विलम्ब कर रहा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** कई बार विलम्ब होता है, परन्तु अब जैसा कि मैं कह चुका हूं कि, हम कार्रवाई कर रहे हैं और १५००० टन क्षमता के पानी के चार तालाब और १०००० गैलन क्षमता के दो तालाब १७ ईस्टर्न कनाल रोड पर बनाने जा रहे हैं। मैंने इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कह दिया है कि सर्वे आफ इण्डिया के निर्माण कार्यक्रम को शीघ्रतापूर्वक किया जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूरकेला के लिये कच्चा माल

†*९७५. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण रूरकेला इस्पात कारखाने की प्रगति में बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कुछ भी बाधा नहीं पड़ी है, केवल अभी हाल ही में कोकिंग कोयले में कुछ कमी हुई है और इससे कोक ओवन बैटरियां (कोक भट्टियां) अधिकतम क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकी हैं। कोयले का पर्याप्त स्टाक रखने के सम्बन्ध में प्रत्येक संभव यत्न किया जा रहा है और इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि लौह अयस्क की सप्लाई निरन्तर बनी रहे।

भारतीय वायु सेना का "लिबरेटर" विमान

†*९७७. **श्री प्र० के० देव :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली मई के तीसरे सप्ताह में भारतीय वायु सेना के 'लिबरेटर' विमान ने रामेश्वरद्वीप के परे समुद्र में २३ कैनोज़ के निकट असहायावस्था में बहे जा रहे १०० मछुओं का पता लगाया ;

(ख) उनको बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इनमें से कितने आदमियों को बचाया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) उस विमान ने मत्स्य पालन निदेशालय, मद्रास को बेतार से सूचित कर दिया था जिसने उनके बचाव के लिये प्रबन्ध किया।

(ग) सभी, लगभग १०६ व्यक्ति।

जीवन बीमा पालिसियों का व्यपगत होना

†*९७८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ से जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये बीमों की बहुत सी पालिसियां व्यपगत हो गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत पालिसियां व्यपगत हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनका कारण क्या है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चर्चा और कोतमा खानें

†*९७९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्चा और कोतमा कोयला खानों सम्बन्धी परियोजना-रिपोर्टों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या इनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) चर्चा के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया गया है क्योंकि उस क्षेत्र का विस्तृत परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोतमा परियोजना को छोड़ देने का निर्णय किया है क्योंकि उसका कोयला घटिया दर्जे (ग्रेड२) का होगा और उसके लिये मांग पर्याप्त नहीं होगी । यदि उस क्षेत्र में छेदन कार्य (ड्रिलिंग) से कभी यह प्रकट हुआ कि वहां बढ़िया किस्म का कोयला है तो इस मामले पर पुर्नविचार किया जायेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाक-राजस्थान सीमा पर तस्कर व्यापार

*९८०. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **वित्त** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान-राजस्थान सीमा पर तस्कर व्यापार करने वाले व्यक्तियों की सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जिन लोगों पर चोरी-छिपे व्यापार करने का सन्देह है उनके नामों की सूची को सभा की मेज पर रखने में जनता को लाभ न होगा ।

माध्यमिक स्कूलों की परीक्षा पद्धति में सुधार

†*९८१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त केन्द्रीय परीक्षा यूनिट ने परीक्षा पद्धति में सुधारों को लागू करने के लिये कोई योजना और कार्यक्रम बनाया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस यूनिट द्वारा सुझाये गये सुधारों को राज्यों के विभिन्न अधिकारियों ने कहां तक लागू किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये एक दस वर्ष का कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]

(ग) कुछ राज्यों में अनुसंधान ब्यूरो स्थापित किये जा चुके हैं और अन्य के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*९८३. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बसुमतारी : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के सभी विद्यार्थियों को नहीं बल्कि केवल कुछ विद्यार्थियों को ही मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी गयीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

† **शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अनुसूचित गादिम जातियों के जितने छात्रों के आवेदन पत्र पूरी तरह से ठीक थे उन्हें छात्रवृत्तियां दे दी गई थीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

देशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली

†*९८४. **श्री कालिका सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशबन्धु कालेज (दिल्ली) धर्मस्व निधि का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) कालकाजी, दिल्ली (ब्लाक एफ—कालकाजी) में स्थित ५५८ एकड़ भूमि का और उस पर बनी इमारतों का, जो धर्मस्व सम्पत्ति है, मूल्य कितना है ;

(ग) क्या हितग्राहियों पर व्यय करने के पश्चात् धर्मस्व सम्पत्ति से कोई लाभ होता है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक प्रशासन बोर्ड द्वारा

(ख) सरकार को मूल्य के बारे में ज्ञान नहीं है । वह भूमि १७.४७ एकड़ है, ५५८ एकड़ नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) धर्मस्व से कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हेलीकोप्टरों की खरीद

*९८५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग के लिये कुछ हेलीकोप्टर खरीदने के बारे में कुछ समय से रूस की सरकार से बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम हुआ ; और

(ग) रूस से किस टाइप के कितने हेलीकौप्टर किस दर पर खरीदे जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). कुछ बातचीत चल रही है, और आशा है कि उसका परिणाम शीघ्र ही निकलेगा ।

ईसाई धर्म-प्रचारक

†*९८६. **श्री हेम राज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में अभी अभी आये तिब्बती शरणार्थियों में अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) कैम्प के बाहर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा की जा रही कुछ कार्यवाहियों के बारे में समाचार मिले हैं ।

(ख) प्राधिकृत शरणार्थी कैम्पों में धार्मिक प्रचार की अनुमति नहीं दी जाती ।

कोरबा तापीय संयंत्र के लिये कोयला

*९८७. **श्री जांगड़े :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा तापीय संयंत्र को कोरिया-कुरासिया कोयला खानों से कोयला भेजने के लिये पिछले दिनों संघ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में जो बातचीत चल रही थी, उसका क्या परिणाम हुआ ; और

(ख) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को किस मूल्य पर कोयला देने का निश्चय किया गया है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राज्य बिजली बोर्ड तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान कोरबा के कोयले के लिये दी जाने वाली कीमतों के निर्णय का एक अस्थायी आधार मंजूर किया गया । इसकी अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुष्टि की जानी है ।

(ख) इस मौके पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में विदेशी

†*९८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में ठेकेदारों ने कितने विदेशी कर्मचारियों को काम पर लगा रखा है ; और

(ख) क्रमशः भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर में हिन्दुस्तान स्टील द्वारा सीधे अथवा ठेकेदारों द्वारा लगाये गये कितने विदेशी शिल्पज्ञों (टैक्निशियन्स) के स्थान पर भारतीय लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६)

पिछड़े हुये वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*९८९. **श्री वं० च० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने भारत सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने की योजना के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां कैसी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भ में कुछ कठिनाई थी क्योंकि राज्य सरकारों को यह भय था कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं दे सकेंगी।

भूतपूर्व सैनिकों को सहकारी समिति, सागर

†*९९०. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर में भूतपूर्व सैनिकों की एक रजिस्टर्ड सहकारी समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि सागर के छावनी क्षेत्र में खाली पड़ी ३०० एकड़ भूमि, जिस पर खेती नहीं की जाती, उन्हें पट्टे पर दे दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, हां । परन्तु वह संस्था पंजीबद्ध नहीं है।

(ख) २३६.४१ एकड़ भूमि सैनिक आवश्यकताओं से कुछ समय के लिये फालतू थी और वह कृषि योग्य थी । सैनिक फार्म विभाग, जो हाल ही में पुनर्गठित किया गया है, उस तथा उसी प्रकार की अन्य भूमि पर खेती करने की योजना पर विचार कर रहा है। अभी विचार ही किया जा रहा है । केवल यह निर्णय कर लेने पर ही कि उसका उपयोग नहीं किया जायेगा, उसे उस संस्था को एलाट करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईंधन की कमी

*९९१. श्री बाल्मीकी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ईंधन की कमी प्रतिदिन बढती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) ईंधन में अधिकतर कोयला और तेल सम्मिलित होते हैं, जिसमें से कोयले की सप्लाई देश में व्यावसायिक शक्ति की लगभग ८३ प्रतिशत जरूरत को पूरा करती है। कोयले का उत्पादन लगभग इसकी बढ़ती हुई मांग के साथ बढ रहा है। जहां तक तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सवाल है, देश में इनकी कमी है परन्तु यह कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है।

(ख) सरकार की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का मकसद आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसीलिये उद्देश्य एसे निश्चित किये जाते हैं कि जहां तक सम्भव हो, अनुमानित जरूरतें स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की जा सकें।

रद्दी लोहे सम्बन्धी निर्यात-नीति

†*९९२. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार से इस बात का अभ्यावेदन किया गया है कि रद्दी लोहे के निर्यात की छमाही नीति के कारण निर्यातक विदेशी खरीदारों से दीर्घकालीन ठेके नहीं कर सकते जिससे वे ऊंची कीमतों पर निर्यात नहीं कर पाते और इसके अतिरिक्त देश में रद्दी लोहे के व्यापार में समय-समय पर अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में रद्दी लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में दीर्घकालीन नीति की घोषणा करने का है जिससे रद्दी लोहे के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा की अधिक आय हो सके और इसके अतिरिक्त देश में रद्दी लोहे के व्यापार में भी स्थिरता आये ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं। सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है वह समिति विभिन्न प्रकार के र ी लोहे की उपलब्धि, देश में उपभोक्ताओं की जरूरतों, वितरण की प्रणाली, निर्यात की उपलब्धि आदि विभिन्न मामलों पर बिचार करेगी।

निक्षेप बीमा योजना

†*९९३. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत में "निक्षेप" बीमा योजना लागू करने के सुझाव पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). बैंक निक्षेप-बीमा योजना के बारे में रिजर्व बैंक विचार कर रहा है ।

दिल्ली में पुलिस पदाधिकारी

†*९९४. श्री प्र० गं० देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पुलिस पदाधिकारियों की सहायता के कारण जुए के अड्डे एक आम चीज बन गए हैं जैसा कि ८ अगस्त, १९६० के टाइम्स आफ इंडिया में आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सचाई का पता लगाने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त की जायगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस पदाधिकारी दिल्ली में कुछ खास इलाकों में अपनी नियुक्ति करवाने के लिये वरिष्ट अधिकारियों को बड़ी-बड़ी रकमें देते हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी

†*९९५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच अवकाश और छुट्टियों आदि के मामले में असमानता को इस बीच दूर कर दिया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : छुट्टियों के बारे में गैर-औद्योगिक प्रतिरक्षा संस्थापनों में काम करने वाले औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक असैनिक कर्मचारियों में अब कोई अन्तर नहीं है । जहां तक औद्योगिक संस्थापनों का सम्बन्ध है, उसका मामला विचाराधीन है । औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के छुट्टी सम्बन्धी अधिकारों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

गरीबों को कानूनी सहायता

†*६६६. श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री पांगरकर :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या विधि मंत्री २६ फरवरी, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने संबंधी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के पथ प्रदर्शन के लिये, गरीबों को कानूनी सहायता के लिये आदर्श योजना तैयार की गयी थी और हाल ही में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में उस बारे में चर्चा की गई है । यह योजना अभी तक विचाराधीन नहीं है ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

†*६६७. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री `कराम रेंगी :
श्री आसर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा कोयला क्षेत्र के विकास के लिये सोवियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर कोई निर्णय किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : तीनों परियोजना रिपोर्टों, अर्थात्, खुली खान, कोयला धोने के कारखाने और कोरबा की वर्कशाप के संबंध में रिपोर्टों को निगम ने स्वीकार कर लिया है । खुली खान (ओपन कास्ट माइन) और वर्कशाप संबंधी रिपोर्टों को किन्हीं

†मूल अंग्रेजी में

शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया है। कोयले धोने के कारखाने की रिपोर्ट को स्वीकार तो कर लिया गया है, परन्तु उसे अभी तक कार्यान्वित करने का निर्णय नहीं किया गया क्योंकि वह अलाभप्रद होगा। भूमिगत खानों के संबंध में रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है।

गुरुकुलों को अनुदान

*९९८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुकुलों को अनुदान देने के प्रश्न की जांच करने के लिये केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड द्वारा बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदान कब दिये जायेंगे ; और

(ग) किन-किन गुरुकुलों को अनुदान दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई में "ग्रेन्युलेशन प्लांट"

†*९९९. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में सीमेंट बनाने के लिये धातुमल (स्लैग) को चूर करने वाला संयंत्र (ग्रेन्युलेशन प्लांट) लगाया जा रहा है ;

(ख) इस संयंत्र का खर्चा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उठा रही है अथवा एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ फैक्टरी ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेन्युलेशन प्लांट का खर्च हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा वहन किया जायेगा।

भारत-विद्या संस्था

†*१००० { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० मांझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-विद्या संस्था की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना और संस्था के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) क्या संस्था की इमारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) से (ग). संस्था स्थापित करने के संबंध में सर्व प्रथम कार्य यह करना है कि पर्याप्त संख्या में विद्वानों को प्रशिक्षित करना है और यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्य बातों को अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निकोबार द्वीप समूह में अध्यापक का काम करने वाले पुलिस कर्मचारी

*१००१. डा० राम सुभग सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकोबार द्वीप समूह में अपराधों के न होने के कारण पुलिस पदाधिकारी स्कूलों में अध्यापकों का काम करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितने पुलिस पदाधिकारी काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :(क) जी, नहीं। द्वीपों में अपराध बहुत ही कम हैं। कंडूल द्वीप में १९५९ में एक नियमित स्कूल खुलने से पहले कुछ पुलिस अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने अवकाश के समय में बच्चों के लिये हिन्दी की कक्षायें चलाईं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले का यातायात

†*१००२. श्री प्र० के० देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण पिछले दिनों में कोयला खानों में बहुत अधिक कोयला जमा हो गया है ;

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या कोयले के उपलब्ध न होने के परिणाम स्वरूप कोई कारखाना बन्द हो गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जुलाई के अन्त में कोयला खानों में कुल ३५.६ लाख टन कोयला था जबकि १९५९ में ३१.३ लाख और १९५८ में ३३.६ लाख टन कोयला था । कुछ अधिक वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी कोयले के यातायात के लिये और अधिक डिब्बों की उपलब्धि के संबंध में यत्न किया जा रहा है।

(ग) जहां तक ज्ञात हुआ है, कोयले की कमी के कारण केवल दो कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं। इन मिलों को कोयले के संभरण में प्राथमिकता देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में घूसखोरी

*१००३. { श्री नेकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकप्रिय सरकार के शासन काल में हिमाचल प्रदेश में घूसखोरी रोकने के लिये जिला समितियां बनाई गई थीं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में अब भी ऐसी समितियां काम कर रही हैं ; और

(ग) प्रत्येक जिले में अब तक कुल कितने घूसखोरी के मामले पकड़े गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं। १९५४ में इन समितियों को तोड़ दिया गया।

(ग) बिलासपुर ७
सिरमुर ४
मंडी ७
चम्बा ६

दिल्ली में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रात को गश्त

†*१००४. श्री डी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसी योजना बनायी जा रही है जिसके अनुसार दिल्ली पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनमें डी० आई० जी० और एस० पी० भी सम्मिलित हैं ; बारी बारी से रात को गश्त किया करेंगे ;

(ख) क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

प्रत्येक रात को १० बजे से प्रातः ६ बजे तक एक गजेटिड पुलिस अफसर डयूटी पर होगा जो कि बेतार से सम्बद्ध एक मोटर गाड़ी में गश्त लगाया करेगा। उसके कार्य निम्न लिखित होंगे :—

(१) वह छोटे तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की रात की गश्त की जांच किया करगा और थोड़ी सी भी ढील होने पर उनके बारे में रिपोर्ट भेजेगा ताकि उन्हें सजा दी जा सके ;

(२) १० बजे रात से ६ बजे प्रातः तक शहर में होने वाली मुख्य दुर्घटनाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना और घटना स्थल पर जाकर इस बात को देखना कि क्या उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है या नहीं। उस स्थल पर ही जांच कार्य भी करेगा।

(३) वह अकस्मात थानों में जाया करेगा और यह जांच करेगा कि क्या रात की ड्यूटी ठीक प्रकार से निभायी जा रही है या नहीं और यह भी कि कोई कदाचार तो नहीं किया जा रहा है ; और

(४) बिना सूचना के ही केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में चले जाना और इस बात का विनिश्चय करना कि प्रत्येक व्यक्ति सावधान है।

रद्दी लोहे का निर्यात

†*१००५. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रद्दी लोहे के विनियम के अन्तर्गत इस्पात के आयात को निर्यात की एफ० ओ० बी० (नौतल पर्यन्त निशुल्क) आय के २/३ तक सीमित करने का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): निर्यात के लिये उपलब्ध रद्दी लोहे की कई किस्में हैं । कुछ एक किस्मों के लिये तो मार्केट में मांग है परन्तु कुछ अन्य किस्मों को नकद दाम पर बेचना कठिन है । इस प्रकार की किस्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ निधि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये कुछ राशि शेष रखनी पड़ेगी और इसके लिये सरकार ने इसकी दो तिहाई मात्रा को प्राप्त विनियोग के लिये निर्धारित करना उचित माना है ।

कोयले का उपयोग

†*१००६. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ग १ और छांटे गये "क" और "ख" वर्ग के कोयले का इस्तेमाल इस्पात कारखानों तक सीमित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों के मालिकों को यह निदेश दिये गये हैं कि वे वर्ग १ और छांटे हुये "क" और "ख" वर्ग का कोयला किसी और को न बेचें ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इस्पात के कारखाने धनबाद जिले की कोयला खानों से भारत सरकार द्वारा उनके लिये निर्धारित कोयले का कोटा नहीं उठा रहे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम

†*१००७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों को चालू करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम अलीगढ़, आन्ध्र, बनारस, बड़ौदा, यादवपुर, कर्णाटक, केरल, मैसूर, राजस्थान, सागर, श्री वेंकटेश्वर, विश्वविद्यालयों, एस. एन. डी. सी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी और उत्कल और विश्व भारती विश्वविद्यालयों में चालू कर दिया गया है । मद्रास, पूना विश्वविद्यालयों ने भी इस उद्देश्य को दूसरे ढंग से पूरा करने का यत्न किया है । उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उस पाठ्यक्रम को १९६०–६१ से लागू

---

†मूल अंग्रेजी में

करने का निर्णय किया है । शेष विश्वविद्यालयों ने या तो इसे लागू ही नहीं किया है या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

गैस टर्बाइन परियोजना

†*१००८. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच दूसरी टाटा समिति की कोई बैठक हुई है और उन्होंने गैस टर्बाइन परियोजना के स्थान के बारे में अपनी अन्तिम सिफारिश दे दी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : जी, हां। अन्तिम रिपोर्ट पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा विचार किया जायगा ।

समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, में ही गैस टर्बाइन इंजनों के विकास के लिये एक केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न को छोड़ दिया जाय ।

दिल्ली में कत्ल और छुरा घोंपने की घटनायें

१८५७. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में दिल्ली के पुलिस स्टेशनों पर कत्ल और छुरा घोंपने के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) इन में कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कितने मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकी ; और

(ग) इन अपराधों के लिये कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितने अपराधियों को दंड दिया गया और कितनों को न्यायालयों ने बरी कर दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :

	कत्ल	छुरा घोंपना (भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०७, ३२४ और ३२६ के अन्तर्गत मामले)
(क) १ अगस्त १९५९ से लेकर ३१ जुलाई १९६० तक . . .	६०	२३८
(ख) (i) गिरफ्तार किये गये अपराधियों के मामलों की संख्या	४६	१९९
(ii) जिन मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकी उनकी संख्या . .	१४	३९
(ग) अपराधियों की संख्या		
गिरफ्तार किये गये . .	१०७	३०२
दण्डित . . .	११	३२
बरी किए गए . .	८	३२ (बरी किये गये नोट—भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२४ न्यायालय की आज्ञा से अभि-संधं है)
जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है	४७	१३४
जिन व्यक्तियों के मामलों की छान बीन हो रही है . . .	४१	१०४

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†१८५८. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में पाकिस्तान को कितना कोयला भेजा गया है ; और

(ख) १९५९ की उक्त अवधि में कितना कोयला भेजा गया था ?

†मूल अंग्रेजी म

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). १९६० के पूर्वार्ध में पाकिस्तान को ५२७,७८१ टन कोयला भेजा गया है जब कि १९५९ के पूर्वार्ध में ४२७,१०६ टन कोयला भेजा गया था ।

कोयले का निर्यात

†१८५९. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में मास वार कितने कोयले का निर्यात किया गया है ; और

(ख) वह १९५९ के पूर्वार्ध के मास वार निर्यात की तुलना में कैसा है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

मास	१९५९	१९६०
	टन	टन
जनवरी .	१४३,७९०	१२८,१९६
फरवरी .	१२३,६५२	१३७,२९२
मार्च	१३८,८४८	१०९,३९५
अप्रैल	१४३,२५५	१०६,४५७
मई	१०३,४९४	९७,७२३
जून	१०३,४०१	८७,४६३
कुल .	७५६४५३	६३६,५२६

जोरहाट में सेना के सिपाही द्वारा हत्या

†१८६०. श्रीमती मफीदा अहमद : : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ६ जून १९६० को आसाम ट्रिब्यून (गोहाटी) में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि ५ जून, १९६० को जोरहाट एयर ड्रापिंग स्टेशन पर सेना के एक सिपाही ने एक हवलदार क्लर्क को कत्ल कर दिया था ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया है और उसकी कार्यवाही प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के कारखानों में उत्पादन

†१८६१. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री सुबिमन घोष :
श्री रामसिंह भाई वर्मा : }

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में कितने इस्पात का उत्पादन किया गया है और अभी तक कितने इस्पात का विदेशों को निर्यात किया गया है ;

(ख) किस-किस देश को निर्यात किया गया है ; और

(ग) उस से कितनी राशि की आय हुई है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७] ।

बिहार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†१८६२. श्री स० च० गोडसोरा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये निर्धारित राशि में से १९५९ में बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया था; और

(ख) कानूनी सहायता देने की प्रक्रिया क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जानकारी केवल वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में उपलब्ध है और वह निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	पिछड़े हुए वर्गों का रूप	राशि
१९५८—५९	अनुसूचित आदिम जातियां . . .	कोई योजना नहीं थी ।
	अनुसूचित जातियां	८,४४५ रुपये
१९५९—६०	अनुसूचित आदिम जातियां .	२७,२०२ ,,
	अनुसूचित जातियां . . .	२२,५०० ,,

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८] ।

†मूल अंग्रेजी में ।

हिमाचल प्रदेश में विभागीय पदोन्नति समितियां

†१८६३ { श्री शि० ना० रामौल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नेकराम नेगी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पदोन्नति सम्बन्धी मामलों के बारे में निर्णय करने के लिये और ५५ वर्ष की आयु के बाद भी उनकी सेवा को जा ी रखने के मामलों पर विचार करने के लिये विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियां हैं ;

(ख) क्या कोई ऐसी भी विभागीय समितियां हैं जिन में उसी विभागों के कर्मचारी उन समितियों के सदस्य भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से विभाग हैं और उन समितियों का गठन कैसा है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रशासन के सभी विभागों के सभी तीसरी श्रेणी के स्थानों के लिये पदोन्नति के लिये स्थापित विभागीय पदोन्नति समितियों में उन्हीं विभागों के सदस्य हैं । विभाग का सचिव समिति का सभापति होता है, और विभाग के मुखिया तथा दफ्तर के मुखिया तथा सचिव द्वारा नियुक्त कोई और व्यक्ति सदस्यों के रूप में होंगे । जहां सचिव तथा विभाग का मुखिया वही व्यक्ति होता है, वहां सभापति किसी और व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन

†१८६४. श्री रामी रेड्डी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध कोई विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है जिन की प्रतियां, प्रकाशित होने पर भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अभिलेख के रूप में संसद् पुस्तकालय को बराबर भेजी जाती हैं ।

नये खनिजों की खोज

†१८६५. श्री नि० क० देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे नये खनिजों की खोज के सम्बन्ध में उस रूसी भूतत्वीय प्रतिनिधि मण्डल की क्या राय है जिस का नेतृत्व रूसी भूतत्व तथा खनिज मंत्री ने किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): मार्च, अप्रैल, १९६० में यहां आये हुए उस प्रतिनिधि मंडल से केवल सामान्य रूप से चर्चा की गई थी। उसने खनिजों के सम्बन्ध में अपनी कोई विशेष राय अभिव्यक्त नहीं की थी।

विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब

†१८६६. श्री दी० चं० शर्मा: क्या शिक्षा मंत्री ३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लबें स्थापित करने की योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा १६ विश्वविद्यालय चुने गये हैं।

(ख) कुल ६०,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं जिस में से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये ३,७५० रुपये निश्चित किये गये हैं।

चांदी की खानें

†१८६७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चांदी की कितनी खानें हैं;

(ख) क्या १९५९ में भारत में चांदी के क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) भारत में केवल मात्र चांदी निकालने वाली कोई भी खान नहीं है, परन्तु चांदी राजस्थान में जवार की सीसे और जस्ते की खानों से, कोनार की सोने की खानों से और हैदराबाद की हट्टी खानों से प्राप्त की जाती है।

(ख) जी, हां। १९५९ में पंजाब के कांगड़ा जिला के कुलु सब डिवीजन की उचीच की प्राचीन चांदी की खान का सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) उचीच से प्राप्त किये गये नमूनों से यह ज्ञात हुआ है कि उस में प्रति दस लाख भागों में केवल १५ से २० भाग चांदी है। इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में आगे खोज करने का विचार है।

पंजाब में पुस्तकालय आन्दोलन

†१८६८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पुस्तकालय आन्दोलन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये पंजाब सरकार को कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) उस अनुदान का उपयोग कैसे किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ के लिये, २,१६,६३० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे। १९५८-५९ के बाद अनुदान चार विशिष्ट ग्रुपों के अधीन दिया गया है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तथा अन्य शिक्षा योजनायें। इसलिये पुस्तकालय के आन्दोलन के लिये अलग रूप से दी गयी राशि के आंकड़े बताना संभव नहीं है ।

(ग) वह राशि उस राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के संगठन के लिये इस्तेमाल की गयी है ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल

†१८६९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हाई स्कूल हैं;

(ख) उन में से कितने गैर सरकारी तौर पर चलाये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में और हाई स्कूल खोलेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, कोई नहीं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों समेत दिल्ली की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

बम्बई विश्वविद्यालय को अनुदान

†१८७०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय को वर्ष १९५९-६० में अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गयी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय को वर्ष १९५९-६० में २४,८२,७८२.४५ रुपये का अनुदान दिया गया है।

तांबे की खानें

१८७१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि (उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में) चमोली में पेखारी में कुछ तांबे की खानें हैं जो ब्रिटिश सरकार ने बन्द कर दी थीं; और

(ख) क्या सरकार अब उन के विकास के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) सरकार को विदित है कि पोखारी में तांबे की खानें हैं जो बहुत पहले बन्द हो गयीं थीं।

(ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग क्षेत्र में धातु की नई धाराओं की मौजूदगी की सम्भावना खोजने के लिये चालू वर्ष (१९६०-६१) में पोखारी, जिला गढ़वाल का विस्तृत मानचित्रण और अनुसन्धान करने का विचार रखता है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५३-५४ में पोखारी की पुरानी तांबे की खानों की छानबीन आशाजनक नहीं थी क्योंकि यातायात पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के इलावा तांबे के भूभंडारों में आम तौर पर तांबे की मात्रा (१/२ से १/४ प्रतिशत) बहुत कम थी।

आर्य हायर सेकन्डरी स्कूल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली

†१८७२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली की निधि के दुरुपयोग और कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) जांच से स्कूल के खातों में कुछ अनियमिततायें और दुराचरण का पता चला है। विभागीय नियमों के अनुसार स्कूल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है

छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां

†१८७३. श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या प्रतिरक्षा मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने के बारे में प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर तब से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : इस प्रस्ताव पर अभी सहकार मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, छिवकी में सामान

†१८७४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आयुध डिपो, छिवकी में जमीन के नीचे से बरामद किये गये सामान के बारे में उपपत्तियों पर विचार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) और (ख). एक पदाधिकारी के प्रति, उस के कार्य-साधक रूप से पर्यवेक्षण न कर सकने के कारण जिस के फलस्वरूप डिपो में फालतू सामान बचा, कमी रही अथवा हानि हुई, मुख्य सेनाध्यक्ष (चीफ आफ आर्मी स्टाफ) ने अत्यधिक 'अप्रसन्नता' व्यक्त की है। कुछ मदों के बारे में अग्रेतर जांच का आदेश दिया गया है और अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

आयुध डिपों में सामान की जांच की प्रक्रिया की भी पूर्ण रूप से जांच की गयी है और यह पाया गया है कि इस विषय के बारे में वर्तमान आदेश पर्याप्त हैं परन्तु इस मामले में जो अनियमिततायें हुई हैं वे कुछ व्यक्तियों द्वारा उन का पूर्णरूप से पालन न करने के कारण हुई हैं।

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार

†१८७५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार के हिसाब किताब में गड़बड़ी की शिकायतों के बारे में सुझावों की कार्यान्विति के लिये क्या प्रगति की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): जांच अधिकारी ने दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडारों को दिल्ली राज्य सहकारी फैडरेशन के साथ मिलाने का सुझाव दिया है। जांच अधिकारी ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि विलयन का सुझाव न माना जाय तो दोनों समितियों को समाप्त कर दिया जाय और दोनों का काम चलाने के लिये एक तीसरी समिति बनाई जाय। दिल्ली राज्य सहकारी फेडरेशन दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार के साथ मिलने को राज़ी नहीं हुआ। अतः इन का विलयन संभव नहीं है। इन दोनों समितियों ने अपना हिसाब किताब ठीक ठीक रखने का प्रयत्न किया है और उन्हों ने कुछ सुधार भी किया है। अतः इस समय दिल्ली प्रशासन का उन्हें समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधन

†१८७६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों का निश्चय करने के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्तिम रूप से क्या निश्चय किया गया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) जी हां।

(ख) यह आशा की जाती है कि अगले कुछ दिनों में अन्तिम निश्चय कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी असिस्टेंट

१८७७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण, विभागीय सीमित योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण और वास्तव में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिये क्रमानुसार ५०,२५ और २५ प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों के ४६ पदों में काम कर रहे हिन्दी असिस्टेंटों को २५ प्रतिशत कोटा भी नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी असिस्टेंटों के बारे में भिन्न प्रणाली अपनाने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड ४ में स्थायी पदों के ५० प्रतिशत पदों पर नियुक्ति बाहरी भरती द्वारा की जाती है। इस ग्रेड में बाकी सब पदों पर नियुक्ति विभागीय तरक्की द्वारा की जाती है।

(ख) तथा (ग). हिन्दी असिस्टेंटों के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल रेग्युलर असिस्टेंटों के पदों की भांति नहीं हैं। किन्तु ये पद मंत्रालय आदि में हिन्दी अनुवाद के लिये बनाये गये। संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से यह निर्णय किया गया कि सैन्ट्रल सैक्रेटेरियट सर्विस स्कीम में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में इन पदों पर सैन्ट्रल सैक्रेटेरियट क्लेरिकल सर्विस के उन उपयुक्त अपर डिवीजन/लोअर डिवीजन क्लर्कों को नियुक्त किया जाय, जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य से ली गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। जून, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी विभागीय परीक्षा लिये जाने से पहले, विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों आदि में हिन्दी असिस्टेंटों के पदों पर हिन्दी जानने वाले अपर डिवीजन/लोअर डिवीजन क्लर्कों की नियुक्ति अथवा तबादले आदि द्वारा विशुद्ध अस्थायी रूप से काम चलाने के लिये आज्ञा दी गई थी। अतः उपरोक्त परीक्षा में सफल व्यक्तियों के मिलन पर पहले से नियुक्त असफल व्यक्तियों के स्थान पर सफल व्यक्तियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। इस विचार से, अनक्वालीफाईड व्यक्तियों के लिये इन पदों में से कोई अलग कोटा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में जूनियर टैक्निकल स्कूल

†१८७८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०-६१ में उड़ीसा में जूनियर टक्निकल स्कूल स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार से प्रास्ताव प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कितने स्कूलों के लिये आया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में पिछड़े वर्गों का कल्याण

†१८७९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९–६० में उड़ीसा को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो धनराशि आवंटित की गयी थी क्या वह पूरी तरह से खर्च नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस आवंटन में से किसी गैर-सरकारी संगठन को कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है और उन गैर-सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं जिन्हें सहायता मिली है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य योजना योजनाओं के अधीन ७५.८९ लाख रुपये और केन्द्रीय पुरस्कृत कार्यक्रम के अधीन ७३.२० लाख रुपये ।

(ग) जी हां, राज्य योजना योजनाओं के अधीन ।

(घ) ३.२२ लाख रुपये। जिन संगठनों को सहायता दी गयी है, उन सब के नाम भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

दुर्गापुर के लिये लौह-अयस्क

†१८८०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लौह-अयस्क का संभरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा दी गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) १५ अगस्त, १९६० तक १,९४,४५३.५ मीटरिक टन ।

नौसेना अधिकारियों तथा नाविकों का प्रशिक्षण

१८८१. श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने नौसेना के अधिकारियों तथा नाविकों के आरम्भिक तथा उच्च प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं;

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों में लिये जाने वाले उम्मीदवारों की आयु तथा योग्यतायें क्या हैं; और

(ग) क्या इंस्ट्रक्टर विदेशी हैं या भारतीय और यदि दोनों हैं, तो उन में कितने विदेशी हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) नौसेना के अधिकारियों और नाविकों के प्रारम्भिक तथा उच्च प्रशिक्षण के लिये भारत में कोचीन, लोनावला, मार्वे (बम्बई के पास), जामनगर तथा विशाखापटनम नामक स्थानों पर नौसेना प्रशिक्षण सिब्बन्दियां चलाई गई हैं । व्यवहारिक प्रशिक्षण नौसेना के जहाजों पर दिया जाता है । अधिकारी तथा नाविक कुछ विशेषज्ञ प्रशिक्षण कोर्सों के लिये यू० के० भी भेजे जाते हैं, जिन के लिये भारत में सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ।

(ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]

(ग) सब भारतीय हैं ।

बस्तर जिले में सीसा अयस्क के निक्षेप

†१८८२. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में दान्तेवाडा के समीप सीसा-चांदी अयस्क के निक्षेपों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या निक्षेपों की व्यापारिक उपयोगित सिद्ध करने के लिये कोई गहन खोज कार्य किया गया है; और

(ग) जिस अयस्क का पता लगाया गया है, वह किस श्रेणी का है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में गुण्डागर्दी

†१८८३. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गुन्डागर्दी को समाप्त करने के लिये सराकार ने पिछले तीन महीनों में यदि कोई पग उठाये हैं, तो वे क्या हैं;

(ख) दिल्ली में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार करने और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गुंडों की संख्या में जिन के नाम पुलिस के रजिस्टर में दर्ज होते हैं, वर्ष १९५५ के बाद से वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि क्योंकर हुई है; और

(ग) पिछले तीन महीनों में कितने गुण्डे गिरफ्तार किये गये और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) 'गुण्डागर्दी' एक बड़ा व्यापक शब्द है । पुलिस निरन्तर निगरानी रख रही है और पैदल, साइकिलों पर और चलती फिरती गाड़ियों में दिन रात गश्त लगाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुलिस दुराचारियों का एक रजिस्टर रखती है जिस में व्यावसायी और आदी अपराधियों के नाम शामिल हैं :

वर्ष		रजिस्टर में दर्ज दुराचारियों की संख्या
१९५५		१०४५
१९५६		११०१
१९५७		१२६०
१९५८		१३६२
१९५९		१४५०
१९६०	(३१-७-६० तक)	१४८२

(ग) १ मई से ३१ जुलाई, १९६० तक ६६ दुराचारी पकड़े गये। इन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अपराध जिनके अधीन पकड़े गये	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जेल भेजे गये	दोषसिद्ध किये गये	मुक्त किये गये	जिन पर मुकदमा चल रहा है	जिन की जांच हो रही है
जूआ अधिनियम	१५	१५	१४	..	१	..
उत्पादन-शुल्क अधिनियम .	१३	८	१	..	७	५
अफीम अधिनियम .	१२	१२	२	..	१०	..
शस्त्र अधिनियम	७	७	..	..	७	..
३४ पुलिस अधिनियम .	२	२	२	..	..	..
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१ .	१६	१६	..	१	१५	..
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ११० ..	४	४	..		४	..

दिल्ली में आत्महत्या की घटनायें

१८८४. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली में आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की संख्या १९५८–५९ की अपेक्षा १९५९–६० में बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख). दिल्ली में १९५९–६० में ११० व्यक्तियों ने आत्महत्या की जबकि १९५८–५९ में १०१ व्यक्तियों ने आत्महत्या की थी । इस मामूली सी वृद्धि के कोई विशेष कारण नहीं हैं ।

दिल्ली में बाल-गृह

१८८५. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बाल-गृह स्थापित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) आज कल कितने बाल-गृह चल रहे हैं ; और

(ग) ये बाल-गृह किस प्रकार के हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चार ।

(ग) इन संस्थाओं में से एक पुनरर्पण गृह है जिसमें विचाराधीन मामलों वाले बच्चों को अस्थायी अभिरक्षण में रखा जाता है । दूसरी तीन संस्थाएं किशोर अपराधियों के लिए तथा उन उपेक्षित बच्चों के लिए हैं जिन्हें किशोर-अपराध-न्यायालय दंड देकर राज्य के अभिरक्षण में भेजते हैं ।

दिल्ली में महिलाओं के लिये चलता-फिरता जनता कालेज

१८८६. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए एक चलता-फिरता जनता कालेज है ;

(ख) यदि हां, तो इस में क्या शिक्षा दी जाती है ;

(ग) इस पर कितना व्यय होता है ; और

(घ) इस कालेज में कितने अध्यापक हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कालेज ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न घरेलू शिल्पों, बाल कल्याण और सामुदायिक संगठन के कार्य में प्रशिक्षण देता है ।

(ग)

वर्ष	खर्च
	रुपया
१९५५–५६	२१,०८९
१९५६–५७	१३,८९४
१९५७–५८	२०,२४४
१९५८–५९	२२,२५०
१९५९–६०	२९,३००

(घ) एक प्रिंसिपल और चार शिक्षक ।

दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र

१८८७. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में दिल्ली में निम्न मदों के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है :

(१) पांच सामुदायिक केन्द्रों का कार्य ;

(२) पुस्तकालय सेवाओं का एकीकरण :

(३) शिक्षा कारवां की पुनः स्थापना ; और

(४) समाज-शिक्षा संबंधी साहित्य का प्रकाशन ; और

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) (१) फरवरी १९५५ में ५ आदर्श सामुदायिक केन्द्र खोले गये थे । इन केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है :—

(१) साहित्यिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और सामाजिक सेवा ।

(२) पुस्तकालय ।

(३) खेल-कूद ।

(४) युवक क्लबों और महिला समितियों का संगठन ।

(५) राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों का आयोजन ।

ये केन्द्र गांधी नगर, मालवीय नगर, गणेश पुरा, नजफगढ़ और सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एजकेशन में काम कर रहे हैं । इन सभी केन्द्रों की औसत उपस्थिति ३० है ।

(२) ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गयी है। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में, नजफगढ़ में एक संकलित पुस्तकालय सेवा आरम्भ की गयी थी। इस पुस्तकालय में अब १६८,००० पुस्तकें हैं और यह दिल्ली क्षेत्र के २७० केन्द्रों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करता है।

(३) शिक्षा कारवां के पुनः स्थापन की कोई योजना नहीं है क्योंकि शिक्षा कारवां की योजना को कभी छोड़ा ही नहीं गया था। बेकार हो जाने के कारण केवल कुछ गाड़ियों को बदलवाना था। इस कार्य के लिए द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना में एक प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया गया था। अब तक केवल दो गाड़ियां बदली जा सकी हैं। दूसरी गाड़ियों को बाद में बदला जायेगा।

(४) इस योजना के अंतर्गत, प्रौढ़ और बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य को प्रोत्साहन देने के हेतु लेखकों को पुरस्कार दिये गये थे। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिताएं होती हैं और लेखकों को पुरस्कार दिये जाते हैं। १९५७—६० के दौरान में ४ पुस्तकों को ५०० रु० प्रति पुस्तक, ६ पुस्तकों को २५० रु० प्रति पुस्तक, १ पुस्तक को ३०० रु० तथा एक और पुस्तक को २०० रु० के—इस प्रकार अर्थात् कुल १२ पुरस्कार दिये गयें। पुस्तकालयों के उपयोग के लिए चुनी हुई पुस्तकों के सेट भी खरीदे जाते हैं।

(ख)

	रुपये
(१)	१,३५,८००
(२)	३५,४००
(३)	७५,४५५
(४)	११,१००

उड़ीसा में दलित वर्ग संघ[1]

†१८८८. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में दलित वर्ग संघ द्वारा किये गये काम का मूल्यांकन करने के लिये एक मूल्यांकन समिति स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). उड़ीसा सरकार द्वारा कोई निर्णय किये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

कालिदास अकादमी, उज्जैन

†१८८९. श्री दी० चं० शर्मा: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि कालिदास की स्मृति में उज्जैन में एक कालिदास अकादमी की स्थापना करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Depressed Classes League.

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

अल्प-बचत योजनायें

†१८९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५९-६० में अल्प-बचत योजनाओं के अधीन कुल कितनी रक़म जमा की गई ; और

(ख) उसी अवधि में अल्प बचत योजनाओं के अधीन कुल कितनी रकम निकाली गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग ३०८.४५ करोड़ रुपये ।

(ख) लगभग २२४.१५ करोड़ रुपये ।

बर्मा में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन

†१८९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन के बारे में भारत सरकार के पास कोई हिसाब-किताब है ;

(ख) यदि हां, तो इस की धनराशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार अभी भी भारतीयों को बर्मा में पूंजी लगाने की आज्ञा देती है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के विदेशी परिसम्पत् और दायित्व के सर्वेक्षण के अधीन इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार वर्ष १९५५ के अन्त में बर्मा में कुल गैर-सरकारी भारतीय परिसम्पत् का मूल्य २६६ लाख रुपये है । इस में निम्नलिखित शामिल है :

(१) भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों के पास परिसम्पत्—२६३ लाख रुपये ।

(२) व्यक्तिगत निवासियों के लिये भारत में बैंकिंग समवायों के एजेन्ट/कस्टोडियन धारक—३ लाख रुपये ।

इन आंकड़ों मे उपरोक्त मद (२) के अतिरिक्त व्यक्तिगत निवासियों के परिसम्पत शामिल नहीं हैं । विनिमय नियंत्रण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९५५ के बाद बर्मा में ३४ लाख रुपये के परिसम्पत् निकाले गये । तथापि, इस में लाभ तथा पूंजी वृद्धि के पुनर्नियोजन से उत्पन्न वर्तमान परिसम्पत् के मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं है जिस के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए, जिस की हमारे औद्योगीकरण के लिये अति-आवश्यकता है, विदेशों में विनिमय की आज्ञा नहीं दी जाती यदि भारतीय विनियोजन निम्नलिखित सीमा से अधिक हो :

(१) भारत से निर्यात की गई भारतीय मशीनों का मूल्य ; और

(२) टेक्निकल फीस अथवा 'जानकारी' आदि के लिये भुगतान के तौर पर, यदि कोई दिये गये हों तो, फ्री शेयरों, का मूल्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बकाया मामले

†१८९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ८, ७, ५, ४, ३ और वर्षों से आज तक क्रमशः कितने केस (असैनिक और आपराधिक) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

नागा विद्रोही

†१८९३. **रघनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नागा नेता अत्तिको कैको, मनीपुर सरकार के भूतपूर्व परामर्शदाता, को उन के गांव माम्रो से नागा विद्रोही उड़ा ले गये और उन के ठौर-ठिकाने के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: ३१-५-१९६० को श्री अथिको दैहो, मनीपुर प्रशासन के भूतपूर्व परामर्शदाता, को, जब वे अपनी प्राइवेट जीप गाड़ी में तुंगजय गांव से माम्रो वापस आ रहे थे, नागा विद्रोही तदूबी गांव से उठा कर ले गये । विद्रोहियों ने २१ जून को उन को छोड़ दिया ।

दिल्ली में हरिजनों को सहायता

१८९४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में हरिजनों को मकान बनाने के लिये कितनी सहायता दी गई ;

(ख) यह सहायता कितने मकानों के लिये दी गई ;

(ग) इस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(घ) कितने प्रार्थी सहायता के पात्र थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) ८,२७,३३१ रुपये ।

(ख) से (घ). ८०१३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन में से १४२६ प्रार्थी सहायता के पात्र समझे गये और उन को मकान बनाने के लिये सहायता दी गई ।

दिल्ली में क्षय रोगियों को हरिजन कल्याण बोर्ड की सहायता

१८९५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्षय रोगियों को हरिजन कल्याण बोर्ड ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के कितने समय बाद यह राशि दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) सहायता विहित औषधियों और भोजन के रूप में दी जाती है और इस के लिये १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० वर्षों में ३,२०० रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई है ।

(ख) पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के पश्चात् लगभग तीन मास में ।

आन्ध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१८९६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडियम के निकट लौह-अयस्क के निक्षेपों के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है ;

(ख) इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या यह सर्वेक्षण राज्य के अन्य भागों में भी शुरू किया जायेगा ;

(घ) क्या खनिजों की खोज के लिये कोई पट्टा दिया गया है ; और

(ङ) क्या खनन कार्य शुरू हो गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां । १९५७-५८ में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने वारंगल जिले में कोठागुडियम के निकट कुछ गांवों में लौह अयस्क पाये जाने के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था । पहाड़ी की दक्षिणी ढलान पर, निलंचा गांव के दक्षिण में दो मील के फासले पर लैन्स (lens) के आकार के हैमाटाइट की पट्टी मिली है जिस की तह औस्तन २० फुट मोटी है । यह पट्टी ९०० फुट की दूरी तक चली गई है और ३०० फुट तक गहरी है । इस पट्टी में पाया जाने वाला लौह-अयस्क मिश्रित श्रेणी का है । अनुमान है कि यहां पर ३६०,००० टन 'इन सितू' (*in situ*) अयस्क और ९२,९२० टन फ्लोट (float) अयस्क का भंडार है ।

उतला, तेत्रेयपल्ली और गोपालपुर गांवों के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों में निचली श्रेणी का लौह-अयस्क मिलता है जो मेग्निटाइट-हेमीटाइट क्वार्टजाइट्स' की पट्टियों के रूप में पाया जाता है और इस में २२ प्रतिशत से २८ प्रतिशत तक लोहे का अंश होता है । अनुमान है कि यहां ४ करोड़ टन का भंडार है ।

(ग) जी हां । राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी क्रमबद्ध रूप से नक्शे आदि बनाने, खनिजों की जांच तथा भूमिगत पानी के सम्बन्ध में भूतत्वीय सर्वेक्षण तथा इंजीनियरिंग भूतत्वीय-विज्ञान सम्बन्धी कार्यों को हाथ में लिया जायेगा ।

(घ) और (ङ). राज्य के लौह-अयस्क वाले विभिन्न भागों में बहुत से पट्टे दिये हुए हैं । येलान्डू तालुके के लौह-अयस्क वाले क्षेत्र में इस समय ८ पट्टे दिये हुए हैं ।

जिन इलाकों में पट्टे दिये हुए हैं वहां खनन कार्य भी हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Magnetite hematite-quartzites.

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†१८९७. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: १३७ (अप्रैल से जुलाई, १९६० तक चार महीनों के दौरान) ।

इण्डोचीन में भारतीय सैनिक-दल

†१८९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडोचाइना में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण आयोग के अन्तर्गत कितने भारतीय सैनिक हैं ।

(ख) वहां पर उन का कार्य-काल कितना होता है ;

(ग) क्या उन्हें वहां पर कुछ विशेष शर्तों पर भेजा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १ अगस्त, १९६० को २११ ।

(ख) इंडोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियंत्रण आयोग में हमारे सैनिकों का कार्य-काल सामान्यतः नौ महीनों का होता है । किन्तु विशेष मामलों में इस कार्य-काल को बढ़ा कर दो वर्ष तक किया जा सकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

इंडोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियंत्रण आयोग के साथ काम करने वाले भारतीय सैनिकों को डाक तार की सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष बातों की सुविधा है :—

(१) पद के अनुसार ५.०० रु० से ले कर २५० रु० महीने तक घर से बाहर रहने का भत्ता ।

(२) पदाधिकारियों के मासिक वेतनों में से भारतीय आयकर की कटौती के स्थान पर १-४-१९५९ से अतिरिक्त प्रतिकर भत्ता ।

(३) पदाधिकारियों के नीचे के कर्मचारियों में जे० सी० ओ० को प्रति मास २० रु० और अन्य व्यक्तियों को १५ रु० प्रति मास की दर से विशेष इंडोचीन प्रतिकर भत्ता ।

(४) निःशुल्क भोजन और आवास ।

(५) होटलों में न रहने वाले पदाधिकारियों को निःशुल्क स्थानीय नौकर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाहाबाद, बिहार में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड

†१८९९. { श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के शाहाबाद जिले को अनुसूचित क्षेत्र घोषित न करने के बावजूद सरकार ने वहां पर तीन बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड खोलने की मंजूरी किन कारणों से दी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : शाहाबाद जिले में केवल दो विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड हैं जिन में से एक का मुख्य कार्यालय अघौरा में है और दूसरे का नौहट्टा में। विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही नहीं खोले जाते। इन पिछड़े हुए इलाकों को, जहां पर अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की सिफारिश पर ये खंड स्थापित किये गये हैं।

चंडीगढ़ छावनी

†१९००. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में छावनी के लिये कितना इलाका हासिल किया जा रहा है, वहां कितने सैनिक रखे जायेंगे और वहां कौन कौन से कार्यालय स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) क्या छावनी का कार्य पूरा करने और सैनिकों को वहां पर रखने के लिये कोई तिथि निर्धारित की गयी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). इस प्रकार के सैनिक प्रतिष्ठान के बारे में इस किस्म की जानकारी देना लोक-हित के विरुद्ध है।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान द्वारा उम्मीदवारों का इन्टरव्यू

†१९०१. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिन का नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान ने १९५९-६० में विदेशों में जिनका इन्टरव्यू किया; और

(ख) इस कार्य पर कितना धन व्यय किया गया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ४० उम्मीदवार।

(ख) इन इन्टरव्यू पर होने वाले व्यय का अलग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह सभापति द्वारा किये गये बहुत से कार्यों में से एक कार्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय प्रबन्ध-शिक्षा विशेषज्ञ

†१९०२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय प्रबन्ध-शिक्षा विशेषज्ञों की, जो संयुक्त राज्य अमरीका में वहां पर प्रबन्ध शिक्षा का अध्ययन करने गये थे, रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन सभी सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग). भारतीय प्रबन्ध-शिक्षा विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट पर पहले अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद के प्रबन्ध-शिक्षा बोर्ड द्वारा विचार किया गया था । इसके पश्चात् रिपोर्ट पर, बोर्ड की सिफारिशों सहित, अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद की समन्वय समिति द्वारा विचार किया गया ।

दल और समन्वय समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०**] । केन्द्रीय सरकार ने समन्वय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

आई० सी० एस० पदाधिकारी

†१९०३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० एस० पदाधिकारियों के कार्यकाल में निर्बाध वृद्धि की जाती है;

(ख) क्या आई० सी० एस० पदाधिकारियों के कार्य-काल में वृद्धि करते समय कोई भेद-भाव किया जाता है; और

(ग) १९४७ के पश्चात कितने आई० सी० एस० पदाधिकारियों के कार्य-काल में वृद्धि की गयी और ऐसे कितने पदाधिकारी थे, कार्य-काल में वृद्धि के लिये जिनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पं० गो० ब० पन्त) :** (क) आई० सी० एस० पदाधिकारियों के कार्य-काल में उसी प्रकार से वृद्धि की जाती है जैसे कि अन्य कर्मचारियों को दी जाती है, यदि सरकार को यह सन्तोष हो जाये कि यह वृद्धि लोक-हित में है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) ७ व्यक्तियों को वृद्धि दी गयी ।

१ व्यक्ति को इन्कार किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगानगर में भूतपूर्व सैनिक

१९०४. श्री पा० ला० बारूपाल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२७ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में १ दिसम्बर, १९५९ को पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में नहर के पानी से सींची जाने वाली जमीन को देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त ९७३ प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) तथा (ख). राजस्थान के, गंगानगर ज़िला के, नहरी क्षेत्र में, भूमि दिये जाने के, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ९७३ प्रार्थना-पत्रों में से, अब तक, राज्य सरकार द्वारा, ३८४ रद्द और १९८ स्वीकार किये गये हैं। शेष प्रार्थना पत्र अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। योजना सर्वथा राज्य सरकार के शासन में है।

बम्बई के मिल मालिकों पर बकाया कर की राशि

†१९०५. श्री वासुदेवन् नायर : क्या वित्त मंत्री २४ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मिल-मालिकों से ३१ जुलाई, १९६० तक कोई धनराशि वसूल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि वसूल की गयी है; और

(ग) बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) ४१,१८,४६५ रुपये।

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये विभिन्न नियमों के अनुसार पग उठाये जा रहे हैं।

भारत के सरकारी पुरालेखविद्[1] का कार्यालय

†१९०६. श्री नरसिंहन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सरकारी पुरालेखविद् के कार्यालय में कितने गजेटेड पदाधिकारी हैं;

(ख) वे किसी भाषा और लिपि के ज्ञाता हैं;

(ग) विभिन्न भाषाओं में पुरालेख का कितना कार्य है;

(घ) वहां लगाये गये पदाधिकारियों से उसका क्या अनुपात है; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिये व्यक्ति पर्याप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Epigraphist.

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) छः।

(ख) (१) भाषा :

संस्कृत, प्राकृत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत ।

(२) लिपि :

ब्राह्मी, खरोष्ठी, द्राविडी, कुशाण, ब्राह्मी, गुप्त, बोक्स-हैडिड, नेल-हैडिड, शारदा, पल्लव-ग्रन्थ, भैकयुकी, वेत्तालटू, कुटिल, कन्नड, तेलुगु, तमिल, देवनागरी, नन्दी-नागरी, बंगाली, उडिया, गुजराती, देवशेषा, टकारी आदि ।

(ग) १. **उत्तर भारतीय भाषायें** :

लगभग १०,००० लेख ।

२. **दक्षिण भारतीय भाषायें** :

लगभग ३३,००० लेख ।

(घ)	१. कार्यालय का प्रधान . .	१ गजेटेड पदाधिकारी २. गजेटेड पदाधिकारी
	२. उत्तर भारतीय भाषायें . .	२ नान-गजेटेड असिस्टेंट
	३. दक्षिण भारतीय भाषायें . .	३ गजेटेड पदाधिकारी ५ नान-गजेटेड असिस्टेंट ।

(ङ) जी, हां, इस समय पर्याप्त हैं ।

अन्दमान में सहायक आयुक्त की नियुक्ति

†**१६०७. सरदार अ० सिंह० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निकोबार के सहायक आयुक्त के पद को स्थानीय प्रशासन के एक गैर-राजस्व पदाधिकारी की पदोन्नति करके अस्थायी तौर पर भरा गया है ;

(ख) क्या इसी व्यक्ति को पहले तहसीलदार के पद के लिये तीन बार इंकार किया गया था और क्या यह वही पदाधिकारी है जिसे मुख्य आयुक्त ने डिप्टी कलेक्टर के लिये प्रशिक्षण देने को चुना था और सरकार ने यह चयन रद्द कर दिया था ; और

(ग) स्थानीय राजस्व पदाली के किसी पदाधिकारी को यह पद क्यों नहीं दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां । जब इस पद के पदाधिकारी छुट्टी पर चले गये तो पूर्ति पदाधिकारी को कार निकोबार के सहायक आयुक्त के पद पर लगाया गया । यह कोई पदोन्नति नहीं थी बल्कि छुट्टी के परिणाम-स्वरूप खाली हुये एक पद को भरने के लिये अस्थायी व्यवस्था थी ।

(ख) इस पदाधिकारी ने तहसीलदार के पद के लिये दो बार आवेदन किया और इन दोनों ही अवसरों पर उनके बारे में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती थी । अतः उनके रद्द किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अन्दमान प्रशासन ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये सहायक आयुक्तों की एक पदाली बनाने का प्रस्ताव किया था और इस बारे में यह सुझाव दिया था कि पूर्ति अधिकारी के पद वाले पदाधिकारियों को सहायक

†मूल अंग्रेजी में

आयुक्त का प्रशिक्षण दिया जाये। तथापि, भारत सरकार द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये सहायक आयुक्त की पदाली बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

(ग) यह केवल अल्पकालीन व्यवस्था थी जिसमें एक द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी को अन्य द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्य करने को भेजा गया। छुट्टी के फलस्वरूप रिक्त हुये स्थान में लगाने के लिये स्थानीय राजस्व पदाली का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी उपलब्ध नहीं था।

खोपरा और सुपारी की बिक्री

†१९०८. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७३ के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकौवरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा १५ जनवरी, १९५९ से अब तक आकूजी जैदवेर एंड कम्पनी की डूंडास प्वाइंट आयल मिल को पेरने के लिये कितना खोपरा दिया गया है ; और

(ख) उस खोपरे को पेरने के लिये तेल मिल ने क्या शुल्क वसूल किया ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १५ जनवरी, १९५९ से ३१ मई, १९५९ तक कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकौवरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा डूंडास प्वाइंट आयल मिल को पेरने के लिये क्रमशः ३४२१० पौंड और ५७५३० पौंड खोपरा दिया गया। ३१ मई, १९५९ के बाद मिल ने कोई खोपरा नहीं पेरा।

(ख) मिल ने ४५ रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क वसूल किया।

हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें

†१९०९. { श्री नेक राम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में (जिलेवार) शराब की कितनी दुकानें हैं ;

(ख) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी शराब की खपत हुई ; और

(ग) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ की अपेक्षा इस मात्रा में वृद्धि हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) हिमाचल प्रदेश में जिलेवार शराब की दुकानों की संख्या निम्न प्रकार है :

जिले का नाम	शराब की दुकानों की संख्या
महासु और किन्नौर	६९
सिरमूर .	५
मंडी	६५
चम्बा	५०
कुल . . .	१८९

†मूल अंग्रेजी में

बिलासपुर जिले में मद्य-निषेध होने से, उस क्षेत्र में शराब की कोई दुकान नहीं है।

(ख) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में शराब की खपत की मात्रा निम्न प्रकार रही :

वर्ष	शराब की खपत (गैलनों में)
१९५८–५९ . . .	३८,८५२·३१
१९५९–६०	४०,९२५·१३

(ग) वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ के दो वर्षों में शराब की ८८,०८०·४२ गैलन की खपत की अपेक्षा वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में ७९,७७७·४४ गैलनों की खपत हुई जो कि ८,३०२·९८ गैलन कम है।

मद्य-निषेध

†१९१०. { श्री नेक राम नेगी ।
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की नीति पूर्ण रूप से मद्य-निषेध करने की है ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगा ;

(ग) क्या सरकार ने शराब की दुकानों में कमी कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कमी की गयी है और यह कमी किस स्थान पर की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां। परन्तु धीरे धीरे।

(ख) (१) वर्ष प्रति वर्ष देश के शराब के वार्षिक अभ्यंश में कमी की जाती है और धीरे धीरे मूल्य बढ़ाये जाते हैं।

(२) कुछ स्थानों को शुष्क-क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

(३) वर्ष १९५९ में सब होटलों/अल्पाहार गृहों को दिये गये छूट के प्रमाण पत्र वापस ले लिये गये हैं।

(४) मादक वस्तुओं के प्रयोग संबंधी सब प्रकार के विज्ञापनों के मुद्रण, प्रकाशन अथवा प्रदर्शन पर नवम्बर, १९५९ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

(५) मद्य-निषेध नीति की सफलतापूर्वक कार्यान्विति के लिये प्रशासन को परामर्श देने के लिये प्रत्येक जिले में एक राज्य मद्य निषेध बोर्ड और एक जिला मद्य-निषेध समिति बनायी गयी हैं जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) जी, हां। निम्नलिखित शराब की दुकानों को वर्ष १९५४–५५ से बन्द कर दिया गया है।

महासू जिला

(१) तारा देवी, तहसील कासुम्पती में विदेशी शराब की दुकान।

(२) आरकी में अनतम तथा पलोग में देसी शराब की दो दुकानें।

(३) सूनी की सब तहसील में माधोलघाट में देसी शराब की एक दुकान।

(४) सोलन तहसील में लुनहारी के स्थान पर देसी शराब की एक दुकान।

(५) कुसम पति तहसील में नलहट्टी में देसी शराब की एक दुकान।

(६) तहसील रामपुर में रालनगर खरा रापी में देसी शराब की एक दुकान।

(७) रोहरू तहसील में केस्ती, कहासा, चान्पारी, रिस्वायी और कवास में देसी शराब की पांच दुकानें।

मण्डी जिला

(१) परनाल की देसी शराब की दुकान।

(२) मंडी में लाडाकी देसी शराब की दुकान।

(३) राजगढ़ की देसी शराब की दुकान।

(४) जुगिन्दर नगर तहसील में लगना की देसी शराब की दुकान।

(५) जुगिन्दर नगर तहसील में कावा देसी शराब की दुकान।

(६) सुन्दर नगर तहसील में नेहरा में देसी शराब की दुकान।

१८७३ के विनियम १ का निरसन

†१९११. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के पारित हो जाने के बाद स्पिति पर लागू होने वाले १८७३ के विनियम संख्या १ का निरसन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अधिनियम तथा पंजाब सरकार के अधिनियम अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र पर भी लागू होते हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्पिति क्षेत्र में भोती की शिक्षा

†१९१२. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब राज्य सरकार की ओर से स्पिति के प्राइमरी स्कूलों में भोती की शिक्षा के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव पहले ३१ अगस्त, १९५९ को प्राप्त हुआ था, परन्तु उसके आवश्यक पूरे ब्योरे १२ फरवरी, १९६० को प्राप्त हुये हैं। १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये कार्यान्विति की मंजूरी के बारे में राज्य सरकार को १ मार्च, १९६० को सूचित किया गया था।

जारडाइन हेंडरसन लिमिटेड का मामला

†१९१३. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ९ अप्रैल और २५ मई, १९६० को ब्लिट्ज में श्री जे० सी० ए० बोवी, जारडइन हेंडरसन लिमिटेड और माथेसन एंड को लिमिटेड के विरूद्ध प्रकाशित आरोपों को पढ़ा है ;

(ख) क्या सरकार १ जून, १९५२ से ३० जून, १९६० तक इन तीनों की ली गयी तलाशियों के चलाये गये अभियोगों, किये गये जुर्मानों आदि के संबंध में सम्पूर्ण ब्योरा देगी और

(ग) उनके विरूद्ध और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]।

(ग) सीमा प्रशुल्क संबंधी कोई भी मामला लम्बित नहीं है। जहां तक विदेशी मुद्रा के विनियमनों के उल्लंघन का सम्बध है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रादेशिक सेना

†१९१४. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने नियमित सेना पदाधिकारियों ने १९५० से प्रादेशिक सेना रेजिमेंटों में सेवा की है ;

(ख) उनमें से कितने इमर्जेंसी कमिशन्ड पदाधिकारी थे, कितने शार्ट सर्विस रेग्युलर कमिशन्ड और कितने नान रेग्युलर कमिशन्ड पदाधिकारी थे ; और

(ग) बाद में उनमें से कितने पदाधिकारियों की निचली श्रेणी में पदावनति की गयी और किन कारणों से वैसा किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नियमित सेना के ५७३ विभिन्न पदाधिकारियों ने १९५० से प्रादेशिक सेना में सेवा की।

(ख) उनमें से २४३ इमर्जेंसी, शार्ट सर्विस रेग्यूलर और टेम्परेरी कमीशन्ड पदाधिकारी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित पदाधिकारियों में से १७ पदाधिकारियों की प्रादेशिक, सेना रजिमेंटों से अनुशासन के आधार पर या पेशे संबंधी कार्यक्षमता की कमी या ऊंची श्रेणी में रिक्त स्थानों की कमी के कारण, निचली श्रेणियों में पदावनति की गयी।

कलकत्ते के 'टेक्समेको' फैक्टरी में विस्फोट

†१९१५. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के 'टेक्समेको' फैक्टरी (टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन फैक्टरी) की भट्ठी में अभी हाल के विस्फोट के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पहली जांच में यह मालूम हुआ कि प्रतिरक्षा विभाग के कुछ 'शेल' भट्ठी के नजदीक थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार को सूचित किया गया है कि एक विस्फोट हुआ।

(ख) जी हां, सरकार को यह मालूम हुआ है।

(ग) २४ परगना के जिला न्यायाधीश के आदेश से बैरकपुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विस्फोट का कारण मालूम करने के लिये जांच कर रहे हैं।

"टेक्नीकल मैनपावर"

†१९१६. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टेक्नीकल मैनपावर" के पहले अंक की क्या तारीख है ;

(ख) इस पत्रिका में क्या क्या प्रकाशित किया गया ;

(ग) क्या यह पत्रिका अभी भी प्रकाशित होती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वह क्यों बन्द कर दी गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जनवरी, १९५९।

(ख) इस पत्रिका में वैज्ञानिक और शिल्पिक व्यक्तियों के नैशनल रजिस्टर तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक जनशक्ति की समस्याओं पर टिप्पणियां, आंकड़े और आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी जानकारी दी हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रकाशन के रूप और सामग्री में सुधार करना आवश्यक समझा गया है ताकि उसका प्रयोजन ठीक तौर पर पूरा हो सके और आशा है कि शीघ्र ही उसका प्रकाशन फिर चालू हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अस्पृश्यता निवारण

†१९१७. { श्री वें० च० मलिक :
श्री संगण्णा :
श्री कुंभार : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के दलित वर्ग संघ (डिप्रेस्ड क्लासेज लीग) ने अभी अभी हाल में उड़ीसा राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि वह प्रचार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिये केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष से सहायता न ले ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी, हां। सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और उसमें आधा हिस्सा राज्य सरकार का और आधा केन्द्रीय सरकार का होता है।

(ख) लीग ने राज्य सरकार को जो कारण बताया है वह "विभिन्न दिशाओं से निन्दनीय रूकावटें" हैं।

राज्य बैंक की शाखायें खोलना

†१९१८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इंडिया) ने दूसरी योजना अवधि में उड़ीसा में अपने हिस्से की सारी शाखायें खोल दी हैं ;

(ख) उड़ीसा में जिले वार आज की क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले उड़ीसा के सम्बलपुर और ढेनकानल जिलों के उप-विभागीय मुख्य कार्यालय स्थानों में इसी तरह की शाखायें खोली जायेंगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जून, १९६० के अन्त तक भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ की धारा १६(५) के अधीन उड़ीसा के २८ केन्द्रों में से २५ केन्द्रों में भारत के राज्य बैंक ने शाखायें खोली हैं।

(ख) उड़ीसा में जिलेवार उन स्थानों के नाम, जहां भारत के राज्य बैंक की शाखायें हैं, बताने वाली एक सूची सभा पट पर रख दी गयी है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]।

(ग) राज्य बैंक ने शाखायें खोलने के लिये सम्बलपुर और ढेनकानल जिलों के शेष उप-विभागीय केन्द्रों में से किसी को अब तक स्वीकृत नहीं किया है।

हिन्दी शिक्षा योजना

१९१९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय में कितने कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीख ली है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने कर्मचारी हिन्दी के काम में लगाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जो कर्मचारी हिन्दी के काम में नहीं लगाये जाते वे कुछ समय बाद जो थोड़ी-बहुत हिन्दी उन्होंने सीखी थी उसे भूल जाते हैं ; और

(घ) क्या गृह-कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हिन्दी में किया जा सकता हो और जिसे उन कर्मचारियों को सौंपा जा सके जिन्होंने नई-नई हिन्दी सीखी हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १११.

(ख) से (घ). हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों से अपने-अपने अनुभागों में हिन्दी का पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्य करने की आशा की जाती है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्र

१९२०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम राज-भाषा आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से गृह मंत्रालय और उस के अधीनस्थ विभागों में कितने प्रपत्र प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) उन में से कितने प्रपत्रों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है ;

(ग) कितने प्रपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में इकट्ठे छपते हैं ; और

(घ) शेष प्रपत्रों का हिन्दी में अनुवाद कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का एक विवरण अनुबद्ध है ।

विवरण

१. पत्रों व स्मारक इत्यादि के मसौदे के फार्म
२. स्मृति-पत्र फार्म
३. अधिग्रहण फार्म
४. विवरण फार्म
५. अनेक प्रकार के रजिस्ट्रों के फार्म
६. चपरासी-पुस्तक के फार्म
७. प्राप्ति-स्वीकार के फार्म
८. आकस्मिक वाउचर के फार्म
९. अनेक प्रकार की चिटों/पताकाओं के फार्म
१०. आकस्मिक बिल के फार्म

†मूल अंग्रेजी में

११. फाइल-कवर फार्म

१२. मुद्रालय अधिग्रहण फार्म

१३. एन्गेजमेन्ट फार्म

१४. गुप्त रिपोर्ट फार्म

१५. डेस्क कलेन्डरकेस रिफिल कार्ड और एन्गेजमेन्ट डायरी के फार्म

१६. डाक्टरी के फार्म

१७. खजाने के फार्म

नोट :—अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तथा (ग). केवल थोड़े से ।

(घ) राष्ट्रपति के दिनांक २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के १४वें परिच्छेद के अनुसार अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा के प्रयोग के लिये जो योजना तैयार की जा रही है उसके अन्तर्गत इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

हिन्दी के काम के लिये कर्मचारी

१९२१. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कितने असिस्टेंट, क्लर्क और अनुवादक आदि हिन्दी का काम करने के लिये इस समय नियुक्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन में से बहुत से कर्मचारियों को प्राय : उनके विशेष कार्यों से मुक्त कर दिया जाता है और कार्यालय में अन्य अंग्रेजी का कार्य करने के लिये लगा दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) असिस्टेंट—६

क्लर्क—६

आशुलिपिक—६

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्य का हिन्दी में किया जाना

१९२२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय के कम से कम एक अनुभाग में प्रयोग के तौर पर सारा काम हिन्दी में करने के लिये कोई योजना विचाराधीन है : और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी और गृह-कार्य मंत्रालय के कितने अनुभागों में हिन्दी का काम प्रयोग के तौर पर आरम्भ करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेताजी के आन्दोलन सम्बन्धी सामग्री

†१९२३. { **श्री सु० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आन्दोलन के संबंध में किस प्रकार की सामग्री सरकार के पास है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास ऐसे अनेक प्रतिवेदन हैं जिन में आजाद हिन्द फौज (इंडियन नैशनल आर्मी) की कार्यवाहियों का वर्णन है, और उस फौज के नेताओं के भाषणों और रेडियो भाषणों की प्रतिलिपियां जैसी सामग्री भी है । मंत्रालय के पास आजाद हिन्द फौज के मुकदमों के अभिलेख भी हैं ।

"एम० वी० दया"

†१९२४. { **श्री सु० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एम० वो० दया" नौका १९५७ में तीन बार नानकौरी से कारनिकोबार, बन्दरगाह से माल ले जाने के अनुमति पत्र के बिना ही, माल ले गयी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत का सर्वेक्षण विभाग, देहरादून

†१९२५. { **श्री सु० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में हाथी बुरकोला में भारत के सर्वेक्षण विभागों में आग का मुकाबला करने के लिए अपनी निजी व्यवस्था है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो आग का मुकाबला करने वाले यूनिट में कितने कर्मचारी हैं और उस पर वार्षिक खर्च कितना होता है ;

(ग) क्या हाथी बुरकोला में तालाबों में मिट्टी जम गयी है । और वे काफी समय से बिना सफाई और मरम्मत के उसी तरह पड़े हुए हैं ; और

(घ) यदि हां तो तालाबों की मरम्मत और मिट्टी की सफई के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां । छोटी आग का सामना करने के लिए वह पर्याप्त है ।

(ख) केवल आग का सामना करने के लिए विशेष कर्मचारी नहीं हैं । किन्तु कुछ कर्मचारियों को बारी बारी से आग का मुकाबला करने के काम पर तैनात किया जाता है, और प्रशिक्षण दिया जाता है । आग-कवायद (फायर ड्रिल) आदि पर करीब ५०० रुपया साल खर्च किया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दो तालाबों में से एक में सूराख हो गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस तालाब की मरम्मत करने के लिए कहा गया है ।

फरीदाबाद में बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†१९२६. **श्री वं० च० मल्लिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में बहरों को विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने को परियोजना के लिए जमीन नियत की जा चुकी है जिस के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गयी थी ; और

(ख) यदि हां तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) वयस्क बहरों के प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए फरीदाबाद में लगभग ८.६८ एकड़ जमीन पुनर्वास मंत्रालय ने अलग रखी थी ।

(ख) फरीदाबाद में वयस्क बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस बीच समाप्त कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†१९२७. { **श्री स० र० अरुमुगम् :**
श्री गणपति : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों को अच्छी सफाई, पानी और बिजली की सुविधाओं वाले अच्छे मकान देकर उन्हें बसाने की किसी वैकल्पिक योजना की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). जी हां। जनवरी, १९६० में राज्य सरकार से इस प्रस्ताव का पूरा पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। आवश्यक ब्यौरा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्था, जमशेदपुर

†१९२८. श्री संगण्णा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमशेदपुर की प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्था को भारत सरकार से प्रतिवर्ष कोई वित्तीय सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो सालाना कितनी ;

(ग) क्या ऐसा कोई आदेश है कि वह अन्य राज्यों के छात्रों को भरती करे ;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को कितना कोटा दिया गया है ;

(ङ) क्या उड़ीसा के लिए दिया गया कोटा हर साल पूरा किया जाता है ;

(च) यदि भाग (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के क्या कारण हैं ;

(छ) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है कि उस राज्य के छात्रों को उसे दिये गये हिस्से के अनुसार नहीं भरती किया जाता ; और

(ज) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ज). देश के विभिन्न भागों में जो आठ प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जा रहे हैं उन में से एक जमशेदपुर की प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्था है । इसे केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है और केन्द्रीय सरकार ने इमारतों और साज सामान पर पूरा अनावर्त्तक व्यय और पहले दौर में पांच साल तक ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय देना मंजूर कर लिया है ।

प्रादेशिक कालेजों के लिए निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार जमशेदपुर संस्था को बिहार के छात्रों के लिए अधिक से अधिक ५० प्रतिशत स्थानों (सीट) का उपयोग करना होता है । बाकी में से कम से कम ३० प्रतिशत स्थान उस प्रदेश में अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध किये जाने चाहियें और २० प्रतिशत स्थान देश के सभी भागों के छात्रों के लिए खुले हुए होने चाहियें ।

संस्था ने अभी अभी काम करना शुरू किया है ।

संस्था के निदेशकमंडल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) ने यह निर्णय किया है कि चालू वर्ष में, उस प्रदेश में अन्य राज्यों के लिए रखी गई सीटों में से ३० प्रतिशत आसाम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बराबर-बराबर बांटी जायें । इस संस्था में सालाना २५० छात्रों को भरती करने का निश्चय किया गया है । अतः इस वर्ष उड़ीसा के लिए २५ सीटें रखी गयी हैं ।

पूर्वी प्रदेश के राज्यों के लिए रखी गयी सीटों पर इस संस्था में भरती उस प्रयोजन के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा के आधार पर की गयी थी । योग्यता के लिए न्यूनतम अंक लगभग ५० प्रतिशत रखे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा से १०४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । केवल सात छात्रों को योग्यता अंक प्राप्त हुए । इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्णय किया कि करीब २५ अंकों का विशेष गुरुभार दिया जाये जिससे कि उड़ीसा से योग्य विद्यार्थी अधिक से अधिक लिये जा सकें। इस आधार पर और १४ छात्रों का साक्षात्कार किया गया और १३ को चुना गया ।

उड़ीसा के छात्रों को इस संस्था में प्रवेश न मिलने के विषय में उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन या शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

†१६२६. **श्री सिद्दय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके लिए कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) "राष्ट्रीय विज्ञान दिवस" मनाने के बारे में अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिश का परीक्षण परिषद् की एक उप-समिति कर रही है जो इस योजना का ब्यौरा भी तैयार कर रही है । अभी यह विषय सरकार के सामने नहीं आया है ।

तेल का मूल्य

†१६३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तेल के मूल्य के संबंध में एक योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का भारत सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

विभागीय उपाहार-गृह (कैन्टीन)

†१६३१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीन कौन कौन से कार्यालय ऐसे हैं जिन के दिल्ली में अपने निजी विभागीय उपाहारगृह हैं; और

(ख) क्या कोई उपाहार गृह घाटे में चल रहा है और वे कौन कौन से हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क)
१. कृषि विभाग
२. हवाई अड्डा पदाधिकारी का कार्यालय, सफदरजंग हवाई अड्डा, नयी दिल्ली,
३. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
४. प्रतिरक्षा मंत्रालय
५. संभरण और निबटान महा निदेशक का कार्यालय
६. डाक तथा तार महा निदेशक का कार्यालय
७. खाद्य विभाग
८. वित्त मंत्रालय
९. गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस , नयी दिल्ली
१०. गृह-कार्य मंत्रालय
११. स्वास्थ्य मंत्रालय
१२. श्रम और रोजगार मंत्रालय
१३. खाद्य प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय
१४. प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग
१५. संघ लोक सेवा आयोग ।

(ख) केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की कैन्टीनों को १९५९-६० में घाटा हुआ। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय कैन्टीन के लेखे अंतिम रूप से अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

नये विश्वविद्यालय

†१९३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री ३० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पांच नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

पांच नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

(१) **बर्दवान विश्वविद्यालय** : बर्दवान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५९, १५ जून, १९६० से लागू हुआ है और उस तारीख से इस विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) **कल्याणी विश्वविद्यालय :** कल्याणी विश्वविद्यालय अधिनियम आज से अर्थात् १ सितम्बर, १९६० से लागू हो रहा है। तदनुसार पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी की जा रही है।

(३) **दार्जिलिंग विश्वविद्यालय :** दार्जिलिंग में विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(४) और (५). **मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय :** उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दो विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिये हैं। आयोग ने मेरठ और कानपुर में संबद्ध तथा अध्यापन विश्वविद्यालयों की स्थापना की सलाह दी है और आगे कुछ सुझाव भी दिये हैं जिनके ब्यौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के प्रस्ताव को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार दफ्तर

†१९३३. **श्री बं० च० मल्लिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपंग व्यक्तियों के लिये १९६०–६१ में रोजगार विकास कार्यक्रमों के अधीन दो रोजगार दफ्तर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां। अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार ढूंढ़ने के कार्यक्रम के अधीन यह प्रस्ताव है।

(ख) वयस्क अंधों को नौकरी दिलाने के लिये मद्रास में १९५४ से जो रोजगार दफ्तर काम कर रहा है उसे ही अपंग व्यक्तियों के लिये जिनमें बहरे और विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, रोजगार दफ्तर के तौर पर बढ़ाने का विचार है। इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसी तरह का एक रोजगार दफ्तर दिल्ली में भी खोलने का विचार है जिसका ब्यौरा पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशक के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

हथियार लाइसेंस

†१९३४. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्र अधिनियम पारित करने से ठीक पहले विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के हथियारों के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ख) इस अधिनियम के पारित होने से छै महीने पहले उसी अधिनियम के अधीन कितने लाइसेंस रद्द किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शब्दावली

†१९३५. श्री स० र० अरुमुगम् : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शब्दावली के लिये शब्द छांटने के लिये अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) इस योजना में सहायता करने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों से लेक्चरारों और प्रोफ़ेसरों के लिये रेलवे और विमान भाड़े के लिये यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दी के प्रचार और विकास के लिये और हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली तैयार करने के लिये शिक्षा मंत्रालय में वर्ष १९५२ में केन्द्रीय कर्मचारियों का एक विशेष हिन्दी यूनिट बनाया गया था। इन कर्मचारियों में समय समय पर वृद्धि की गई और इसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि इसमें अंग्रेजी दस्तावेजों आदि का अनुवाद और हिन्दी में वैज्ञानिक और प्रविधिक शब्दावली का एक शब्दकोष तैयार करने का काम शामिल किया जा सके। इस कार्य के सम्पादन के लिये १-३-१९६० से एक पृथक् कार्यालय—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, जो कि उप कार्यालय के स्तर का है, स्थापित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी यूनिट और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रविधिक और अनुसन्धान कर्मचारियों पर कुल व्यय की राशि लगभग २२,९०,००० रुपये है।

(ख) इस कार्य के लिये नियुक्त वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के विभिन्न गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के रूप में अब तक ३,८३,९७४ रुपये दिये गये हैं।

मद्रास राज्य में महिला शिक्षकों के लिये मकान

†१९३६. श्री स० र० अरुमुगम् : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में वर्ष १९५९-६० में और अब तक महिला शिक्षा के लिये आवंटित निधि में से नगरीय और ग्राम्य—दोनों क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ख) मद्रास सरकार ने महिला शिक्षा के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत अन्य योजनाओं को क्यों स्वीकार नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) निम्नलिखित योजनाओं के अधीन बनाये गये क्वार्टर :

	१९५९–६०	अब तक
(१) लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय पुरस्कृत योजनायें	२२	२२
(२) शिक्षित बेरोजगारी दूर करने और प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना	२१	२१

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत लड़कियों की शिक्षा के लिये अन्य उपयोजनायें उपरोक्त क (१) के अधीन हैं। यह राज्य सरकार पर है कि वह योजना के लिये केन्द्र द्वारा आवंटित विधि के भीतर किसी भी स्वीकृत योजना को चुने। मद्रास सरकार ने अन्य योजनाओं को सम्भवतः इसलिये नहीं चुना है कि स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुये उनकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†११३७. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री तंगामणि :
श्री राधा रमण : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान के किसी आदमी के नाम हो जाने पर वह किरायेदार से पांच वर्ष तक मकान खाली नहीं करा सकता है यद्यपि उसे इसकी अपने लिये आवश्यकता ही क्यों न हो ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक सरकारी कर्मचारी, जैसे ही उसको किसी प्रकार कोई मकान मिल जाता है, सरकारी आवास को नहीं रख सकता; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त उपबन्धों के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के बारे में इस भेदभाव को मिटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) एक सरकारी कर्मचारी को, जब तक कि उसे, उसकी पत्नी को, माता-पिता को या बच्चों को प्राप्त मकान का खाली कब्जा नहीं मिलता, उसे सरकारी मकान का आवंटन अथवा पुनरावंटन किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

सागर छावनी

†१९३८. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक अस्पताल और सजालय बनाने के लिये सागर में छावनी क्षेत्र में ४२ एकड़ भूमि का पट्टे पर आवंटन करने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सागर में मिलीटरी की आवश्यकता का अभी पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है । अतः निश्चित रूप से यह कह सकना संभव नहीं है कि क्या राज्य सरकार को अपेक्षित भूमि सैनिक आवश्यकता से फालतू है । जो भी कुछ है, छावनी क्षेत्र के निकट एक क्षेय रोग सजालय बनान नहीं दिया जा सकता ।

दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा

†१९३९. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिडिल कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब से लागू किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दिल्ली के स्कूलों में फर्नीचर

†१९४०. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में मिडिल क्लास तक विद्यार्थियों को डैस्क और स्टूल नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे कुछ स्कूलों में अध्यापकों के लिये कुर्सियों की व्यवस्था भी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो स्कूलों में आवश्यक फ़र्नीचर की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास को सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का आवंटन

†१९४१. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
　　　　 श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में मद्रास राज्य को सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को अभ्यंश में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रार्थना मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) वर्ष १९५९–६० में मद्रास राज्य को सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का आवंटित अभ्यंश निम्न प्रकार है :–

सोफ्ट कोक	३७२ वैगन
हार्ड कोक	९१७ वैगन

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में राजस्व

†१९४२. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
　　　　 श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में मद्रास राज्य में भारत सरकार ने आय-कर, सम्पदा-शुल्क और अन्य करों और राज्य उपायों के जरिये कितनी धन राशि वसूल की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मद्रास राज्य में वर्ष १९५९–६० में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के रूप में ६३,८२,९७,३०० रुपये वसूल किये गये । "असैनिक प्रशासन, चल मुद्रा, टकसाल, असैनिक कार्य आदि" के अधीन मुख्य मदों के अधीन प्राप्त धन राशि किसी राजस्व साधन अपना कर वसूल नहीं की गयी है परन्तु की गयी सेवा और संभरण के लिये है, अतः इसको इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा में पंजीकृत शरणार्थी

†१९४४. { **श्री दशरथ देव :**
　　　　 श्री हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के पंजीकृत शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाता है ताकि उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सके ;

(ख) क्या ऐसे नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये उन्हें बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें नि:शुल्क नागरिकता प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव है ताकि उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जा सकें ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ऐसा केवल उन मामलों में किया जाता है जहां कुछ शंका होती है ।

(ख) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिये जाने के बारे में पंजीयन के लिये कोई फीस नहीं ली जाती ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में अग्निकांड

†१९४५. **{ श्री दशरथ देव :
श्री हाल्दर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में त्रिपुरा में आग लगने से कितने बाजार भस्म हुए ;

(ख) इन दुर्घटनाओं से कुल कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ग) अग्निकांड के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों को क्या वित्तीय सहायता दी गयी ;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ङ) सरकार का त्रिपुरा के सभी डिवीजनल कस्बों में आग बुझाने वाले दस्ते बनाने का प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) भीड़ भाड़ कम करने और शीघ्र आग पकड़ने वाले सामान की दुकानों और झोंपड़ियों के बनाने को निरुत्साहित करने के लिये बाजार के क्षेत्र में दुकानों के नक्शों का पुनरीक्षण किया जा रहा है । इन बाजारों में पानी और रेत के संभरण के लिये भी व्यवस्था की जा रही है ।

(ङ) अगरतला के अतिरिक्त, जहां पहले ही एक आग बझाने का केन्द्र है, धर्मनगर और उदयपुर में आग बुझाने के केन्द्रों की मंजूरी दे दी गयी है । स्थानी प्रशासन उपयुक्त स्थान के चयन, उपकरणों की खरीद और कर्मचारियों की भर्ती के बारे में अग्रेतर कार्यवाही कर रहा है । वे कैलाशहर, खवाई और बेलोनिया सब-डिवीजनल सदर मुकामों में आग बुझाने का केन्द्र खोलने की सम्भाव्यता की भी जांच कर रहे हैं ।

प्रादेशिक सेना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

†१९४६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में से भरती किये गये प्रादेशिक सेना के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के बारे में गिरफ्तार कर सेना की हिरासत में रखा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ;

(ग) बाद में छोड़े गये और अभी तक सेना की हिरासत में नजरबन्द व्यक्तियों की क्या संख्या है ;

(घ) कितनों पर मुकदमा चलाया गया और कारावास की सजा दी गयी है ; और

(ङ) अभी तक जो व्यक्ति नजरबन्द हैं, उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). प्रादेशिक सेना अधिनियमों और नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये नोटिसों का पालन न करने के लिये, जिसमें उन्हें अपने अपने यूनिटों में सैनिक सेवा के लिये बुलाया गया था, प्रादेशिक सेना की रेलवे और डाक तथा तार यूनिटों ने ८१८ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया ।

(ग) से (ङ). गिरफ्तार व्यक्तियों में से १६६ को कोई दण्ड नहीं दिया गया और ५८८ को थोड़ा थोड़ा जुर्माना करके छोड़ दिया । ६१ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें १२ दिन से लेकर ४ महीने तक की सजा सुनायी गयी । इनमें से १४ व्यक्तियों को उनकी सजा की अवधि समाप्त होने अथवा हाल ही में किये गये पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप जेल से रिहा कर दिया गया । तीन व्यक्ति अभी भी सेना की हिरासत में हैं जिनके मामले लम्बित हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय में कर्मचारी संघ

†**१९४७. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय में प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ सरकारी कर्मचारियों की किसी विशेष श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता ;

(ग) यदि हां, तो यह कर्मचारी संघ सरकारी कर्मचारियों की किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है ;

(घ) इसकी कुल सदस्यता कितनी है ; और

(ङ) इसके कृत्य क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सेक्शन आफ़िसरों और असिस्टेंट की श्रेणियों को छोड़ कर । इन दो श्रेणियों में दोनों के लिये पृथक पृथक कर्मचारी संघों को मान्यता दी गयी है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ के नियमों के अनुसार, जिसे सरकार ने वर्ष १९२३ से मान्यता दे रखी है, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के सदर मुकामों में अन्य सचिवालयों में नियोजित सभी कर्मचारी इस संघ के सदस्य बन सकते हैं ।

(घ) कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को हाल ही में भेजी गई सूची के अनुसार इसकी सदस्यता ६५६ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) संघ के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

(१) अपने सदस्यों में सहकारिता और एकता बढ़ाना ;

(२) सेवा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने और उनके बारे में कार्यवाही करने को प्रोत्साहन देना ;

(३) सरकार को भेजे जाने के लिये वांछनीय मामलों के बारे में अपने सदस्यों के विचार जानना ; और

(४) संघ और इसके सदस्यों के लिये हितकर कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देना।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

१९४८. श्री वाल्मीकी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितना व्यय किया गया ; और

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया गया और उनमें से कितने अब तक बेरोजगार हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) भूतपूर्व सैनिकों को फिर बसाने के लिए, सरकार ने जो निम्नलिखित पग उठाये हैं, वह पिछले चार वर्षों में भी चालू रहे हैं :—

(१) सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियां देना, दिलाना।

(२) सहायक उपनिवेशों में भूमि देकर बसाना।

(३) दस्तकारी, तक्नीकी व्योपारों और बुनियादी खेती बाड़ी का प्रशिक्षण देना।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ग) पिछले चार वर्षों में मार्च, १९६० के अन्त तक, ४३२९९ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां दिलाई गईं। मार्च, १९६० के अन्त तक, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के चालू रजिस्टरों में, २९२२९ भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे।

दिल्ली में आत्म हत्या के मामले

†**१९४९. श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में (१९५८–५९ और १९५९–६०) दिल्ली पुलिस के फ्लाइंग स्क्वैड ने नई दिल्ली की प्रेम नगर बस्ती में बिना इस्तेमाल किये गये कुओं में आत्महत्या करने के मामलों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता लगा है ; और

(ग) क्या सरकार ने कुओं को ढकने के लिये कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) इस अवधि में ऐसी कोई आत्म हत्या नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नागा विद्रोहियों द्वारा हमारे एक विमान को मार गिराने के बारे में मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने बताया है कि उसको ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के रूप में आप ग्रहीत कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव पर हम सरकार की निन्दा नहीं कर सकते हैं। इसलिये यदि आज सरकार के पास जानकारी न हो तो इसे कल या परसों तक के लिये स्थगित रखा जाये, परन्तु इसे ध्यान दिलाने की सूचना न बनाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सरकार की निन्दा की जाये। इसीलिए मैंने इसे ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के रूप में ग्रहीत किया है। माननीय मंत्री एक वक्तव्य देंगे जो पर्याप्त होगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे वायुबल के विमानों को ऐसे विद्रोही, जिनके पास उपयुक्त शस्त्रास्त्रों के होने की आशा नहीं की जा सकती है, गिरा दें। पहले पाकिस्तान भी हमार एक विमान को गिरा चुका है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री एक उपयुक्त वक्तव्य दें।

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जैसे ही संभव होगा मैं एक पूरा वक्तव्य सभा में दूंगा। देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के हित में यह ठीक न होगा कि पूरी बात मालूम न होते हुये मैं अधूरा वक्तव्य दूं। इसके अतिरिक्त बहुत से ग़लत वक्तव्य भी दिये गये हैं। वायुबल का कोई विमान नहीं गिराया गया है। वह तो एक परिवहन विमान था और जिस रफ्तार से ऐसा विमान चलता है उसको देखते हुए उसे राइफल से गिराया जा सकता है। सच बात यह है कि गोली लगने पर विमान को नीचे उतारना पड़ा। यह चीज़ मारकर गिराने से अलग है। खैर, मैं एक पूरा वक्तव्य सभा के सामने रखूंगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण और बचाव) संशोधन विधेयक

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं कोयला खान (संरक्षण और बचाव) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और बचाव) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २३४२।६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

अन्तर्राष्ट्रीय निगम अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२० में प्रकाशित राजस्थान भारतीय औषधि बोर्ड आदेश, १९६० ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल०टी० २३४३, २३४४।६०]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें :

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० के० गोपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९५३ की एक प्रति ।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य), नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० ९५४ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(ख) जी० एस० आर० ९५५ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(ग) जी० एस० आर० ९५६ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २३४५, २३४६ तथा २३४७/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य वित्तीय निगम (साधारण बैठक) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० की धारा ९६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ९ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७९३ में प्रकाशित बम्बई राज्य वित्त निगम (साधारण बैठक), नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २३४८।६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा सचिव से यह संदेश मिला है लोक सभा द्वारा ३ अगस्त, १९६० को पारित त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा ने अपनी १९ अगस्त, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लियां है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश भी मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है:—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६०

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४, विधेयक १९६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ को बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ।"

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ३१ अगस्त, १९६० को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्संबंधी नीति पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : कल प्रधान मंत्री ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सभा का वर्तमान अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सम्भवतः सभी देशों की सरकारों के अध्यक्ष इसमें भाग लेंगे। क्या हमारे प्रधान मंत्री भी इसमें भाग लेंगे ? क्या यह बात वह सभा को बतायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कल के वादविवाद के दौरान में जो बातें उठाई गई हैं तथा आलोचना की गई है उनमें से कुछ के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। माननीय सदस्य प्रो० हीरेन मुकर्जी ने कुछ उन बातों के बारे में बड़ा रोष प्रकट किया है जिनका उल्लेख मैंने उस दिन दूसरी सभा में उनके दल के बारे में किया था। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर साम्यवाद का हौवा सवार है। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो नहीं समझता कि मेरे ऊपर कोई भी, और खासकर साम्यवाद का हौवा, सवार है।

लेकिन जब राष्ट्र के हितों का सवाल आता है तो यह ज़ाहिर है कि मुझे फिक्र होती है। ऐसी हालत में, मेरे चाहते हुए भी कि मैं संकुचित दृष्टिकोण न बनाऊं और समस्त विश्व के बारे में सोचूं, फिर भी मुझे अपने देश के बारे में ख्याल करना पड़ता है और खास तौर से उस समय मुझे सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है जब कि राष्ट्रीय हितों की न केवल अवहेलना ही की जाती है बल्कि उनका विरोध भी किया जाता है, जब इस देश के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनका अपने देश के लिये भी कोई फर्ज है, और वे जाकर उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने नाना प्रकार से इस देश का विरोध किया है, इसकी खिलाफत की है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि मुझ में इतनी ताकत भी है कि मैं भारत का साथ नहीं दूंगा अगर्चे कि वह गलती पर है। इसलिये न तो मैं उसूलन ही और न व्यवहार में ही तैयार हूं। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं कि भारत गलत है अथवा सही है लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि भारत सही रास्ता अपनाये, गलत नहीं। लेकिन जहां मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि भारत सही रास्ते पर है तो यकीनन मैं अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ भारत का साथ दूंगा।

जहां तक कि इस सीमान्त सुरक्षा का सवाल है जिसकी चर्चा हम यहां बार बार कर चुके हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत ने जो रवैया अपनाया है वह ठीक है। यह तथ्य, कि विरोधी दल के कुछ उन सदस्यों से मैं सहमत नहीं हूं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत के उन क्षेत्रों को वापस लेने के लिये जिन पर कि दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है शीघ्र ही लड़ाई की जाय, इस बात का द्योतक नहीं है कि शायद मैं इस मामले को बहुत अहमियत नहीं देता, लेकिन यह बात नहीं है मैं इसके उत्तरदायित्व को समझता हूं इस सवाल की अहमियत को समझता हूं, मैं यह ठीक नहीं समझता कि ऐसे मामलों के बारे में परिणामों को जाने बिना ही, या इस बात को बिना समझे कि एक आदमी क्या कर सकता है अथवा क्या नहीं कर सकता, हम उनकी जोरदार चर्चा करें।

जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि—मैं ने एक खास मिसाल दी है—'न्यू एज' नामक एक साप्ताहिक पत्र में, मेरा विचार है कि वह साम्यवादी दल का पत्र है, इस मामले के बारे में निरंतर भद्दा, हानिकारक और झूठा प्रचार किया गया है। मैं कहूंगा कि यह प्रचार हमें बदनाम करने के लिये किया गया है। इसका प्रारम्भ इस प्रकार से किया गया है कि "हम सभी दोस्त बनें।" हम सब चाहते हैं कि हम दोस्त बनें और हम सबको दोस्त बनना भी चाहिये। और यही कारण है कि हम इस मामले को दोस्ताना

†मूल अंग्रेजी में

तौर पर हल करना चाहते हैं । मैं निश्चित रूप से यह मालूम करना चाहता हूं और मुझे मालूम करना भी चाहिये—मैं ने यह प्रश्न उस सभा में भी पूछा था और इसका उत्तर मुझे वहां नहीं मिला—कि क्या जो प्रचार उस पत्र में किया गया है वह भारत के साम्यवादी दल की विचारधारा है अथवा नहीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : यह बात तो सभी जानते हैं कि "न्यू एज" नामक पत्र भारत के साम्यवादी दल द्वारा प्रकाशित किया जाता है । इस पत्र के विरुद्ध प्रधान मंत्री ने इस सभा में जो प्रचार किया है उसकी तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है । लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर वह यह बतायें कि उस पत्र में अमुक बात राष्ट्र विरोधी कही गई है तो सरकार के मुखिया होने के नाते उन्हें इस बात का अधिकार है कि वह उस पत्र के विरुद्ध कोई भी और किसी भी प्रकार की कायवाही कर सकते हैं । हमारे दल की राष्ट्रीय परिषद ने मेरठ में जो संकल्प पारित किया था हम उसका पालन कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री यह चाहें कि हम उस संकल्प का अनुसरण न करें तो यह नहीं हो सकता । (अन्तर्बाधा)

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम कोई न्यायालय में तो बैठे नहीं जो इस मामले की जांच करें । मैं तो केवल असलियत बता रहा हूं, और मेरा विचार है कि उस समाचार पत्र को पढ़ने के बाद हरएक पाठक की राय होगी, कि वह पत्र निरंतर ऐसा प्रचार कर रहा है जो यकीनन भारतीय विचारधारा का विरोधी है । साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा और वह भी इसलिये कि इस पत्र के समाचारों की प्रतिलिपियां लेकर विदेशों ने अपनी स्थिति को न्यायोचित बताया है ।

मैं एक बात और कहूंगा । नाम बताना तो मैं यहां पसन्द नहीं करूंगा क्योंकि यह उचित नहीं होगा —लेकिन उन क्षेत्रों के नाम अवश्य बताऊंगा जहां कि वे कार्य करते हैं—हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला, गढ़वाल की लाहौल घाटी, और अल्मोड़ा जिला में जो कि सीमान्त पर है बड़े भद्दे ढंग का प्रचार किया जा रहा है । यह बात जाहिर है कि उन क्षेत्रों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि बम्बई, मद्रास अथवा अन्य स्थानों की है । इन क्षेत्रों की हालत बड़ी नाजुक है और वहां व्यापक रूप से इस प्रकार का प्रचार करना, जैसा कि 'न्यू एज' पत्र ने किया है, निश्चय ही अवांछित परिणाम लायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : आप उनके नाम क्यों नहीं बताते खाली उल्लेख कर देने से तो काम नहीं चलेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सरकार कार्यवाही कर रही है । हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, राज्य सरकारें उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ।

मैं कहूंगा कि मैं ने यह बात इसलिये कही है—मैं इसकी चर्चा इसलिये कर रहा हूं—कि यह एक ऐसा मामला है जिसका आर्थिक नीति अथवा किसी अन्य प्रकार की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि, साम्यवादी हौआ की बात तो छोड़िये, एक सरकार की हैसियत से, एक देश की हैसियत से संसार के सबसे बड़े साम्यवादी देश, अर्थात् सोवियत देश, से हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं । साम्यवाद से इस बात का कोई मतलब नहीं है । यह मामला तो राष्ट्रवाद का है, भारत की आजादी का है, भारत की प्रतिष्ठा का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी : इसका निणय तो चुनाव में होगा ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का यह जवाब सुनकर तो मुझे और भी ताज्जुब हुआ । मुझे उन से जवाब की आशा नहीं थी । कि चुनाव ही इस बात का निर्णय करेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है चाहे वे जीते हारें लेकिन इतना जरूर है कि वे गलत काम कर रहे हैं, देश और राष्ट्र के विरोधी में काम कर रहे हैं . . .

†श्री ही० ना० मुकर्जी : एक औचित्य प्रश्न है । ऐसा मालूम होता है कि प्रधान मंत्री शायद अपनी बात की रौ में बह कर यह भाषण कर रहे हैं । इस सभा के लिये साम्यवादी सदस्यों का चुनाव कांग्रेस की कृपा से नहीं हुआ । प्रधान मंत्री ने "राष्ट्रविरोधी" शब्द का प्रयोग किया है । इस प्रकार का वक्तव्य संसदीय चर्चा के विपरीत है । अगर वे हमें संसद से निकालना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिये उनके पास साधन हैं और वे ऐसा कर सकते हैं । लेकिन इस प्रकार का अव्यावहारिक और असंसदीय वक्तव्य मेरी समझ से बाहर की चीज है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा मालूम होता है कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने अपना मानसिक सन्तुलन खो दिया है ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : आपने शुरुआत की थी ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कम से कम मेरा दिमाग तो ठीक है, शायद आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ।

मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैं इस मामले के बारे में ईर्ष्यालु प्रचार कर रहा हूं । मुझ पर चुनाव हथकंडे आदि के आरोप लगाये गये हैं । साम्यवादी दल कटु भाषा के प्रयोग करने में कोई कम नहीं है । इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हालांकि सरकार वह सब कार्यवाही करेगी जो कुछ कि वह कर सकती है । लेकिन कुछ और भी अहम मामले हैं जैसे भारत की प्रतिष्ठा का ही सवाल है जिसके बारे में किसी भी दल अथवा व्यक्ति से कोई समझौता नहीं किया जा सकता । मैं फिर उनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या उनका दल 'न्यू एज' में प्रकाशित लेखों का दायित्व लेता है अथवा नहीं ? मैं उन्ही से यह प्रश्न पूछ रहा हूं । वे लेख प्रकाशित लेख हैं ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : यह एक प्रकार से अनुचित बात है । इस समय 'न्यू एज' की प्रति मेरे पास नहीं है ताकि मैं उनकी बात का यहां सभा में उत्तर दे सकूं । मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि यह पत्र भारत के साम्यवादी दल का ही है और साम्यवादी दल राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित संकल्प (मेरठ संकल्प) का पूरा पूरा अनुसरण करता है । मैं 'न्यू एज' में प्रकाशित प्रत्येक लेख को पूरा नहीं पढ़ता । न मेरे पास यहां उसकी कोई प्रति है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री इस बात के लिये उन्हें क्यों मजबूर करते है कि वह इस बात को स्वीकार ही करें । वह स्वयं कह चुके हैं कि यह पत्र उनके दल का पत्र है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : धन्यवाद ! अब मैं दूसरी बातों का जिकर करूंगा। श्री ही० ना० मुकर्जी हमें परामर्श दिया है कि हमें अफ्रीकी राज्यों से अपने राजनयिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहियें। यह स्पष्ट है कि हम उन से अपने सम्बन्ध बढ़ाने जा रहे हैं और हम ने बढ़ाये भी हैं। श्री नाथपाई ने चीन के प्रति भारत की "आत्म प्रवंचना" की नीति का उल्लेख किया है एवं उसकी असफलता का वर्णन किया है, इसी प्रकार की और भी बातें कही हैं। यह बहुत पुराना तर्क है, और मुझे अफसोस है कि मैं उनकी इस बात से इत्तिफ़ाक नहीं रखता। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि दस साल पहले या आठ या नौ साल पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिये था—जिस के कारण घटनाओं का रुख ही बदल जाता। मैं यह नहीं कहता कि हमारी नीति हमेशा ठीक ही होती है, कि हम कभी गलती नहीं करते। लेकिन बावजूद मेरी सभी कोशिशों के भी मैं यह बात अच्छी तरह से नहीं समझ पाया हूं कि कुछ विरोधी सदस्य इस प्रकार की आलोचना प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक वर्ष कैसे करते हैं।

इस बात को छोड़िये कि आठ साल या नौ साल पहले हम ने तिब्बत के बारे में क्या किया, अब हमें यह देखना है कि वहां हो क्या रहा है ? यह बात सच है कि तिब्बत में जो कुछ हुआ है वह वहां के रहने वालों के लिये बड़ी से बड़ी दुखद घटना है। इस बारे में मुझे कतई शक नहीं है। इस बात से कि हमने न केवल दलाई लामा को ही शरण दी है बल्कि लगभग २२,००० व्यक्तियों को शरण दी है, यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमें इस घटना से आघात पहुंचा है और हमने इसे कितना महसूस किया है और बराबर हम इस बारे में महसूस कर रहे हैं। वहां की बहुत सी बातों के बारे में हमें बड़ा दुख है और वहां होने वाली घटनाओं की जो कहानियां हमारे कानों तक आई हैं उन से हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। यह तो हुई एक बात। यह बात दूसरी है कि हमने उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है, भले ही वह सहानुभूति प्रभावहीन रोष की सहानुभूति हो या परवश सहानुभूति हो। हम यह नहीं सोचते कि इस प्रकार की सहानुभूति हमारी सरीखी सरकार के लिये लाभदायक हो अथवा प्रतिष्ठावान्।

गोआ तथा अफ्रीका के बारे में मैं ने जो कुछ कहा है उस के बारे में श्री नाथ पाई ने कहा है कि इस से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है तथा उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मुझे गलत समझा। मैं ने जो यह कहा था कि अफ़्रीका में जो घटनायें हो रही हैं—बहुत से नये देश स्वतं हो रहे हैं—मेरा विचार है कि वे अफ़्रीका में पुर्तगाली साम्राज्य को समाप्त करने की ओर एक पग हैं। इसी सिलसिले में मैंने कहा था कि गोआ को भी पुर्तगाली शिकंजे से निकालना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बाहर कोई जादुई घटनाएं हो रही हैं तो यह अपने आप स्वतंत्र हो जायेगा। यह तो पुर्तगाली शिकंजे से हमारे अपने प्रयत्नों, और हमारे अपने निर्णयों के द्वारा निकलेगा, और जैसी कि मुझे आशा है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, घटनाओं का यह क्रम, जो कि आजकल चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे इरादों और हमारी कार्यवाहियों पर प्रभाव डालेगा जो कि हम उपयुक्त समय आने पर कर सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह ने, जहां तक मैं समझता हूं, हुपसंग खड का उल्लेख किया है जो शिपकी ला से चार मील की दूरी पर हमारी सीमा में स्थित एक गांव है। मैं उन्हें

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

तथा उन सभी दूसरे व्यक्तियों को यह आश्वासन देता हूं, जो कि शायद किसी भ्रान्ति में हों, कि यह गांव पूर्णतः हमारे अधिकार में है । वहां किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति के होने का सवाल नहीं उठता । यह बात सच है कि यह गांव उस छोटे से क्षेत्र में है जिसे चीन के अधिकार में बताया जाता है, लेकिन यह गांव हमारा है और हमारे अधिकार में है।

इस के बाद उन्होंने कुछ बात वहां विदेशियों के पाये जाने के बारे में कही हैं, जो मेरी समझ में नहीं आई । उन्होंने राजनयिकों के बारे में भी कहा है कि वे हमारे सीमान्त क्षेत्रों के बारे में उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी समझ में वास्तव में यह बात नहीं आई कि कौन विदेशी वहां है । जहां तक मेरी जानकारी है वहां नेफा में एक या दो विदेशी हैं। एक विदेशी तो डा० वेरियर एलविन हैं जो कि हमारे परामर्शदाता हैं। ये महोदय दूसरे देश से आये थे लेकिन अब यह भारतीय नागरिक बन गये हैं। लेकिन जहां तक कि यह मामला है अगर वे विदेशी भी होते तो इस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे हमारे परामर्श दाता हैं और उन के परामर्श को और उन के अनुभव को हम काफी महत्व देते हैं; भारत के प्रति उनका प्रेम एवं उनका साहचर्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से कबाइली लोगों के लिये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है । मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें उन के परामर्श का अवसर मिला है । कबाइली क्षेत्रों में होने वाली दूसरी घटनाओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है चाहे वे घटनाएं सैनिक घटनाएं हों अथवा अन्य किसी दूसरे तरह की। वह तो हमें सामाजिक तथा अन्य दूसरे मामलों के बारे में परामर्श देते हैं ।

राजनयिकों के वहां जाने की बात भी उन्होंने कही है, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस से उनका क्या मतलब है । वे कौन से राजनयिक हैं जिन के बारे में वे जिक्र करते हैं। हम विदेशी राजनयिकों को वहां जाने की आज्ञा नहीं देते; हम उन्हें वहां जाने के लिये प्रोत्साहन नहीं देते । अगर उनका अभिप्राय हमारे अपने पदाधिकारियों से है, तो उन्हें तो वहां जाना होगा, काम होगा तो वे वहां जायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): जहां तक राजनयिकों की बात है मेरा अभिप्राय उत्तरी क्षेत्र से है; हमारे इलाके से नहीं बल्कि तिब्बत से है, तिब्बत के चारों ओर के इलाके से है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: अब मैं समझा कि उनका असली मतलब क्या है ।

श्री महन्ती ने कहा है कि सीमान्त पर हमारी सैनिक टुकड़ियां ठीक से काम नहीं कर रही है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): मैं ने यह नहीं कहा था कि वह ठीक से काम नहीं कर रही है बल्कि यह कहा था कि उनके पास युद्ध सम्बन्धी पूरे हथियार आदि नहीं हैं ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: मैं नहीं समझ सका कि किस प्रकार की सैनिक सज्जा एवं हथियार आदि से उनका अभिप्राय है; और किस आधार पर उन्होंने हमारे सैनिकों के हथियारों के बारे में अनुमान लगाया । दरअसल यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह बात हो सकती है कि अगर आप हमारे सैनिकों का मुकाबला सामान्य अमरीकी सैनिकों से करें तो हो सकता है कि हमारे सैनिकों के पास उतने हथियार आदि न हों, क्योंकि

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी सैनिक सभी प्रकार की चीजें रखते हैं। जो कि भारतीयों के पास नहीं हैं और इसकी वजह यह है कि अमरीकी लोग यह सब सामान रख सकते हैं उन में इस के लिये क्षमता है। लेकिन असलियत यह है कि हमारे सैनिकों के पास वही अच्छे अच्छे हथियार हैं उन के पास सभी सामान है। मैं नहीं समझ सका कि श्री महन्ती अथवा अन्य दूसरे माननीय सदस्य, पूरी जानकारी रखे बिना किस प्रकार ऐसी आलोचना करते हैं।

श्री महन्ती ने शायद जनरल तिम्मैया के इटली जाने का उल्लेख भी किया है और उन्होंने वहां जो माउंटेनियरिंग स्कूल देखा है उसका भी जिकर किया है और इस बात से यह अन्दाज लगा लिया है कि हम बहुत पिछड़े हैं। अगर ऐसी बात है तो निश्चय ही बड़ा अजीब सा निष्कर्ष है। चूंकि जनरल तिम्मैय्या को इंगलैंड जाना था, हम इस बात के लिए तैयार हो गये कि वह इटली रुक कर जायें क्योंकि इटली में पर्वतारोहण सम्बन्धी एक बहुत अच्छा स्कूल है ताकि वे उसे देख सकें, वहां प्रयोग में आने वाले सामान आदि को देख सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि चीनी प्रतिनिधियों के साथ हमारे पदाधिकारियों की जो बात चीत कर रहे हैं उसे हम ने गोपनीय क्यों रखा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। वे बात चीत कर रहे हैं—विस्तृत रूप से तो मैं नहीं जानता— मेरे पास तो दूसरे दिन या तीसरे दिन रिपोर्ट आती है—कागजातों की जांच कर रहे हैं, नक्श देख रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें देख रहे हैं। ये बातें गोपनीय हैं। और मैं कैसा वक्तव्य दूं, सिवाय इस के कि, जैसा कि सदन जानता है ये बातें ऐसी हैं जिनका समझौता या ऐसी कोई बात करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। पदाधिकारी कोई निर्णय नहीं कर सकते। वहां बहुत सी चीजें हैं, और इन परिस्थितियों में हमने यह अच्छा समझा कि उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली जाय। हो सकता है कि अब भी कुछ कागजातों अथवा दस्तावेज़ों के बारे में मतभेद हो। हालांकि फिर भी इस प्रकार की बात चीत भविष्य के लिये लाभदायक होगी और यह जांच पहले पीकिंग में हो रही है और उस के बाद यहां होगी।

एक शब्द का प्रयोग प्रायः यहां किया जाता है, तिब्बत आदि की बात करते समय, और वह है बफर स्टेट। यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता मैं सोचा करता हूं कि क्या वे लोग जो कि इस शब्द का प्रयोग करते ह यह अनुभव भी करते हैं कि किसी राज्य को बफर-स्टेट कहना उसका अपनमान करना है। बफर स्टेट का मतलब उस राज्य से है जो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच होता है। वास्तव में यह सच हो सकता है लेकिन किसी राज्य के बारे में यह कहना अच्छी बात नहीं है कि उसे बफर स्टेट होना चाहिये था अथवा वह बफर स्टेट था। हो सकता है कि भूतकाल में इसकी स्थिति ऐसी रही हो लेकिन इस स्थिति में इस शब्द का प्रयोग करना अच्छा नहीं है।

पांडिचेरी तक हमारे न्यायिक क्षेत्राधिकार को बढाने के बारे में शायद श्री ही० ना० मुकर्जी ने प्रश्न पूछा था। फ़्रांस के न्यायालयों की अपीलीय क्षेत्राधिकार को पांडेचेरी पर से समाप्त करने का निश्चय भारत सरकार ने नीति के रूप में कर लिया है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी की जा रही है।

गोआ के निवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीयन करने की बात भी कही गई थी; जहां तक हमारी बात है हम इस के लिये पूर्णतः तैयार हैं। लेकिन कुछ कानूनी बातें बीच में आती हैं; जिनकी जांच की जा रही है लेकिन वास्तव में हम उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में ही मान रहे हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहरी पानी विवाद समझौते के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है । जैसे ही यह करार पूरा होगा, मैं इसे सभा में प्रस्तुत करना चाहूंगा लेकिन आंशिक रूप में उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है । लेकिन फिर भी मैं विस्तृत रूप से इस के बारे में बताना चाहूंगा। यह करार सामान्य रूप से विश्व बैंक के १९५४ के प्रस्ताव के आधार पर है । इसकी मुख्य बात यह है कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब नदियां, थोड़ा सा पानी जम्मू और काश्मीर को देने के बाद, पाकिस्तान के हिस्से में तथा सतलज, रावी और व्यास भारत के हिस्से में आयेंगी । एक अन्तरिम काल में निश्चित किया जाना था जिस में पाकिस्तान नहरें आदि बनवायेगा, ताकि भारत जाने वाली नदियों से उसे जो पानी मिलता था, उसकी जगह अपने पानी की व्यवस्था करे । इन कामों में भारत भी खर्च में हिस्सा बटायेगा और इस अवधि में भारत पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को पानी देता रहेगा हालांकि इस पानी की मात्रा धीरे धीरे कम की जाती रहेगी ।

इस करार की मुख्य बातें यह हैं कि इन दस वर्षों के अन्तरिम काल में पाकिस्तान को अपनी नहरें आदि बनवा लेनी चाहिये और इन दस वर्षों में हम उसे पानी देंगे, हालांकि पानी की मात्रा में धीरे धीरे कमी की जाती रहेगी । साथ ही नहरों आदि के निर्माण के लिये हमें पाकिस्तान की कुछ वित्तीय सहायता भी उस हद तक करनी होगी जितना कि वह पानी हम से लेता था और अब उसे हम ने बंद कर दिया है। लेकिन दरअसल पाकिस्तान दूसरे देशों तथा विश्व बैंक की सहायता से बहुत बड़ा निर्माण कार्य करने वाला है । इसलिये पाकिस्तान को विश्व बैंक तथा अन्य दूसरे देश ही अधिक धन देंगे । हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह हमारे करार का कोई अंग है । यह मामला तो विश्व बैंक, पाकिस्तान तथा अन्य दूसरे सम्बन्धित राज्यों का ही है । हम तो दस वर्षों के दौरान में इस निमित्त कुछ अंश दान देंगे ।

अब अन्तरिम काल की बात आती है कि इस दौरान में हमें क्या करना चाहिये । यह बात तै करने में काफी समय लग गया है कि हमें पाकिस्तान को कितना पानी देना चाहिये, तथा किस तरह देना चाहिये, तथा इन दस वर्षों के दौरान में हमें कितना धन देना चाहिये । मैं समझता हूं कि ये सब बातें भी अब तै हो गई हैं।

यह दस वर्ष की अवधि १ अप्रैल, १९६० से चालू होगी जब से कि यह करार होगा; इसे कुछ महीने भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है : इस दस वर्ष की अवधि को तीन वर्ष तक के लिये और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि पाकिस्तान ऐसा करने के लिये प्रार्थना करे। लेकिन अगर यह अवधि बढ़ाई गई तो शर्त यह रहेगी कि पाकिस्तान को सहायता के रूप में हम जो धन देते हैं उसमें पहले वर्ष में ५ प्रतिशत की, दूसरे में १० प्रतिशत की और तीसरे वर्ष में १६ प्रतिशत की कटौती कर दी जायेगी । उनकी नहरों आदि के निर्माण कार्य सम्बन्धी कोई दायित्व भारत नहीं लेगा । भारत की पूर्व नदियों द्वारा पाकिस्तान को जो पानी दिया जा रहा है वह भी इस अन्तरिम काल में कम होता रहेगा। स्थूल रूप से यह दस वर्ष की अवधि दो भागों में अर्थात् १९६०–६६ और १९६६–१९७० में बांटी जायेगी। इन अवधियों में क्या होगा इसकी बिस्तृत बातें बताने की यहां जरूरत नहीं है ।

प्रायः एक प्रश्न सब के सामने आता है कि पाकिस्तान के साथ किये गये करार का प्रभाव राजस्थान नहर पर क्या पड़ेगा । वर्तमान योजना के अनुसार राजस्थान नहर सिंचाई के लिये १९६१, १९६२ और १९६३ में क्रमशः १२००, २१००, और ३,००० क्युसेक्स पानी लायेगी :

उसके बाद उसकी क्षमता को इस प्रकार बढ़ाने का विचार है कि १९७० के लगभग यह नहर १८,५० क्यूसेक्स पानी ला सके। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस अवधि में राजस्थान नहर को मिलने वाले पानी की मात्रा निरंतर बढ़ती रहे। पहले दो वर्षों में तो कोई बात नहीं है वे चाहे जितना पानी लेते रहें। लेकिन बाद को यह बात नहीं रहेगी क्योंकि बाद में चलकर यह बात किसी दूसरी योजना से प्राप्त पानी पर निर्भर करेगी। यानी व्यास नदी योजना पर निर्भर करेगी जहां हम बांध बना रहे हैं। यह एक बड़ी सी योजना है। हालांकि राजस्थान नहर को बराबर अधिक मात्रा में पानी मिलता रहेगा लेकिन पूरी मात्रा में पानी तो इस व्यास योजना के बनने के बाद ही मिलेगा। चूंकि अब हम काफी हद तक पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं अतः विश्व बैंक ने व्यास बांध को बनाने के लिये हमें सहायता देने का वचन दिया है।

इस प्रस्तावित करार में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक स्थायी सिंधु आयोग होगा जिसमें भारत तथा पाकिस्तान दोनों के ही आयुक्त होंगे। करार सम्बन्धी सभी बातों के लिये प्रत्येक आयुक्त अपनी अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और करार को लागू करने सम्बन्धी सभी बातों के लिये काम करेगा। यह स्थायी सिंधु आयोग दोनों पक्षों के बीच होने वाले मतभेदों को दूर करेगा। इस आयोग में एक तटस्थ विशेषज्ञ की भी व्यवस्था की गई है जिसको प्रविधिक प्रकार के मामलों में मतभेद होने पर उन्हें हल करने के लिये भेजा जायेगा। करार की व्याख्या सम्बन्धी बड़े विवादों का फैसला करने के लिये एक मध्यस्थ-निर्णय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है।

कुछ मोटी मोटी बातें और बताना चाहता हूं जिनका उल्लेख मैंने कल किया था। पहली बात, जिसकी ओर कि मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि संसार किस प्रकार हिंसात्मक कार्यों की ओर बढ़ रहा है। दो तीन दिन पूर्व ही जोरडन के प्रधान मंत्री की हत्या की गई थी, और भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। भले ही किसी के इन बातों के बारे में कैसे विचार हों, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार के तरीकों को अपनानेसे निश्चय ही विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हमें, इस बात को मद्दे नजर रखते हुये कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस बात का फ़ैसला करना होगा कि हम किस प्रकार के समाज की स्थापना कर रहे हैं। यह बात दोनों प्रकार की नीतियों पर वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय—पर लागू होती है। अगर हमारा उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसे कि लोग अच्छा समाज कहते हैं तो मैं कहूंगा कि उसकी स्थापना हिंसा और घृणा के आधार पर नहीं हो सकती। आजकल हम लोग एक व्यवस्थित संसार को छोड़ कर बड़ी तेजी से अव्यवस्था और कुशासन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार की हिंसात्मक भावना हमारे लिये चुनौती है। अतः जब तक हममें राष्ट्रीय अनुशासन की भावना नहीं होगी हम इसे नहीं रोक सकते।

शायद डा० राम सुभग सिंह ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पदाधिकारियों और राजनयिकों की आलोचना की थी। मालूम नहीं कि उन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहा। इस सम्बन्ध में मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय में बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जो बड़ी लगन से अपना कार्य करते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनकी ही नहीं बल्कि और दूसरों की भी।

यह बात भी कही गई थी कि एक उपसचिव चीनी पदाधिकारियों से क्यों बात कर रहे हैं। इस बात को छोड़िये रकि वह उपसचिव इस मामले के हमारे सबसे अच्छे विशेषज्ञ हैं, सामान्य रूप से ऐसे मामलों में पदाधिकारी अपने बराबर के पदाधिकारियों से ही बातें करते हैं, इसीलिये हमने उन उपसचिव को चुना क्योंकि चीनियों ने भी उसी पद के व्यक्ति को बातचीत के लिये अपने यहां

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चुना था। इसी कारण वह उपसचिव वहां बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि जो लोग इन मामलों की देख भाल कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ हैं और वे बहुत अच्छी तरह अपने काम को कर रहे हैं।

आज श्री एन० आर० पिल्ले की सेवा का जो एक ख्यातिप्राप्त असैनिक पदाधिकारी है, अंतिम दिन है। मेरा और उनका साथ किसी न किसी रूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही रहा है लेकिन निकट सम्पर्क तो पिछले ८ वर्षों से हुआ है जब से कि वे महासचिव बने हैं; इस दौरान में उन्होंने न केवल एक योग्य परामर्शदाता के रूप में काम किया है बल्कि वह एक अच्छे दोस्त भी साबित हुए हैं। उनके जाने से निश्चय ही कुछ कमी आ जायेगी, और वह कमी न केवल वैदेशिक कार्य मंत्रालय में ही आयेगी बल्कि उन क्षेत्रों में भी आयेगी जहां कि उन्होंने परामर्श दिया था। आशा है कि सभा भी उनके प्रति शुभ कामनाएं प्रकट करेगी।

अंत में मैं फ़्रांसीसी सुप्रसिद्ध लेखक तोकेविले के उस लेख का एक उद्धरण दूंगा जो उन्होंने सन् १९३५ में लिखा था, जिसमें एक प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा था कि :

> "आजकल विश्व में दो बड़े राष्ट्र हैं जिनका प्रारम्भ तो विभिन्न प्रकार से हुआ लेकिन अन्तिम लक्ष्य दोनों का एक ही मालूम होता है। मेरा मतलब अमरीका और रूस से है। अनजाने ही ये देश अपना विकास करते रहे और जब कि लोगों का ध्यान दूसरी ओर था तो वे देश, देशों की पंक्ति में सबसे आगे आ पहुंचे और संसार को उनके अस्तित्व एवं उनकी महानता के बारे में लगभग एक ही समय जानकारी हुई।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं श्री जगन्नाथ राव के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मेरा संशोधन संख्या ९ है।

†**श्री जयपाल सिंह** : संशोधन संख्या ८ भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं संशोधन संख्या ८ रखूंगा और बाद में संशोधन संख्या ९।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और ८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री जगन्नाथ राव का संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात्:—

> "कि यह सभा वर्तमान अन्तराष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात्, उक्त नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा अगला विषय लेगी । श्री पंत ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** माननीय प्रधान मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** श्रीमान् हम लोग अभी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में चर्चा करते रहे हैं; अब हम देश की स्थिति पर विचार करेंगे जहां कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनसे सभी को बड़ा दुःख पहुंचा है और अनेक लोग जिसके कारण, कष्ट सह रहे हैं । आसाम तथा बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि हम अनुमान भी नहीं कर सकते ; इस दृष्टि से हमें उस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक स्थानों पर दुर्घटनायें हुईं परन्तु आसाम की यह घटना बिल्कुल नयी किस्म की है । यह बात हमारे देश और हमारी एकता की बुनियाद हिलाने वाली बात है । इसलिये हमें इस पर विचार करते हुये सामान्य रूप से अधिक जागरूक रहना चाहिये और क्षणिक आवेश में आ कर इधर बहना नहीं चाहिये । इस घटना से लोग अत्यधिक उत्तेजित हुए हैं । जब आवेश और उत्तेजना व्याप्त हो जाती है तो उस समय दिमाग़ काम नहीं करता और मनुष्य को केवल क्रोध ही आया करता है । किन्तु हमारे देश के लिये यह चीज इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा उत्तेजित हो कर काम करना ग़लत होगा । कभी कभी हम क्रोधित हो सकते हैं परन्तु जब महत्वपूर्ण चीजें विचाराधीन हों उस समय हम क्रुद्ध हो कर काम नहीं कर सकते क्योंकि उस समय हमारे एक एक शब्द का महत्व होता है और हमारी हर कार्यवाही से बड़े निष्कर्ष निकल सकते हैं । स्वतंत्रता के बाद से हमारे सामने ऐसी समस्या नहीं आयी ; हमारे सामने आज तक कभी ऐसा संकट नहीं आया जिससे हमारी एकता भंग होने का खतरा हो ।

मैं सभा के सामने खुली बात करना चाहता हूं । पहले मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता था । मेरी इच्छा केवल बोलने की थी । मैं समझता था कि इस काम के लिये मेरे मित्र माननीय गृह मंत्री ज्यादा ठीक हैं—निस्संदेह वे अधिक उपयुक्त हैं भी । किन्तु दोबारा विचार करने पर मुझे अपने द्वारा प्रस्ताव पेश करने में ही भलाई लगी और मैंने सोचा कि चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये प्रधान मंत्री को ही इस विषय में आगे आने चाहिये ।

यह समस्या आसाम तथा बंगाल की समस्या है जो दोनों अपने अपने रूप में इस बात पर बड़े उत्तेजित हैं । अन्य लोग भी इसके लिए दुखी हैं । शायद अन्य लोग उतनी तीव्रता से नहीं सोच सकते । दुख तो उन्हें भी है परन्तु इतना नहीं जितना कि आसाम तथा बंगाल की जनता को है । शायद हम ऐसे लोग ही जो अन्य राज्यों के होने के कारण इस विषय पर वस्तुगत दृष्टि से सोच सकते हैं, इस विषय में उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं । इसलिये मैं आसाम तथा बंगाल के माननीय सदस्यों समेत अन्य सभी लोगों से भी यह प्रार्थना करूंगा कि कि वे इस प्रश्न पर तनिक व्यापक दृष्टि से कुछ सोचें, सीमित दृष्टिकोण से काम न लें ।

गत छः सप्ताह की अवधि में, मैंने इस प्रश्न पर काफी कुछ पढ़ा है और काफी रिपोर्टें देखी हैं । आसाम में भी मैंने तीन दिन गुजारे हैं और वहां पर आसामी भाषा भाषी तथा बंगला भाषी लोगों से मैं मिला हूं और मैंने उनकी उत्तेजित बातें सुनी हैं । मुझे इस विषय पर अनेक लोगों के भेजे हुए पत्र आदि भी प्राप्त हुए हैं । मुझे याद है कि आखिर में अर्थात्, दोषों प्रत्यारोपों आदि को सुन सुना कर मुझे अपनी बुद्धि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

को संतुलित रखना ही मुश्किल हो गया। मेरा मन इतना हिल गया है कि मुझे अब दृढ़ हो कर रहना है और मुझे इस प्रकार की उत्तेजनात्मक लहरों में अपने को बहने नहीं देना है। मैं समझ सकता हूं कि दूसरे लोग वैसा अनुभव क्यों करते हैं।

दूसरा अनुभव मुझे वहां पर यह हुआ कि बाद में मैं उस चीज पर विश्वास कठिनाई से ही कर पाया जो लोगों ने मुझे बताई। जब मैं किसी शिष्टमंडल से मिलता था उनके ज्ञापन आदि पढ़ता था तो उस समय उनकी बातों को स्वीकार करने को उद्यत हो जाता था। किन्तु तभी बाद में दूसरे लोग आकर उस घटना से पूर्णतया उलटी बात कह देते थे। तब मैं तनिक सावधान हो गया और लोगों से प्रश्न पूछने लगा ताकि तथ्यों का पता लगा सकूं।

निस्संदेह आसाम में जो कुछ हुआ है वह एक दुखांत दुर्घटना है। ऐसी घटनायें घटी हैं जिन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता, जो अक्षम्य हैं। हम इस बात को मानते हैं। किन्तु सभा को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हर वह बात जो हमारे सामने रखी गई है, सत्य नहीं है। मुझे पता है कि उन में से कुछ बातें पूर्ण रूप से असत्य हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अखबारों में हर किस्म की बातें छपी हैं। अखबारों में ऐसे आदमियों के नाम तक छपे हैं जो जीवित हैं परन्तु जिन्हें मृत बताया गया है। यह बड़ी विचित्र चीज है। इसलिए हमें ऐसी बातों से बच कर रहना है।

कुछ लोगों ने मेरे पास ज्ञापन भेजे जिनमें भयानक दुर्व्यवहार की बातों का वर्णन है कि बच्चों और स्त्रियों पर अत्याचार हुआ ; उन्हें पढ़ कर ही रोमांच हो जाता है। स्त्रियों के बारे में कुछ जगह अनुचित घटनायें हुई हैं। किन्तु बच्चों पर अत्याचार की बात सुन कर मुझे बड़ा सदमा लगा। इसका साक्ष्य या सबूत मुझे नहीं मिला। किसी ने मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं की। अजित प्रसाद जैन समिति के पास भी किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की हालांकि वे भी अनेक लोगों से मिले हैं। किन्तु यह चीज लिखित रूप में अचानक हमारे सामने आ गई—मेरा आशय यह नहीं कि मैं दुर्घटना के बुरे प्रभाव में कमी लाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। किन्तु हमें भी उस हर चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिये जो अखबारों में छप गयी हो या लिखित रूप में हमारे सामने आ गयी हो। मैं इस समय किसी की भी आलोचना नहीं करता। उत्तेजना के समय हम सभी जोरदार भाषा का प्रयोग करते हैं। हम सभी जल्दी ही बातों पर यकीन करने लगते हैं। पिछले १०।१२ वर्ष में हमारा पाकिस्तान, तिब्बत तथा आसाम के विस्थापितों से वास्ता पड़ा है और हमें काफी अनुभव है। मुझे यही शिक्षा मिली है कि विस्थापित का वक्तव्य कभी कभार ही सच्चा होता है। मैं यह नहीं कहता कि वह झूठा होता है। नहीं ऐसी बात नहीं। किन्तु बात यह होती है कि वह मानसिक दृष्टि से दुखी होता है और उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है अतः वह वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता। यही उसकी कठिनाई है। जिन बातों को वह अस्पष्ट रूप से सुनता है उन्हें ही तथ्यों से मिलाने का वह प्रयास किया करता है। वह सुनी सुनायी बात पर विश्वास कर बैठता है। अतः बात गलत होती जाती है। जब बात दो या तीन आदमियों में से हो कर किसी तक पहुंचती है तो उसमें काफी अतिशयोक्ति का सम्मिश्रण हो जाता है हालांकि उसका कोई आधार नहीं होता। इस युग में, मैं यह नहीं समझता कि हमें ऐसा संकट झेलना पड़ा है जैसा कि विस्थापितों को सहना पड़ा है। हमारे दिल और दिमाग काम करते हैं। पर हमें पूरी तसवीर नजर नहीं आती। हम एक विचार बना लेते हैं और तब हम ऐसा विवरण देते हैं जो हमारे प्रयास के बावजूद भी सत्य नहीं होता। इस कारण मैं यह बात फिर कहता हूं कि अखबारों की सारी बातों पर विश्वास न किया जाये। बहुत से उन वक्तव्यों में भी सत्य का अंश कम है जिन्हें अच्छे लोगों ने परिचालित किया है। मैं उनकी आलोचना नहीं करता। उन्होंने भी उन बातों को विस्थापितों से ही सुन कर सत्य मान लिया है।

इस सभा के लिए व्यक्तिगत मामलों में जाना तो असंभव है । उससे फायदा न होगा । हमें इस प्रश्न पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना है अर्थात् सम्पूर्ण देश को सामने रख कर इस प्रश्न को देखना है । जो चीज भारत के लिए घातक हो उसे किसी मूल्य पर सहन नहीं किया जा सकता । आसाम के इस कांड से भारत की आत्मा पर घाव हुआ है । व्यक्तिगत दुखों और कष्टों के अलावा दर्दनाक बात वास्तव में यही है । हम इसके लिए आसामियों को दोषी ठहरायें या बंगालियों को यह अधिक महत्व की बात नहीं ; महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसी घटनायें घटीं ; घर जला दिये गये और तरह तरह की बातें हुईं । आप इस वैमनस्य के कारण ढूंढ सकते हैं ; वर्षों पहले के आसामी भाषा भाषियों तथा बंगला भाषियों के सम्बन्ध की बात आप देख सकते हैं यह बड़ी लम्बी कहानी है । भाग्य तथा भूगोल ने उन्हें एक ही स्थान पर पास पास रख दिया जैसा कि प्रायः हुआ करता है । यदि वे भिन्न होते तो बात ही अलग होती । लेकिन जब भाई से भाई लड़ता है तो वह बहुत बुरी लड़ाई होती है । जब कभी ऐसी बात होती है तो लोग पागल हो जाते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं ।

हमारा ही एक राज्य बंगाल है ; विशाल राज्य है ; यहां बड़े महान् लोगों ने जन्म लिया । राष्ट्रीय आन्दोलनों के अग्रणी यहां से उठे और स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों ने बड़ा काम किया ; इसकी भाषा और साहित्य महान है । दूसरी ओर आसाम है जिसे अंग्रेजों ने विकसित न किया ; उसकी अवहेलना हुई ; विस्मृत सा यह राज्य काफी अर्से तक बंगाल से संलग्न रहा । यहां पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और इसकी समस्यायें भी काफी हैं । अंग्रेजों ने इसकी चिंता न की और तुलनात्मक दृष्टि से वह उतनी प्रगति न कर सका । तदोपरान्त विभाजन के फलस्वरूप आसाम और बंगाल दोनों राज्यों पर बुरा असर पड़ा । इस समय आसाम भारत के साथ एक तंग से रास्ते से मिला हुआ है और वहां के लोगों में अनेक प्रकार की भावनायें हैं कि कुछ लोग उनके मार्ग में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं ।

मुझे आसाम के लोग पसन्द हैं ; वे अच्छे लोग हैं । नवयुवक वहां के बड़े अच्छे हैं परन्तु इस बार उन्होंने ऐसा अत्याचार किया है जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता । दुख की बात तो यही है कि अच्छे लोगों को उन्माद क्यों वशीभूत कर लेता है । वे लोग आसाम तथा भारत की सेवा कर सकते हैं परन्तु यह दुख की बात है कि वह इस प्रकार गुमराह हो जायें ।

यह इस कांड की पृष्ठभूमि है । हम यहां पर विभिन्न याचिकाओं पर विचार नहीं करेंगे; यहां पर हमारे सामने समिति का प्रतिवेदन है । यह प्रतिवेदन अच्छा है और वस्तुगत ढंग से लिखा गया है । इसका थोड़ा सा श्रेय मुझे भी जाता है क्योंकि आसाम से आने के बाद जो कुछ मैं ने लिखा और सोचा इसी तर्ज का था । इसलिए रिपोर्ट के साथ सहमत होने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं है । कुछ थोड़ी सी बातों को छोड़ कर शेष बातें उपयोगी हैं । वास्तव में आसाम की घटनाओं का मुझे ज्ञान है क्योंकि तार, पत्र आदि की सूचनाएं मेरे पास हर समय आती रही हैं ।

एक और दस्तावेज भी है जिसे संभवतया सदस्यों ने देखा और पढ़ा होगा । वह है आसाम सरकार का नीति सम्बन्धी वक्तव्य । यह भी अच्छा है कि यह चीज आ गयी ताकि हम जान सकें कि आसाम सरकार का क्या मत है । यहां पर मेरे लिए यह कहना थोड़ा अनुचित सा होगा कि इस पत्र को देखकर एक मित्र ने कहा कि इस का प्रारूप मैं ने ही बनवाया होगा । मैं हैरान रह गया । हम ने थोड़े बहुत शब्दों के परिवर्तन इस में शायद कराये हों; इससे ज्यादा कुछ नहीं । यह प्रारूप आसाम के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने तैयार कराया है । हमें दिखाया जरूर गया था । परन्तु कृति यह उन्हीं की है । इसलिए दबाव आदि का कोई प्रश्न नहीं है ।

आशा है माननीय सदस्यों ने उसे पढ़ा होगा । यह साहसिक पत्र है और शायद बहुत से आसामियों ने इसकी आलोचना की भी हो । उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वे चुनाव में हार जाने की आशंका से नहीं घबराये हैं। उन्होंने कहा है कि परिणाम चाहे कुछ भी हों पर वे अपना कर्तव्य पालन करेंगे।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : हमें इस का पता नहीं। क्या इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां; यह है वह वक्तव्य। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८**]

जब मैं आसाम गया तो वहां की बातें देख सुन कर मुझे घोर आघात पहुंचा और मैंने कार्यवाही करने पर विचार किया। पहली चीज मुझे महत्व की यही लगी कि उन लोगों को फिर से बसाया जाय। दूसरी बातें भी महत्वपूर्ण थीं। उस समय वहां ४०,००० लोग कैम्पों में थे और ४००० लोग पश्चिमी बंगाल जा चुके थे।

मैं ने कहा कि जो मकान जला दिये गये हैं उन्हें फिर से ठीक कराया जाये और लोगों को वहां बसाया जाय। कुछ घर तो बिल्कुल ही जला दिये गये थे; कुछ घर या झोंपड़े जलाये तो नहीं गये थे लेकिन लूटे जा चुके थे और कुछ घर खाली हो चुके थे क्योंकि लोग डर से भाग गये थे। शायद वहां पर आठ या नौ हजार झोपड़ियां जला डाली गयी थीं। वहां पर मैंने फसलें पकी देखी और कहा कि इन्हें अपनी खेती से लाभ उठाने के लिए वापस लौटना चाहिए। मुझे इसके मुकाबले में हर चीज कम महत्व की लगी। उन्हें वापस लाने के लिए भी कई बातें करनी ज़रूरी थीं। पहली चीज़ तो यह कि प्रशासन को दृढ़ता और दक्षता से चलाया जाये। इसमें कोई सन्देह नहीं, जैसा कि अजित प्रसाद समिति ने लिखा है, कि आसाम के कुछ ज़िलों में दंगों के दिनों में प्रशासन बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। यह बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। सब से दुर्भाग्य की बात यह थी कि उन्हीं दिनों मुख्य मंत्री बीमार पड़े हुए थे, वित्त मंत्री काश्मीर में थे और मुख्य सचिव भी काश्मीर गये थे। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, यह कोई बहाना नहीं है . . . . .

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : वे क्यों गये थे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिये कि उन्हें ऐसी दुर्घटनाओं की आशा न थी। घटना के बाद हम सब बुद्धिमान बन सकते हैं। मैं समझता हूं उनको पूर्व सूचना देने वाले लोगों का काम अत्यन्त खराब था और हो सकता है कि गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों ने भी, जैसा कि शायद अन्य कर्मचारियों ने आचरण किया, वैसा ही पक्षपातपूर्ण आचरण करना शुरू किया हो और काम बन्द कर दिया हो।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वहां के आई० जी० ने सर्कुलर जारी किया था कि जून में वहां की स्थिति खराब होने की आशंका है।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : सर्कुलर पहली जुलाई को निकला था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वित्त मंत्री आदि पता लगते ही आसाम पहुंचे। अब तो हम कह सकते हैं कि अमुक घटना जून में हुई और अमुक जुलाई में। किन्तु उस समय स्थिति इतनी गंभीर न दिखाई देती थी। खैर, यदि आप कहें तो यह दोष सरकार का ही था कि उन्होंने स्थिति को ठीक तरह से नहीं समझा।

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री तथा मुख्य सचिव काश्मीर में ४ जुलाई की प्रधान दुर्घटना से पूर्व ही पहुंचे। मुझे सब संदेशों का ज्ञान है। मैं स्वयं काश्मीर से ७ जुलाई को लौटा हूं। मैं ने काश्मीर में रेडियो पर कुछ सुना और मैं वासप आ गया। उस समय मुख्य मंत्री सख्त बीमार थे। वस्तुतः ६ जुलाई के बाद मुख्य मंत्री को पता ही न चला कि क्या हो रहा है। वह बीमार थे। मैं १७।१८ जुलाई को उन से मिलने गया। मेरे मिलने तक उन्हें पता न था कि आशाम में ६ जुलाई के बाद क्या घटना घटी है। मैं ने भी ज्यादा बातचीत न की क्योंकि वे बीमार थे। परन्तु यह कोई बहाना नहीं। मैं केवल कुछ तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं।

तथ्य यह है कि प्रशासन चला ही नहीं---कुछ स्थानों पर यह बिल्कुल ठप्प रहा। जहां तक आई० जी० के सर्कुलरों का सम्बन्ध है उससे इस चर्चा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उनके कर्मचारियों का कर्तव्य था कि वे सूचना देते। स्थिति खराब है यह एक बात है परन्तु अप्रत्याशित घटनाओं की आशंका दूसरी बात है। ४ जुलाई से वहां अग्निकांड हुए। घर जला दिये गये। पुलिस ने आकर गोली चलाई और एक होस्टल के अहाते में एक आसामी विद्यार्थी मारा भी गया। मैं इस पर अपनी राय न दूंगा क्योंकि अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है और इसकी जांच हो रही है। किन्तु उस उत्तेजक वातावरण में वह चीज हो गयी---और जनता ने वैसा किया ही ---उससे भावनायें और उग्र रूप धारण कर गयीं। मैं इसके ब्योरे का वर्णन नहीं करूंगा। हम मानते हैं कि आसाम के प्रशासन ने अनेक कारणों से दक्षता से कार्य नहीं किया। यों तो अगर देखा जाय आसाम का प्रशासन सदा ही निर्बल रहा है---लोगों की संख्या ही कम नहीं हैं बल्कि कर्मचारियों की योग्यता भी तुलनात्मक दृष्टि से कम ही है। किन्तु इस मामले में तो कर्मचारियों ने अत्यधिक निर्बलता का परिचय दिया।

अत: इस चीज को देखकर मुझे यही लगा कि प्रशासन को मजबूत करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो मेरे सामने आया वह यह था कि क्या मैं यह सिफारिश करूं कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन होना चाहिए? मैंने इस पर काफी विचार किया और वापस आकर मैंने अपने साथियों से भी सलाह की। आसाम जाने से पहले मेरा भी यही विचार था कि जहां पर ऐसी घटना हो जाय वहां राष्ट्रपति का ही शासन होना चाहिए। किन्तु तब मने सोचा कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम क्या करना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति हम किस ढंग से कर सकते हैं।

यदि राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया जाय तो ऊपर ही थोड़ा परिवर्तन होगा; शेष व्यवस्था वैसी ही रहेगी। ऊपर के परिवर्तन का आशय है मुख्य मंत्री आदि का परिवर्तन; यद्यपि पहले वे लोग बीमारी आदि के कारण ठीक तरह से काम न कर सके तथापि उसके बाद वे लोग दक्षता से काम करते रहे। वित्त मंत्री ने काश्मीर से लौटने के बाद काफी दक्षता एवं दृढ़ता से काम किया। जहां तक आसाम के मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है, वह अच्छे प्रशासक हैं और मैं उनका आदर करता हूं। आसाम के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और आसामी ही नहीं बल्कि कछार के बंगाली तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। अतः इस समस्या परिपूर्ण राज्य में उन्होंने एकता के स्थापनार्थ काफी योग दिया है। वस्तुतः मैं समझ ही न पाया कि ऐसे योग्य व्यक्ति को छोड़कर और कौन सी सरकार वहां बने।

मैंने सोचा कि राष्ट्रपति के शासन से थोड़ा लाभ शायद हो। इससे प्रशासन का ढांचा कसा जा सकेगा; शायद कुछ काम स्थानीय सरकार नहीं कर सकती। किन्तु राष्ट्रपति का प्रशासन बुनियादी काम नहीं कर सकता। बुनियादी काम तो राज्य भर का वातावरण बदलने का था ताकि दो वर्गों का यह पारस्परिक वैमनस्य और न बढ़े। अन्यथा राष्ट्रपति के राज्य में अधिकारियों के डर से वैसी ही स्थिति रहेगी जैसे युद्ध विराम की स्थिति में हुआ करती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जिस समय हम ने आसाम में इस प्रकार के भयंकर दंगों की बात सुनी, उसी समय हम ने वहां पर सेना को भेज दिया। उस में ढील न की गयी। केन्द्र ऐसी स्थिति में यही कर सकता है कि सेना भेज दे। सेना की संख्या खासी थी। वह शीघ्र भी पहुंच सकती थी क्योंकि सीमान्त विवादों के कारण हमारी खासी सेना आसाम में ठहरी हुई है। वहां पर सेना चली गयी। राष्ट्रपति के शासन में और ज्यादा क्या होता? ज्यादा से ज्यादा ऊपर के स्तर पर परिवर्तन ही तो संभव था।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर): क्या सेना केन्द्र ने स्वयं भेजी या वहां की सरकार ने प्रार्थना करके मंगवायी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इसे मैं बाद में बता सकता हूं। स्थानीय मैजिस्ट्रेट वहीं पर स्थित सेना को ही बुला सकता है। वह अन्य स्थानों से अधिक सेना बुलाने की मांग नहीं कर सकता। केन्द्रीय सरकार ही सेना को भेजने का आदेश देती है। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि किस दिन सेना को भेजा गया। माननीय गृह मंत्री ही यह जानकारी देंगे।

†**श्री गो० ब० पन्त**: ४ तारीख को सेना भेजी गयी थी। ५ बटालियन लगाये गये थे। शिलांग में सेना ६ तारीख को भेजी गयी थी।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी**: किस के कहने पर सेना भेजी गयी। मेरा विचार है कि केन्द्र चुप बैठा रहा था। मैं यह आरोप केन्द्रीय सरकार पर लगाता हूं।

†**श्री गो० ब० पन्त**: केन्द्रीय सरकार तथा मुख्य मंत्री के पत्र व्यवहार को प्रकट करना अच्छा नहीं है परन्तु सुझाव ४ तारीख से पहले ही किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं तो यही कह सकता हूं कि जब मैं काश्मीर से लौटा तो मुझे पता चला कि सेना को तुरन्त भेज दिया गया था। ठीक समय या तारीख का मुझे पता नहीं है। सेना वहां अवश्य गयी।

जब मैं वहां गया तो मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हो सकते क्योंकि पहली चीज तो यह थी कि वहां सेना पहुंच चुकी थी और दूसरे प्रशासन भी तनिक अधिक दृढ़ता से काम करने लग गया था। श्री जैन के प्रतिवेदन में जैसा लिखा है कुछ जिला अधिकारी तो बिल्कुल ठीक काम चलाते रहे लेकिन कुछ बिल्कुल ही असफल हो गये। सेना की उपस्थिति में दंगों की संभावना कदापि संभव नहीं थी किन्तु सेना हमेशा तो वहां नहीं रह सकती। ज्यादा से ज्यादा कुछ एक महीनों तक यह वहां ठहर सकती है।

इसलिये मैं ने सोचा कि राष्ट्रपति के शासन से भी ज्यादा लाभ न होगा। वहां सेना थी और वहां के राज्यपाल भी बहुत कुशल और सक्षम हैं। उन्हें सैनिक काम का और अन्य कामों का पूरा अनुभव है। इन सब लोगों का हमारे साथ निकटस्थ सम्बन्ध था। वे हमें अपनी कठिनाइयों से अवगत कर सकते थे और हम उन्हें परामर्श दे सकते थे। यदि वहां राष्ट्रपति का शासन होता तो उत्तरदायित्व चार पांच व्यक्तियों के ऊपर ही आ जाता और उधर आसाम की जनता भी ठीक या गलत रूप से क्रुद्ध हो जाती और वातावरण बदलने में सहयोग न देती। इस में कोई सन्देह नहीं है। आसाम का प्रत्येक दल इस प्रस्ताव को नापसंद करता था; सभी ने मुझ से यह कहा भी था।

---

† मूल अंग्रेजी में

हमें आसाम की जनता का सहयोग चाहिये था। मैं ने उन के समक्ष भाषण दिया। हर जगह मैं ने कहा कि उन्हों ने बड़ी गलती की है। उन्हें इस का प्रायश्चित करना चाहिये। मैं ने कहा कि जो घर आप ने जलाये हैं उन्हें आप ही दोबारा बनाइये। शायद उन्हें लज्जा भी आयी और अपने कुकृत्यों पर शायद उन्हें पश्चाताप भी हुआ। सब को नहीं तो कुछ को जरूर हुआ।

तो मैं ने यह अनुभव किया कि जनता के सहयोग के बिना इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। हमें दंगा करने वालों का सहयोग नहीं चाहिये था बल्कि सामान्य जनता का। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति का शासन स्थापित करने से वैसा सहयोग न मिलता। यह मेरा अपना मत है। वस्तुतः वहां सेना थी और हम भी परामर्श दे रहे थे। उस से वहां का वातावरण बदल रहा था मैं ने जनता को संगठित होने तथा इस के लिये समितियां बनाने, खुद मकान बनाने तथा सुरक्षा का पक्का वचन देने आदि के लिये कहा था। मैं इस बोझ को आसाम की जनता पर ही डालना चाहता हूं। उन्हें इस सम्बन्ध में अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये। मैं तो इस समस्या को इसी तरह सुलझाने में विश्वास रखता हूं।

दुर्भाग्य से मेरी आशायें गलत सिद्ध हुई। यद्यपि इन दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है और न हो सकती है--छोटी बातें तो हो सकती हैं--फिर भी जो लोग आसाम से बाहर गये हैं उन की संख्या बहुत ज्यादा है लगभग ४०००० या ४२००० लोग होंगे। यह बात आसाम, बंगाल दोनों के लिये ही बुरी है और विस्थापितों के लिये तो बेघर होने का दुख असह्य है ही। इस समय हमारे सामने यही भयंकर समस्या है। यदि हम इस वातावरण को नहीं बदलते तो हालत तेजी से बिगड़ने लगेगी और इतनी अधिक बिगड़ जायेगी कि इसे संभाला भी नहीं जा सकेगा। इस को संभालने के लिये आसाम तथा बंगाल दोनों को ही योग देना है। एक पक्ष ही सफल नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष को भी काम करना है।

मैं इस बात को ठीक तरह पर अभी तक भी समझ नहीं पाया हूं कि इतने अर्से बाद तक भी क्यों जनता का बाहर जाना जारी रहे। इस का कारण यही है कि अभी तक इन लोगों को अपनी रक्षा का विश्वास नहीं है। लोग डरते हैं। यही बात है और इसी कारण वे जा रहे हैं। उन्हें उन की रक्षा का यकीन कैसे दिलाया जाय मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं उन की रक्षा की गारंटी व्यक्तिगत रूप में लेता हूं। अब उन की रक्षा की जा रही है। सेना उन की रक्षा कर रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : शिवसागर में घर जलाये गये और एक बच्चा भी जला दिया गया। उस के लिये आपने कुछ नहीं कहा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है। अभी मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो उस स्थिति को देख रहा हूं जो प्रति क्षण इस कारण बिगड़ती जा रही है। भय तथा आशंका ही इस का कारण है। यदि आप इस चीज का निराकरण करना चाहते हैं तो आप को इस का डट कर सामना करना होगा। किन्तु किसी पर आरोप लगाना मेरे लिये अनुचित होगा कि उसे यह करना चाहिये था यह वह। इस स्थिति को सुलझाने के लिये अनेक उपाय करने हैं।

इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि आततायियों को तथा शरारत करने वालों को कड़ा दंड दिया जाय। हैरानी तो इस बात की है कि अच्छे अच्छे पत्रों ने भी विचित्र बातें कहीं। एक अखबार में तो यह भी लिखा हुआ था कि सरकार के पास उपद्रवियों की लम्बी सूचियां हैं—उस में शायद यह भी था कि वह या तो मेरे पास हैं या विधि मंत्री के पास और हम उन्हें दबा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह बात पूर्णतया निराधार हैं। मैं ने कोई सूची नहीं देखी। देखना तो एक ओर रहा मैं ने इस के बारे में सुना भी नहीं। किसी ने भी इसे देखा या सुना नहीं। यह विचित्र बात है कि लोग कहें हमारे पास सूची है और हम उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। संभव है कि माननीय सदस्यों ने पास ऐसी सूची हो परन्तु मैं ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। गृह मंत्री ने भी इसे देखा नहीं और न ही कुछ सुना है। विधि मंत्री भी इस के बारे में कुछ नहीं जानते।

हां, जब मैं आसाम में था तो उस समय मुझे कुछ लोगों के नाम अवश्य बताये गये थे परन्तु अब वे भी मुझे याद नहीं रहे हैं। उन में से एक विद्यार्थियों का नेता है, दूसरा कोई सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है। हो सकता है कि विधि मंत्री को भी कुछ लोगों के नाम बताये गये हों।

मैं केवल यह बता रहा हूं कि किस तरह गतल बातें फैलाई जाती हैं और जनता में गलत भावना पैदा की जाती है। हमें सरकार के रूप में कार्यवाही न करने के लिये दोषी ठहराया जाता है। यह कहा जाता है कि हम ने उपयुक्त समय पर सेनायें न भेजी। मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं थी। दुर्भाग्य से मैं तो यहां था ही नहीं परन्तु सेनायें ४ तारीख को भेज दी गयीं थी। ५ और ६ को दूसरे स्थानों पर भी वे गयीं। उस के बाद हम ने और सेना भेजी।

केन्द्र को क्या करना चाहिये था और उस से क्या आशा की जा रही थी; यह बात मेरे मन में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यदि कोई यह कहता है कि वहां पर तुरन्त राष्ट्रपति का शासन लागू कर देना चाहिये था तो वह और बात है। किन्तु उस प्रश्न पर विचार करने के बाद मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह कदम गलत होगा और इस से उपयुक्त वातावरण के निर्माण में न केवल विलम्ब ही होगा अपितु उस का निर्माण भी कठिन हो जायेगा। इस मामले में हम वहां पर मुगलों की भांति काम नहीं कर सकते थे। हमें तो जनता को समझाना है और अपराधियों को समुचित दंड देना है। सामान्यतः हर आदमी गलती करता है। हम सभी आसामीयों को दोषी नहीं ठहराते। कुछ विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के कारण हम सभी विद्यार्थियों की भी निंदा नहीं कर सकते। दंड अपराधियों को ही दिया जाता है, बाकी लोगों को समझा कर ठीक रास्ते पर लाना होता है। आखिर, आज नहीं तो कल..... वहां पर चुनाव होंगे ही। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। यदि जनता को ठीक तरह से समझा कर अपने साथ न मिलाया गया तो परिणाम और भी खराब होंगे। वे तो अब भी नाराज हैं और कहते हैं कि पहले भी उन की पूछ न थी और अब भी उन को दबाया जा रहा है। वे अपने कुकृत्यों को तो भुल जाते है और उन के मस्तिष्क में नयी चीज आ जाती है तो मैं नहीं जानता कि ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया जिसे उसे करना चाहिये था।

लाला अचित राम (पटियाला) : मैं और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हमें यह बताया जाये कि १ जुलाई से पहले वहा पर सेन्ट्रल सी० आई० डी० काम करती थी या नहीं और अगर करती थी तो वह क्या करती रही ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने आप से कहा कि सेन्ट्रल सी० आई० डी० और आसाम सी० आई० डी० मिली थीं। कम से कम हमें कोई ख्याल नहीं था कि इतनी खराब हालत वहां पर होने वाली है।

लाला अचित राम : आप को ख्याल नहीं था, लेकिन सी० आई० डी० सिस्टम को भी क्या ख्याल नहीं करना चाहिये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने कहा कि वहां का सारा इंटेलिजैंस सिस्टम खराब था । मैं ने शुरू में कहा था ।

दूसरी चीज यह कहीं जाती है कि बुरी हरकतें करने वालों को जल्द ही ऐसी कोई सजा नहीं दी गई जिस का इन पर असर पड़ता । इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आसाम सरकार ने ४,००० से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है । **(अन्तर्बाधा)** । ऐसी हरकत करने वाले लोग कौन हैं--इस के बारे में लोगों के अपने अपने ख्याल हैं । उन्हों ने अपना ख्याल बना लिया है कुछ लोगों के बारे में । मैं नहीं बता सकता कि उन का ख्याल सही है या गलत । कम से कम मुझे तो किसी ऐसे दूसरे आदमी की जानकारी नहीं है । हां, मैं कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता हूं जिन्हों ने भाषा के मसले पर काफी गरमागरम उकसाहट भरी स्पीचें दी थीं । विद्यार्थियों के एक नेता के बारे में मैं जानता हूं । उस के बारे में, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस ने ऐसी कुछ नाजायज हरकतों में हिस्सा लिया था ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : क्या प्रधान मंत्री ने श्री जैन के प्रतिवेदन में की गयी इस सिफारिश को देखा है कि दंगायियों के कुछ मुखिया लोगों को, जो अभी पकड़े नही गये हैं, गिरफ्तार किया जाये, खास खास अपराधियों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किये जायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक है । मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं ऐसे सभी लोगों के बारे में नहीं जानता । यह कहने की जरूरत इसलिये पड़ी कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, पर हम छिपा रहे हैं । मैं एक विद्यार्थी नेता के अलावा और किसी के बारे में नहीं जानता ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : (पश्चिम दीनाजपुर) : वह शायद श्री दुलाल गुहा का उल्लेख कर रहे हैं । लेकिन वह विद्यार्थी नहीं है । वह तो ४० वर्ष की अवस्था का व्यक्ति है । उसके चार बच्चे हैं । और आसाम सरकार उसको विद्यार्थी बताती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे यहां ज्यादातर विद्यार्थी नेता इसी तरह के हैं । **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यह विद्यार्थी नेता शायद सरकारी कर्मचारी हैं । उसके पास कोई डिग्री नहीं है, सार्वजनिक शिक्षा निदेशक के आदेश से डिग्री-शुदा विद्यार्थियों को मिलने वाली एक छात्रवृत्ति उसे दी गई है । यह सब कैसे हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य की बात करीब करीब सही है । वह बड़ा अजीब सा मामला है । वह कृषि विभाग में क्लर्क था। उसके पांच बच्चे हैं, और एक पत्नी । उसने अपने विभाग में हड़ताल कराई थी । करीब-करीब पूरी हड़ताल थी । उसके बाद उसने छुट्टी ले ली थी, पता नहीं पहले या बाद में, ठीक याद नहीं। फिर वह शिक्षा विभाज में गया और वहां से उसने किसी तरह डिग्री शुदा विद्यार्थियों को मिलने वाला एक वजीफा पता नहीं कैसे अपने लिये मंजूर करा लिया था । **(अन्तर्बाधायें)** । उसने फिर कृषि विभाग से छुट्टी लें ली और विद्यार्थी बन गया और तब वह अपनी सारी सूझबूझ के साथ विद्यार्थियों की संघर्ष समितियों को संगठित करने में जट गया । और मानना पड़ेगा कि यह काम उसने बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वह खुद भी अपने आपको ग्रेजुएट नहीं बताता । इसमें कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है । पता नहीं उसे वजीफा कैसे मिला और कुछ लोगों ने उसकी तरफदारी कैसे और क्यों की । जो भी हो, वह आदमी विद्यार्थियों को संगठित करने, उनकी संघर्ष समितियां बनाने में जुटा हुआ था । इसमें शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी उसकी मदद की थी । हम कभी-कभी शिकायत करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों को इस्तैमाल करती हैं अपने उद्देश्य के लिये । ऐसा होता जरूर है । मगर आसाम में शायद ऐसा नहीं हुआ था । आसाम में विद्यार्थियों की संघर्ष समितियां बनाने के इस आन्दोलन के पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं था । बल्कि संघर्ष समितियां ही राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं पर छा गईं थीं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलने पर मजबूर कर दिया था । मिसाल के तौर पर, वे कहती थीं कि तुमको आकर इस सभा की सदारत करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारे घर पर पत्थर बरसाये जायेंगे । बेचारे राजनीतिक नेता को मजबूरन जाना पड़ता था ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री को यह मालूम है कि जिस राजनीतिक नेता का उन्होंने जिक्र किया था, उसने खुद ही इस आदमी को छात्रवृत्ति मिल चुकने के बाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने पेश करते हुए कहा था मैं आपका परिचय आसाम के विद्यार्थियों के नेता से करा रहा हूं, आसाम के भावी मुख्य मन्त्री से आपका परिचय करा रहा हूं ? —क्या इससे यह मालूम नहीं होता कि आसाम के प्रशासन में और वहां की राजनीति में कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं ? साफ दिखता है कि वहां फासिस्टों जैसी टोलियां मौजूद हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां । इससे ऐसी कुछ चीजों की मौजूदगी जाहिर होती है । जरूर होती है । आपने जिसका हवाला दिया है वह नेता उस समय वहां शिक्षा मन्त्री था । उसने इसके बाद ही मन्त्री का अपना ओहदा छोड़ दिया था, उससे छुड़वा दिया गया था या वह एक नाराज नेता था और शायद इसीलिये उसने ऐसी गलत चीजों को बढ़ावा दिया था । मुझे एक तरह से इस पर यकीन है । लेकिन मुझे व्यौरे वार ढंग से मालूम नहीं कि उसने क्या क्या किया था । इसलिये मैं नहीं बता सकता । लेकिन आम तौर पर एक बात वहां लोगों के दिमाग में है । यह कि उस नेता को चालिहा का मन्त्रिमण्डल बहुत नापसन्द था और इसीलिये वह उस मंत्रिमण्डल की मुखालिफत करने वाले हर आदमी को बढ़ावा दिया करता था ।

सभा को गौर इस बात पर करना चाहिये कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है । इस तरह की बेतरतीब, गुस्से भरी बातें करने से हमें इस सवाल पर साफ ढंग से सोचने में कोई मदद नहीं मिलेगी । हमें गुस्सा है, और होना भी चाहिये लेकिन यह भी तो देखना चाहिये कि हम अब करना क्या चाहते हैं । हम चाहते हैं कि आसाम में फिर से अमन हो, कोई गड़बड़ी न रहे । हम चाहते हैं कि ये सभी शरणार्थी वहां वापस जायें । याद रखिये कि आसामियों के साथ भी थोड़ा बहुत यही हुआ है । कई आसामी लोग बंगाल छोड़ कर आसाम चले गये हैं। यह दूसरी बात है कि आसामी शरणार्थियों की संख्या बंगाली शरणार्थियों से कम है । लेकिन हम ऐसी चीजें रोकना चाहते हैं । लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं । हम एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिसकी बुनियादें ज्यादा गहरी हों । हम चाहते हैं कि बंगाली और आसामी भाषायें, और भी दूसरी भाषायें बोलने वाले लोगों में आपसदारी हो, भाईचारा हो । दूसरा कोई रास्ता ही नहीं । यहां कुछ प्रस्ताव ऐसे रखे गये हैं जिनका नतीजा लाजिमी तौर पर बहुत बुरा होगा । यदि हम आसाम के लोगों में एक-दूसरे के लिये हमदर्दी और आपसदारी पैदा नहीं कर पायेंगे, तो फिर करेंगे क्या ? जाहिर है कि इसमें कुछ वक्त तो लगेगा ही ।

†मूल अंग्रेजी में

यह तो नहीं किया जा सकता कि आबादी के एक बड़े हिस्से को उसकी जगह से हटा दिया जाये, या उन्हें एक-दूसरे से लड़ने-भिड़ने की छूट दे दी जाये । और जब यह नहीं किया जा सकता, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि सभी समुदायों को, सभी लोगों को एक-दूसरे के करीब लाया जाये । इसलिये हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिये जिससे कि आसाम के लोगों में अलगाव बढ़े ।

सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि मौजूदा कठिनाइयों को दूर किया जाये और फिर धीरे-धीरे उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद दी जाये । आसाम में बड़ी मुमकिनात हैं आगे बढ़ने की । आसाम आगे बढ़ेगा । हो सकता है कि आज आसाम और बंगाल के बीच एक-दूसरे के लिये काफी नापसन्दगी मौजूद हो, लेकिन सही ढंग से काम शुरू करते ही वह धीरे-धीरे मिटने लगेगी । आसाम के आगे बढ़ने की, उसकी तरक्की की काफी गुंजाइश है । अगर आसाम की जनता को मौका दिया जाये, तो उसमें आगे बढ़ने की क्षमता मौजूद है । इससे पहले उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया । काम मुश्किल है, लेकिन किया तभी जा सकता है जब ऐसे काम न किये जायें जिनसे हालत बिगड़ती है । हमारा यही नजरिया रहा है । और इस काम को आसाम की मौजूदा सरकार के जरिये ही पूरा कराने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था । उसकी जगह किसी दूसरी बेहतर स्थानीय सरकार को यह काम सौंपने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं उठा । और केन्द्रीय सरकार की तरफ से उसमें सीधा-सीधा दखल देना तो और भी बुरा होता । मेरा ख्याल है कि उससे हालत सुधरती नहीं । ऐसे कामों से हालत पर काबू पाया जा सकता है, उसे सुधारा नहीं जा सकता । लोगों में भाईचारा और आपसदारी पैदा करने का काम तो शुरू नहीं होता ।

हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे । और इस नतीजे के बाद जरूरी हो गया था कि आसाम सरकार की हर मदद की जाये । उसको जरूरत की चीजें दी जायें और उसकी प्रतिष्ठा को ऊंचा रखा जाये हमने उनको जो काम सौंपे जाहिर है कि वह काफी मुश्किल थे । लेकिन साथ ही, अगर हम उसे सह-जोर बनाने की बजाये दिन-दिन कमजोर बनाते हैं तो काम और ज्यादा मुश्किल बन जायेगा । इससे लाजिमी नतीजा यही निकलता है कि हमें आसाम सरकार को कमजोर बनाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिये । आसाम सरकार की नीति आपको मालूम है । खुद उसके दस्तावेज में पूरी नीति बताई गई है । वह नीति काफी मजबूती की नीति है, हिम्मत वाली नीति है और मेरा ख्याल है कि कोई भी उसकी काट नहीं कर सकता ।

अक्सर सवाल उठाया गया है कि इसकी जांच कराई जाये । ऐसे हंगामे के बाद, ऐसे झगड़ों के बाद जांच की बात दिमाग में आना स्वाभाविक है । जाहिर है कि लोग कई तरह की जांचों की बात सोचते हैं । कुछ लोग इसकी जांच कराना चाहते हैं कि हंगामा मचाने वाले लोग असल में कौन थे । कुछ दूसरे लोग हैं जो बुनियादी चीजों की जांच कराना चाहते हैं कि हंगामे की जड़ में क्या बात थी और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है । मैं जब आसाम गया था, तब मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था । मेरी कुछ आदत सी बन गई है सोचने का तरीका ऐसा बन गया है कि जब भी कोई हंगामा हो, उसकी पूरी पूरी जांच कराई जानी चाहिये । जांच होने दीजिये लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे देश में जिस ढंग से जांच का काम होता है उससे मुझे बड़ा खटका पैदा होता है । मैं जांच करने वालों की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं । लेकिन जांच का तरीका कुछ ऐसा है कि उससे खटका पैदा होता है । छः महीने तक जांच चलती है, काफी रुपया बहाया जाता है, और जब लोग घटनाओं को बिल्कुल भूल जाते हैं तब कहीं जाकर न्यायिक जांच का नतीजा तैयार हो जाता है । मैं तो खुद चाहता हूं कि जांच पूरी-पूरी हो, लेकिन उसमें ज्यादा वक्त न लगाया जाये, उसके फैसले जल्द सामने आ जायें । ऐसे हंगामों के बाद, हमेशा ही मेरे दिमाग में पूरी जांच-पड़ताल कराने का ख्याल सबसे पहले आता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन आसाम से लौटने के बाद, यहां आसाम से इतनी दूर, जब मैंने उस हंगामे की बात सोची, तो मुझे साफ दिखाई देने लगा कि अगर इतनी लम्बी, महीनों चलने वाली कोई ऐसी जांच कराई गई, तो जांच के अर्से तक आसाम की हालत में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। हम चाहते हैं कि भाईचारा और आपसदारी पैदा करने का काम इसी दम शुरू हो, लेकिन अगर जांच कराई गई तो उतने अर्से तक यह काम शुरू होना तो दूर की बात, इसका बिल्कुल ही उल्टा होगा। लोगों में कशमकश बढ़ेगी ही। आसाम में तीन दिन, सिर्फ तीन दिन के बाद ही मैं अपना सिर थाम कर अपने आप से पूछने लगा था कि मैं अपने होशोहवास ठीक रख पाऊंगा या नहीं। इसलिये कि दोनों तरफ से एक-दूसरे पर ऐसे आरोप लगाये जा रहे थे, इतनी विरोधी बातें कही जा रही थीं और इतने गुस्से से कही जा रही थीं, कि कुछ भी सुनना-समझना मुश्किल था। मुझे तो हैरत हुई कि किस-किस तरह की बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं। तभी मैंने सोचा कि अगर कोई कमीशन यहां जांच करने आयेगा और सबूत और जिरह वगैरह जुटाने का काम करेगा, तो उसके सामने भी ऐसी ही बातें आयेंगी और तब कशीदगी कम होने की बजाय और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी। छोटे-छोटे मुकदमों तक में यही होता है। जब तक मुकदमा चलता है दोनों तरफ से अपनी-अपनी बात साबित करने की कोशिश चलती रहती है और जोरदार से जोरदार तरीकों से एक दूसरे पर जुर्म लगाये जाते हैं, उनके बीच की खाई ज्यादा बढ़ती जाती है। इसलिये अगर कई महीने तक जांच चलेगी, तो उतने अर्से तक आसामी और बंगाली लोग एक-दूसरे से दूर होते ही जायेंगे। फैसला तो बाद की बात है, लेकिन उतने अर्से तक तो नफरत का बाजार गर्म रहेगा। बंगाल से आसाम तो कोई भी वापस नहीं जायेगा, हां आसाम से जरूर ही कुछ थोड़े और लोग बंगाल आ जायेंगे।

इन सब बातों को देख कर ही, मैंने जांच कराने का अपना इरादा बदल दिया। पहले मैं जांच कराने की बात जरूर सोच रहा था। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि ऐसी जांच कराने से लोगों को बसाने में मदद नहीं मिलेगी, नुकसान होगा। जांच की बात मैं सोच रहा था, लेकिन बाद में मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा जो श्री अजित प्रसाद जैन ने अपने प्रतिवेदन में निकाला है। एक दो चीजें मैं जरूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि हंगामा पैदा करने वाले लोगों को सजा दी जाये। लेकिन महीनों चलने वाली जांचें कराना इसका तरीका नहीं। कुछ दूसरी छोटी-छोटी, कम वक्त की जांचें भी होती हैं। खुशी की बात है कि कुछ जगहों पर ऐसी जांचें हुई हैं, और मिली जुली रिपोर्ट में दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही जांचें कराने की सिफारिश की गई है। अपराधियों को सामने लाने का यही रास्ता है। किसी अच्छे आदमी को जांच का काम सौंप दीजिये। अगर सरकारी विभाग का कोई आदमी आपको नहीं जंचता, तो हाई कोर्ट का कोई जज रख लीजिये। सही नजरिया यही है कि लम्बी चलने वाली जांच की बजाय ऐसी छोटी छोटी जांचें कराई जायें, स्थानीय तौर पर।

बहुत बड़ी, लम्बी-चौड़ी जांच, या हंगामे की जड़ का पता लगाने की जांच की बात मैं बहुत पहले मान लेता और उससे हालत और ज्यादा बिगड़ने का अंदेशा न होता। मैं सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को देता हूं कि आसामी भाषा बोलने वालों और बंगालियों के बीच आगे चलकर किस तरह के ताल्लुकात रहेंगे। यही सबसे बुनियादी चीज है। बुनियादी इसलिये अगर इसमें गड़बड़ हो गई, तो इसका असर बहुत से पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ेगा। बिहार पर भी असर पड़ेगा, उड़ीसा पर भी, और इसी तरह चीज़ बढ़ती जायेगी। इस तरह की नफरत और हिंसा बहुत जल्दी, ज्यादा आसानी से फैलने लगती है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि पहले परिस्थिति पर काबू पा लिया जाये, बाद में जितनी चाहें जांचें कराई जा सकती हैं।

मैंने मुख्य मंत्री, श्री चालिहा से इसके बारे में बात की थी । वह भी चाहते थे कि पहले शान्ति स्थापित कर ली जाये और लोगों के ताल्लुक़ात में खिचाव न रहने दिया जाये, लेकिन अगर इससे पहले जांच कराई जायेगी तो सारा मामला उलट जायेगा । उनका नज़रिया एक मोटे तौर पर यही था कि जांच बाद की बात है । वह जांच के खिलाफ़ नहीं थे ।

इस प्रस्ताव पर कई संशोधन रखे गये हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतः जांचों से है । हम जांच के खिलाफ़ नहीं हैं । श्री चालिहा को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी । उन्होंने मुझ से कहा था कि कोई भी ऐसी बात तो है नहीं जिस पर वह पर्दा डालना चाहें । बल्कि उनको खुद फिक्र है कि ऐसी हरकतें करने वाले सभी लोगों को सजायें मिलें । और वह ऐसे लोगों को सज़ायें देंगे । यही बात उन्होंने अपनी नीति संबंधी वक्तव्य में कही है । लेकिन वह नहीं चाहते कि पहले से एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू कराके सुधार होने की रही-सही गुंजाइश भी खत्म कर दी जाये । पहले लोगों को बसाने का काम शुरू किया जाये, फिर उसके बाद जांच कराई जाये । लेकिन वह जांच भी किस ढंग की, कैसी हो ? मैं अपने ख्यालात रख रहा हूं, श्री चालिहा के नहीं । मेरा ख्याल है कि हर जगह जाकर बुराई की जड़ें उखाड़ने और उनकी जांच करने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा । उससे तो दर्द और बढ़ेगा । जांच ऐसी होनी चाहिये जो बड़ी शीघ्रता से हो, कुछ काबिल आदमियों द्वारा कराई जाये । ऐसी जांच कुछ बड़ी बड़ी जगहों में होनी चाहिये, और वहां अपराधियों को सजायें दी जानी चाहियें । अगर और गहरे उतरकर, बुराई की जड़ खोद निकालने की कोशिश की गई और उसका इलाज ढूंढा गया तो काम बहुत मुश्किल हो जायेगा । ऐसी जांच ठीक वक्त पर ही होनी चाहिये, जब उसके माकूल हालात पैदा हो जायें ।

मेरा एक सुझाव है; मैं चाहता हूं कि सभा इस पर गौर करे । बुराई का पता लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिये । श्री जैन ने अपनी रिपोर्ट में भी यही सुझाव दिया है कि कुछ काबिल लोग दंगे के खासखास इलाकों में जायें और वहां जांच करके अपराधियों के खिलाफ़ कार्यवाही करें । और अगर बुराई के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच आप कराना चाहें, तो उसके लिये कोई उपयुक्त समय होना चाहिये । अभी इस वक्त तो उससे सारा काम बिगड़ जायेगा ।

मुझे बताया गया है कि जिन मकानों को नष्ट किया गया था, उनमें से ४० फी सदी को उन इलाकों के लोगों ने आसाम सरकार की मदद से फिर खड़ा कर दिया है । खुशी की बात है कि कई जगहों पर विद्यार्थियों ने भी इसमें मदद की है । आसाम सरकार की मदद के लिये हमने अपनी फौज भेज दी है, जिससे कि मकान का काम और भी जल्द पूरा किया जा सके । लोहे की नालीदार चादरों की कमी की वजह से इसमें कुछ देर जरूर हो गई थी । लेकिन अब उनकी कोई कमी नहीं रही । हमारी फौज के आदमी वहां मौजूद हैं । वे इस काम पर ही जोर दे रहे हैं । वैसे यह उनके लिये कोई बड़ा उपयुक्त काम नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि कुछ इलाक़े उनको मकान बनाने के लिये सौंप दिये जायेंगे । जो भी हो, मकान बड़ी तेजी से बन रहे हैं और करीब करीब सभी शरणार्थी उन मकानों में, जो जल नहीं गये थे, वापस जा सकते हैं; अब उनकी मरम्मत पूरी हो चुकी है ।

इनके अलावा दो और चीजें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा । वह हैं : अखबार और विद्यार्थी । हमारे देश में सब लोगों ने इस बात को एक उसूल, एक कानून की तरह मान लिया है कि अखबारों की आजादी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिये । एक बड़ी हद तक, मैं भी इसी बात को मानता हूं । मैं तो यह भी नहीं कहता कि इसके लिये हमारे अखबारों को आदर्श अखबार होना चाहिये । मैं औसत दर्जे से कुछ नीचे के अखबारों को भी बर्दाश्त कर सकता हूं, कर ही रहा हूं । हमारे देश

[श्री जवाहर लाल नेहरु]

में ऐसी कई पत्रिकायें चल रही हैं जिससे हमारे देश की तो क्या किसी की भी इज्जत में चार चांद नहीं लगते। अच्छे अखबार और अच्छी पत्रिकायें भी हैं। हमें यह बात माननी चाहिये। लेकिन यह तो बड़ी ज्यादती होगी कि अखबारों को मनमानी करने दी जाये, जनता के हितों को चोट पहुंचाने की भी आजादी दी जाये। कोई भी देश इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अगर हमारे अखबार जात-पांत के साम्प्रदायिक दंगे कराने पर आमादा होंगे, तो जाहिर है कि हम उनको बन्द कर देंगे, करना चाहिये बन्द उनको। ऐसे अखबारों के बंद करने में प्रेस की आजादी का ख्याल आड़े नहीं आने देना चाहिये। और अगर कुछ अखबार इससे भी ज्यादा बुरा काम करते हैं, साम्प्रदायिक दंगों से भी ज्यादा बुरी चीज़ के लिये लोगों को भड़काते हैं, आसामी भाषा बोलने वाले बंगालियों और आसामियों के बीच, बंगाली बोलने वाले आसामियों और बंगाल के लोगों के बीच नफरत पैदा करते हैं, तो वह और ज्यादा गम्भीर बात बन जाती है। इसका असर तो बंगाल के उन इलाकों के भविष्य पर पड़ेगा। मैं इसके हक़ में नहीं कि तथ्यों पर पर्दा डाला जाये, लेकिन इसके खिलाफ़ जरूर हूं कि तथ्यों को एक ऐसा रंग दिया जाये जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो और सारा माहौल ख़तरनाक बना दिया जाये। अगर कोई अखबार ऐसी हरकत करे तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिये, उसके लिये एक कानून होना चाहिये।

देश की हिफाजत, एकता और मजबूती वगैरह के सवालों को, इतने गम्भीर सवालों को लेकर अगर अखबार जनता में बौखलाहट और गुस्सा पैदा करना चाहें, उनको उभाड़ना चाहें, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता; ऐसे अखबार पढ़ने वालों का कोई कुसूर नहीं। जो भी पढ़ेगा ऐसे अखबारों को उसे गुस्सा ता आयेगा ही।

मैंने आसाम और बंगाल के कुछ अखबार देखे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी सुर्खियां जिस तरह दी थीं उनको पढ़कर बड़ा बुरा लगा। यह ठीक है कि खबरों पर पर्दा नहीं डालना चाहिये, लेकिन हर अफवाह को तो खबर नहीं कहा जा सकता। एक तरीका सा बना लिया गया है कि किसी अफवाह को पहले तो सुर्खियों में देकर खूब फैला दिया जाता है चारों तरफ़, फिर बाद में दो लाइनों में कह दिया जाता है कि अफवाह ग़लत थी। सिर से पैर तक झूठी रिपोर्टें भी अखबारों को भेजी गई हैं। मैंने इसकी जांच कराई है। मैं जानता हूं। थोड़ी कुछ सचाई भी थी कुछ रिपोर्टों में लेकिन उनका सम्पादन कुछ ऐसे ढंग से किया गया, ऐसी सुर्खियों दी गईं, कि उनको पढ़कर लोगों में गुस्सा पैदा हो। जब कि अखबारों को तो यह घाव भरने की कोशिश करनी चाहिये थी।

आसाम के विद्यार्थी कोई दूसरी किस्म के विद्यार्थी तो नहीं हैं। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की तरह, वे भी हैं। कभी ठीक-ठीक चलते हैं, और कभी हंगामा मचाने लगते हैं। इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कुछ ख़ास वजूहात हैं जिनसे वे भटक गये। हो सकता है कि विद्यार्थी अपने आपको एक खास तबके का मानते हों, हर आदमी और हर ओहदे से अपने को ज्यादा बड़ा मानते हों। कुछ नई उमर के विद्यार्थी मेरे पास आये थे। कहने लगे कि कानून लागू करने और अमन बनाये रखने की जिम्मेदारी अगर उनको सौंप दी जाये, सरकारी मशीन हटा दी जाये, तो फिर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। बात मज़ाक में नहीं, बड़ी संजीदगी के साथ कही गई थी। बड़ा अजीब सा तरीका है सोचने का। मैं आसाम का कोई नेता तो था नहीं। अगर होता तो मैं इसके बारे में उनको अपने ख्यालात बताता, काफी पुरजोर तरीके से अपने ख्यालात उनके सामने रख देता। हां, लेकिन आम सभाओं में मैंने अपने ख्यालात सबके सामने रखे थे। विद्यार्थियों ने भी वहां मेरी बात कान देकर सुनी थी, इसलिये कि मैं उनका दोस्त हूं, दोस्ती का बर्ताव करता हूं उनके साथ, हालांकि कभी-कभी उनको बुरा-भला भी कह देता हूं। उनके सोचने का तरीका बड़ा ग़लत है।

मेरी समझ में तो नहीं आता । डा० गौड़ ने अपनी विमति टिप्पणी में बड़ी लम्बी-चौड़ी हांकी है लोकतंत्र और विद्यार्थियों को लेकर । मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि उस में उन्हों ने जो भी कहा है वह सब एकदम बेकार बातें हैं । आसाम की घटनाओं के इस सिलसिले में लोकतंत्र और विद्यार्थियों के बारे में ऐसी बातें करना बिलकुल बेमतलब है । मैं तो चाहता हूं कि विद्यार्थी तरक्की करें, आगे बढ़ें, बड़े, बहुत बड़े बनें और अपनी खुद की तथा देश की सेवा करें । लेकिन सारे राज्य पर, सारी जनता पर हावी होने के मंशा से बनाई गई संघर्ष समितियों को लोकतंत्र का अमल, विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले लोकतंत्र की सीढ़ियां कहने का एकदम कोई मतलब नहीं होता । ऐसी बातें विद्यार्थियों और लोकतंत्र दोनों ही के नजरियों से बेमतलब हैं । मेरा तो ख्याल है कि डा० गौड़ न विद्यार्थियों के हामी हैं और न लोकतंत्र के । लेकिन यह समस्या वाकई बड़ी गम्भीर है, इसलिये कि आखिर वे विद्यार्थी ही हैं होनहार विद्यार्थी हैं । उन को आगे चल कर बड़े-बड़े काम करने हैं । उन में ताक़त है, फुर्ती है, और भी कई अच्छाइयां हैं । लेकिन उन का इस तरह भटक जाना, उन के अपने के लिये, आसाम के लिये, देश के हर आदमी के लिये बुरा है । उन को काबू में रखा जाना चाहिये ।

इसलिये, अब हमारे सामने चार-पांच समस्यायें हैं । सब से पहली है शरणार्थियों को बसाने की, वे वाकई बुरी हालत में फंसे हैं ; प्रशासन में सुधार करना है । और, साथ ही अपराधियों को, ग़लत काम करने वालों को और उन अधिकारियों को भी जिन्हों ने ठीक काम नहीं किया सजा देनी है । फिर बुनियादी समस्या को लेना है, जो ज्यादा मुश्किल है । हमें अभी इस वक्त कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिस से बाद में बुनियादी समस्याओं को हल करने के रास्ते में अड़चनें आयें । अगर हम खुद अपना दिमाग़ खो बैठेंगे, गुस्से में बह जायेंगे और उस की वजह से कोई गलत कदम उठा लेंगे तो हालत इतनी बिगड़ जायेगी कि संभाले नहीं संभलेगी । यह एक ऐसा खतरा है, जो सिर्फ आसाम या बंगाल के लिये नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश और हमारी संसद् के लिये एक चुनौती बन कर हमारे सामने डट गया है । उम्मीद है कि हम इस चुनौती का सामना कामयाबी के साथ करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसाम की स्थिति और उस के बारे में संसदीय शिष्ट-मंडल के प्रतिवेदन पर, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्ताव रख सकते हैं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अतुल्य घोष** : (आसनसोल) मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"यह सभा आसाम की स्थिति और उस के बारे में संसदीय शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन पर, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अतुल्य घोष]

करने के पश्चात् सिफारिश करती है कि आसाम में जुलाई मास में किन परिस्थितियों के फलस्वरूप उपद्रव हुए इस की जांच करने और भविष्य में ऐसे उपद्रवों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही के बारे में सुझाव देने के लिये सरकार को उचित समय पर एक न्यायिक जांच की व्यवस्था करनी चाहिये ।"

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव और ये संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के तेरह वर्ष बाद और १९४६-४७ के साम्प्रदायिक दंगों का नंगा नाच देख चुकने के बाद भी, देश में कहीं भारतीय राष्ट्रीयता की भावना पर इस प्रकार का घातक प्रहार भी हो सकता है । हम सोचते थे कि अब उस की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती ।

आसाम की इस विभीषिका के पीछे कई बड़े-बड़े राजनीतिक कारण हैं, जिन का उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं हुआ है । आसामी भाषा के नाम पर जो भी किया गया है, उस से आसाम ही नहीं पूरे देश के माथे पर कलंक का टीका लगा है । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि ऐसी घटनाओं से भारतीयता की भावना के लिये खतरा पैदा होता है ।

विष्णु पुराण में हमारे देश के बारे में कहा गया है :

उत्तरं यत् समुद्रस्य,
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्;
वर्षं तद् भारतम् नाम,
भारती यत्र सन्ततिः ।

हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के पुत्र हिमालय से समुद्र तक विस्तृत इस अपने देश में कहीं भी साधिकार रह सकते हैं ।

इन अमानुषिक घटनाओं ने हमारी राष्ट्रीयता की प्राचीन परम्पराओं को चोट पहुंचाई है ।

अमरीकी संविधान में एक व्यवस्था है कि यदि किसी अव्यवस्था का प्रभाव राष्ट्रीय सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा करता हो, तो राष्ट्र की पूरी शक्ति से उसे कुचला जा सकता है । हमारे यहां भी, यदि केन्द्रीय सरकार चाहती, तो हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन उस ने नहीं किया ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए ।]

श्री जैन के प्रतिवेदन में बताया गया है आसाम में अव्यवस्था के आसार जून में ही दिखने लगे थे और इंस्पैक्टर-जनरल ने उस की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया था ।

इन घटनाओं के फलस्वरूप ४०—५० हजार व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं और ८—९ हजार घर मटियामेट कर दिये गये हैं । ४० से अधिक व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं । महिलाओं के साथ बुरे से बुरा सलूक किया गया है । बच्चे आग की लपटों में झोंके गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४ जुलाई से लगा कर दो-तीन सप्ताह तक वहां कानून का राज नहीं था। यह अव्यवस्था एक खास तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से फैलाई गई थी। प्रतिवेदन में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। १५ अगस्त के बाद आसाम जाने वाले कई शिष्ट-मंडलों ने इस की पुष्टि की है कि विध्वंसकारी कार्यवाही करने के लिये लोग ट्रकों और बसों में पहुंचते थे और कभी-कभी वे ट्रकें सरकारी होती थीं।

केरल में इतना सब नहीं हुआ था, फिर भी केन्द्रीय सरकार वहां हस्तक्षेप करने के लिये दौड़ पड़ी थी। परन्तु आसाम में राज्य सरकार ठप्प हो जाने पर भी केन्द्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। कांग्रेस पार्टी के अन्दरुनी झगड़ों के कारण, कुछ कांग्रेसी चालिहा मंत्रीमंडल को उलटने के लिये सक्रिय थे, लेकिन केन्द्र चुप ही रहा।

हमारे प्रधान मंत्री का आसाम जाना बिलकुल ठीक था। हमें आशा थी कि इतनी अधिक हिंसा और विभीषिका देख कर वह उबल पड़ेंगे, लेकिन वह अपने कांग्रेसमैनों के दोषों पर पर्दा डालने के लिये कहीं नहीं चिन्तित दिखाई पड़े। आज उन्हों ने स सभा में जो भाषण दिया है उस में यह दिखाने की कोशिश की है कि जैसे यह दो समुदायों के बीच का झगड़ा है और अब हम उस का निबटारा करेंगे। चीज तनी आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग आसाम में सक्रिय हैं। केन्द्रीय सरकार की चुप्पी उन के अपराध पर पर्दा डाल रही है।

प्रधान मंत्री ने १ली अगस्त को इस सभा में कहा था कि १६,००० व्यक्ति फिर से आसाम लौट गये हैं। लेकिन उस हंगामे के छः हफ्ते बाद, २७ अगस्त को हमें बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल में अभी ३६,३८३ शरणार्थी मौजूद हैं। १५ अगस्त के बाद भी, ढुबरी और गौहाटी में फिर ऐसी घटनायें हुई हैं। अभी भी आसाम में असुरक्षा की भावना इतनी अधिक है कि वहां से रोज ही शरणार्थियों का तांता बन्धा हुआ है। शरणार्थी लोग सियालदह स्टेशन पर जमा होते चले जा रहे हैं। वे लोग वहां अपनी जान बचाने पहुंच रहे हैं, आबहवा बदलने के लिये नहीं।

हम संसद्-सदस्य जानना चाहते हैं कि इस बुराई के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न कर के, चुप्पी साध कर, बुराई को बढावा दिया है। इस के कारण दलगत हैं।

हमें आम आसामी जनता के प्रति कोई विद्वेष नहीं है। बंगालियों ने आसामी साहित्य और संस्कृति के विकास में काफी योग दिया है। लेकिन असामी जनता को बंगालियों के खिलाफ उभाड़ा गया है, उन को पागल बना दिया गया, इतना अधिक कि २६ अगस्त को गौहाटी में बंगालियों पर छूरे चलाये गये।

आसाम में बंगाली लोग कई पीढियों से रहते आ रहे हैं। वे अब पूरी तरह आसामी बन चुके हैं। इसलिये उन को वहां नागरिकता के सभी अधिकार हैं, पर उन के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई।

आसाम में आसामी जनता कुल जनसंख्या की केवल ५५ प्रतिशत है। फिर भी आसामी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में थोपने की कोशिश की गई है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह प्रश्न देश के सभी अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखता है।

शिष्टमंडल का प्रतिवेदन एक हद तक सहायक है, लेकिन उस में कोशिश की गई है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पर कोई लांछन न आ सके। विमति टिप्पणी में स्पष्ट कहा गया है कि आसाम कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता के हमले का सामना करने का साहस नहीं किया। क्या प्रधान मंत्री और भारत सरकार इस हंगामे में भाग लेने वाले आसाम के कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहते? हंगामा और दंगा मचाने वालों के बड़े-बड़े नेता अभी भी खुले घूम रहे हैं।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

इसीलिये हम ने न्यायिक जांच की मांग की है इस संशोधन के जरिये। इस पर सभी विरोधी दलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये हैं। मेरी समझ में प्रधान मंत्री की यह दलील नहीं आती कि न्यायिक जांच कराने से हालत और खराब हो जायेगी। आसाम की हालत में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को अपनी सुरक्षा का विश्वास न हो।

और उन में सुरक्षा की भावना तब तक पैदा नहीं हो सकती, जब तक कि उत्पाद कराने वाले बड़े-बड़े मुखिया नेताओं को उचित दंड नहीं दिया जाता। श्री अतुल्य घोष ने अपने संशोधन में कहा है कि उचित समय पर न्यायिक जांच हो। उचित समय यही है। हम पहले ही काफी समय नष्ट कर चुके हैं। यदि केन्द्र की ओर से जुलाई में ही हस्तक्षेप हो जाता, तो अब तक उस की जांच पूरी हो जाती और हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तब कुछ न करने के कारण ही, हालत बद से बदतर हो गई है। जैन प्रतिवेदन ने नौगांव और गोरेश्वर इत्यादि क्षेत्रों में विभागीय जांच कराने की सिफारिश की है। उस में न्यायिक जांच की बात नहीं कही गई। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। पूरा पश्चिमी बंगाल न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। पश्चिमी बंगाल के सभी दल इस पर एकमत हैं। न्यायिक जांच के बिना आसाम में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं होगी। आशा है कि सरकार इसे अविलम्ब स्वीकार कर लेगी।

प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि समाचारपत्रों को विश्वस्त सूत्रों से मिले समाचारों को प्रकाशित करने की आजादी रहनी चाहिये। समाचारपत्रों का अपना भी एक दायित्व होता है। लेकिन आसाम में कलकत्ता के समाचारपत्रों के दो सम्वाददाताओं को भी जान से मार दिया गया था। पश्चिमी बंगाल के समाचारपत्रों ने इस मामले में अपना दायित्व बड़ी खूबी से निभाया है। उन्हों ने आसाम की घटनाओं की ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। उन्हों ने बताया कि अपराधी लोग सरकारी अधिकारियों की आड़ में अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन अपराधियों के नाम नहीं गिनाना चाहता। इसलिये समाचार पत्रों की आवाज पर प्रतिबन्ध लगाने के हर सुझाव को रद्द किया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने इस कांड में विद्यार्थियों के योग देने का जिक्र किया है। जैन प्रतिवेदन ने इस कांड का सारा दोष विद्यार्थियों पर मढ़ा है और सिफारिश की है कि उन को अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिये। लेकिन विद्यार्थियों ने सिर्फ अपने बूते पर तो आसाम का नेतृत्व नही संभाल लिया था। वे एकाएक तो नेता नहीं बन गये थे। उन के पीछे और दूसरे लोगों का भी हाथ था। प्रधान मंत्री ने जिस विद्यार्थी नेता का हवाला दिया है, उस को अन्य सरकारी अधिकारियों के समर्थन से ही विद्यार्थियों का नेता बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने विद्यार्थियों को अपनी चालों का मोहरा बनाया था। हो सकता है कि अन्य पार्टियां भी इस की दोषी हों, एक हद तक। लेकिन हम इस की न्यायिक जांच के लिये तैयार हैं। हमारी पार्टी ऐसे कामों को बढ़ावा नहीं देती।

इस कांड को ले कर, विद्यार्थियों के राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे प्रतिबन्ध टिक नहीं सकते। ग्रेजुएट विद्यार्थियों की अवस्था २१ वर्ष के लगभग हो जाती है, और उन को चुनावों में मतदान का अधिकार मिल जाता है। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध गलत होगा। राष्ट्रीय आपात काल में तो उन को राजनीति में भाग लेना ही चाहिये। मैं नहीं कहता कि विद्यार्थी लोग पूरे समय गोलमाल ही करते रहें। लेकिन आज की दुनिया को समझने की उन की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिये। आसाम के विद्यार्थियों

को दण्ड देने का अर्थ तो यह होगा कि आप मुख्य अपराधियों को बचा लेंगे, पर उन के हाथ में खेलने वाले बेचारे विद्यार्थियों को दण्डित कर देंगे । केन्द्र ने आसाम सरकार के खिलाफ तो कोई भी क़दम नहीं उठाया है ।

दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के भाषा के मसले का निबटारा किया जाना चाहिये । मैं तो चाहता हूं कि आसामी भाषा का पूर्ण विकास हो । लेकिन उसे अभी हाल में सरकारी भाषा तो नहीं बनाया जा सकता । इस पर विचार करने के लिये सम्मेलन करने का सुझाव अच्छा है ।

शरणार्थियों को फिर से बसाने का पूरा दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । इसलिये कि केन्द्रीय सरकार ने इस कांड को रोकने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया । आसाम से आये ४०,००० शरणार्थियों को बसाने का व्यय वहन करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से नहीं कहा जाना चाहिये । मैं प्रधान मंत्री की बात मानता हूं कि देश के सभी लोगों को इस में सहायता करनी चाहिये । इस रोग को दूसरे राज्यों में नहीं फैलने देना चाहिये ।

मैं तो चाहता हूं कि प्रधान मंत्री एक बार फिर आसाम जायें । लेकिन उन को बंगालियों के प्रति अपनी पहले की ग़लत धारणाओं को अपने दिमाग़ से निकाल देना चाहिये । तभी आसाम जाने से कोई लाभ होगा । आखिर, हम सभी को अपने देश में मिल कर हरहना है । हमारे परस्पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारतीयता की भावना तो सर्वोपरि है । इसलिये जब पूरा बंगाल न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये । हम सभी को मिल कर देश के सभी लोगों में आपसदारी और भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिये । हम अपनी भाषाई एकता पर तभी गर्व कर सकते हैं जब हम पहले भारतीयता को स्वीकार करें ।

यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस का कोई हल ही नहीं । हां, लेकिन इस समस्या का हल सहानुभूति के आधार पर ही हो सकता है । यदि सहानुभूति से काम लिया जाये, तो इस का हल किया जा सकेगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** आसाम की घटनायें हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये चुनौती हैं । इसे आसामी और बंगालियों के बीच का मामला समझना भारी भूल होगी । सरकार ने इस कांड को रोकने के लिये समय रहते कोई कदम नहीं उठाया ।

इस कांड का दायित्व आसाम सरकार या आसामी जनता पर उतना नहीं है, जितना कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल पर है । वही इस के लिये उत्तरदायी है ।

हमारी एक आदत सी बन गई है यह सोचने की कि यदि केन्द्रीय सरकार को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करना हो तो बस उस का एक ही तरीका है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लाद दिया जाये । देश भर में संविधान की प्रतिष्ठा बनाये रखने का दायित्व भी केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है । और सभी तरीके नाकाम होने पर ही, राष्ट्रपति के शासन की बात सोची जा सकती है ।

संविधान के अनुच्छेद ३५५ के अनुसार केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चले । अनुच्छेद २५६ चेके अन्तर्गत संघ सरकार कार्यपालक शक्तियां ग्रहण कर के राज्यों को निदेश भेज सकती है । लेकिन भारत सरकार ने इन का प्रयोग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

नहीं किया। यह केन्द्रीय सरकार का ही दायित्व था कि अनुच्छेद १४ से १९ के अन्तर्गत दिये गये जनता के मूलभूत अधिकारों की आसाम में रक्षा करती।

केन्द्रीय सरकार ने आसाम में सेना भेजने का फैसला भी ४-५ जुलाई को किया, जबकि परिस्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। क्या सरकार को इस से पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी? केन्द्रीय गुप्तचर विभाग कहां सो रहा था?

परिवहन तथा संचार मंत्री ने २ अगस्त को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि २४ जून को मोहनबाड़ी हवाई अड्डे के कर्मचारियों पर भाषा-आंदोलनकारियों ने हमला किया था। उन्हों ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जून और जुलाई के महीनों में लुम्डिग और तिनसुकिया के बीच रेलवे डाक सेवा कुछ दिन तक अव्यवस्थित रही थी। गाड़ियां चलना बन्द हो गया था। इतनी जानकारी होते हुए भी, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी!

प्रधान मंत्री ने १ली अगस्त को बताया था कि आसाम के राज्यपाल ने जून में उन को बताया था कि राज्य में तनाव की स्थिति है।

सरकार इतने पर भी नहीं चेती। गृह-कार्य मंत्री ने उसी समय कोई कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की?

और कांग्रेस पार्टी के तथा सरकार के नेता भी इस मामले के बारे में अभी तक अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाये हैं——छः सप्ताह बाद भी। श्री जैन के प्रतिवेदन ने तो जैसे पहले के कुछ बने बनाये निष्कर्षों को ही सामने रख दिया है। लगता है कि जैसे वे निष्कर्ष आसाम जाने से पहले ही निकाल लिये गये थे। विद्यार्थी नेता दुलाल बरुआ का उल्लेख किया गया है। सभी जानते हैं कि वह किस तरह का विद्यार्थी-नेता था। उसे आसाम सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री ने विद्यार्थी-नेता बनाया था। सिबसागर और लखीमपुर के दो जिलों को छोड़ कर, अन्य चारों जिलों में सारी न्याय-पालिका और पुलिस भाषा-आन्दोलनकारियों के साथ साठगांठ किये थी। एक जगह तो पुलिस थाने से उन का जुलूस निकला था। इस से सिद्ध होता है कि प्रशासन ने उन की सहायता की है।

हर आदमी समझ सकता है कि ये घटनायें छिटपुट रूप से, बेतरतीब ढंग से नहीं हुईं। इन के पीछे एक गहरा षड्यन्त्र था। आसामी मंत्रिमंडल के सदस्य भी उस से भयभीत थे। श्री संजीव रेड्डी ने स्वयं अपने भाषण में यह बात कही थी। कांग्रेस के सभापति ने स्वयं देखा था कि आसाम मंत्रिमंडल के मंत्रिगण आत्म-विश्वास खो चुके थे। आसाम के फासिस्टी गिरोह से वे त्रस्त और भयभीत थे। आसाम की जनता इस के लिये दोषी नहीं है। में आसामी जनता को भली भांति जानता हूं। उस की वैष्णव परम्परायें ऐसी हैं कि वह ऐसी उत्तेजना में नहीं आ सकती। साम्प्रदायिकता उस से कोसों दूर है।

आर्थिक स्पर्धा की दलील भी गलत है। आसाम असैनिक सेवा में कुल १४५ कर्मचारी हैं, जिन में से १८ बंगाली, १७ पर्वतीय इलाकों के, और ११० आसामी-भाषायी हैं। फिर स्पर्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। यही अनुपात सहायक आयुक्तों के दफ्तरों में है।

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी कोई स्पर्धा आसामी और बंगालियों में नहीं हो सकती। आसाम में चाय के अलावा, पेट्रोलियम और कोयला उद्योग तथा चावल और तेल मिले हैं। कोयला खनन के चार समवाय हैं, जिन में से तीन एक व्यावसायिक समुदाय के हाथ में हैं और एक ब्रिटिश समवाय है। चावल और तेल की ३०० मिलों में से ३५ आसामियों, ३२ बंगालियों, और २३३ उसी

व्यावसायिक समुदाय के हाथों में हैं। नियंत्रित वस्तुओं के ११४ अभिकरण उसी व्यावसायिक समुदाय के हाथों में हैं और दो बंगालियों तथा चार आसामियों के हाथ में हैं। आसाम के २५ चाय बाग़ानों में से ३ बंगालियों, १ आसामियों और शेष २१ ब्रिटिश या उसी व्यावसायिक समुदाय के हाथों में हैं। मैं उस व्यावसायिक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता। उस से उत्तेजना बढ़ सकती है। इसलिये आसाम की प्रगति में बंगालियों के बाधा बनने की बात बिलकुल गलत है।

हां, मध्यवर्ग के शिक्षित आसामियों और बंगालियों के बीच कुछ स्पर्धा अवश्य है। मैं जानता हूं कि काफी अर्से से सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर एक स्पर्धा पनपती आ रही है। सभा में कहा गया है कि आसाम के मुख्य सचिव और पुलिस के इन्स्पैक्टर जनरल बंगाली हैं। लेकिन वे आसाम में पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। इस से पहले की आसाम सरकार ने मुख्य सचिव के पद पर एक गैर-बंगाली को बाहर से बुला कर रखा था, लेकिन वह वहां छः महीने से ज्यादा नहीं टिका।

मैं मानता हूं कि आसामियों और बंगालियों में कुछ स्पर्धा रही है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि बंगालियों का इस में क्या दोष रहा है। और यदि कोई दोष भी रहा हो, तो क्या उनके साथ ऐसा अमानुषिक बर्ताव करना उचित था ?

केन्द्रीय सरकार पर सब से बड़ा अभियोग यही है कि उस ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। आसाम सरकार इसके लिये दोषी नहीं है।

हम सभी श्री चालिहा की बड़ी इज्जत करते हैं। इन घटनाओं के पीछे दूसरे लोगों का हाथ है। प्रधान मंत्री उनको जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ही आसाम के फासिस्टी गुट का नियंत्रण करते हैं।

देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रधान मंत्री को साहस बटोरना चाहिये। केवल प्रधान मंत्री ही यह काम कर सकते हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : आसाम में जो दुर्घटनाएं हुई हैं वे वास्तव में बड़ी ही दुखपूर्ण हैं और ऐसी घटनाओं का होना आसाम के लिये ही नहीं बल्कि सारे भारत के लिये बड़े शर्म की बात है। ये घटनाएं हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिये भारत के विभाजन के समय हुए दंगों से भी अधिक हानिप्रद हैं। उन दिनों तो हम ने इन दंगों का सारा दोष अंग्रेजों पर थोप दिया था और कहा था कि उनकी 'विभाजन नीति' के कारण ही ऐसा हुआ है। लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं है अब तो ऐसा कोई दल नहीं है जिस पर हम यह दोष थोप सकें। दंगे हमेशा ही बड़े दर्दनाक एवं नृशंस हुआ करते हैं लेकिन आसाम की घटना तो उन दंगों से भी बढ़ गई। हम सब के लिये बड़े शर्म की बात है कि वहां पर बच्चों की हत्या की गई है और औरतों का अपमान किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं असंख्य हैं। यह और भी शर्म की बात है कि विदेशियों ने बच्चों तथा महिलाओं को अपने ही देशवासियों की बर्बरता से बचाया है।

यह कहना असत्य है कि ये दंगे वहां भाषा-विवाद के कारण हुए। लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं और कोई भी व्यक्ति भाषा के नाम पर अपने पड़ौसी से झगड़ा मोल नहीं लेगा। आम जनता का अधिकांश भाग अशिक्षित है वे अपनी ही समस्याओं में ग्रस्त रहते हैं। आसाम का भाषा सम्बन्धी विवाद भारत के अन्य स्थानों की ही भांति वहां के पढ़े लिखे लोगों द्वारा पैदा किया गया है और वहां जो दर्दनाक घटनायें हुई हैं उनके लिये वही लोग उत्तरदायी हैं। सामान्य आसामी शांतिप्रिय लोग हैं। आसाम में बंगाली के स्कूलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया है उनके क्लब आदि को बर्बाद किया गया है बंगाली महिलाओं को अपने वस्त्र बदलने के लिये मजबूर किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार्य कृपलानी]

ये कार्य वहां के गुंडे नहीं कर सकते । ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में रहने वाले बंगालियों ने तो आसामी भाषा अपनाने के लिये संकल्प तक पारित किया था । कथित अधिकांश बंगाली वस्तुतः आसामी ही हैं । वे अपने बच्चों को बंगाली ही पढ़ाते हैं और घरों में बंगाली बोलते हैं । आसाम में प्रत्येक पढ़ा लिखा आसामी बंगाली बोलता है और प्रत्येक बंगाली आसामी । फिर यह झगड़ा क्यों हुआ । मेरा विचार है कि वहां एक राजनैतिक महत्वांकांक्षा वाला दल है और एक दूसरा दल है जो सरकारी पदों तथा प्रशासन में अपना प्रभुत्व चाहता है । इन्हीं लोगों ने वहां दंगे कराये । भाषा सम्बन्धी विवाद की तो आड़ ली गई वर्ना ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले बंगालियों को इस दंगे से क्षति न उठानी पड़ती क्योंकि उन्होंने आसामी के विरोध में कभी भी कोई आन्दोलन नहीं किया था ।

यदि वास्तविक प्रश्न भाषा का था तो उसे आसानी से वहां की विधान सभा में मतदान के द्वारा हल किया जा सकता था——वहां की विधान सभा में आसामियों की बहुसंख्या है । सत्य यह है कि वहां एक गहरा षड्यंत्र है और एक गुट है जो वहां के मुख्य मंत्री को निकालना चाहता है । आसाम के मुख्यमंत्री ने एक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाना था कि आसामी वहां की राजभाषा होगी । कछार तथा कबाइली क्षेत्र के लिये कुछ छूट देने की भी व्यवस्था की जानी थी अतः फिर भाषा का यह प्रश्न कहां रहा । मान लीजिये कि कुछ लोग इस प्रकार के विधेयकों को लाना ठीक नहीं समझते थे तो वे संशोधन प्रस्तुत करके अपनी बात पूरी करा सकते थे और उनके संशोधन स्वीकार कर भी लिये जाते क्योंकि वहां उनका बहुमत था । मान लीजिये कि यह भी न होता तो संविधान के द्वारा तो उनको इस बात की छूट थी कि वह जिस भाषा को चाहें उसको प्रयोग कर सकते हैं ।

दंगों के दौरान में भी वहां बराबर बैठकें होती रहीं और लोग भाषा के प्रश्न पर जोर देते रहे । लेकिन भाषा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं था । कोई और दूसरा ही षड्यंत्र वहां मालूम पड़ता है । जब यहां इस सभा में स्थगन प्रस्ताव रखा गया था तो बंगाली और आसामी दोनों ही सदस्यों ने भाषण दिये थे । आसामी सदस्य ने कहा था कि इस दंगे का कारण भाषाई प्रश्न नहीं बल्कि दूसरा ही गहरा कारण था । अगर हम इसका ऐतिहासिक कारण लेते हैं तो हम कहीं के न रहेंगे । मैं तो कहूंगा कि इस दंगे का कारण वे शिक्षित लोग हैं जिन्हें कोई पद या नौकरी नहीं मिली । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कुछ लोग दूसरे प्रांतों में रह कर भी अपने प्रांत की ही बात कहते हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों में हमारी सरकार तर्क से काम नहीं लेती वह डरती है । उसे चाहिये कि जो लोग प्रांतों की बात करते हैं उनके साथ सख्ती का बर्ताव करे । मैं कहूंगा कि वहां ये झगड़े पिछली मई से ही चल रहे थे । ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र के गृह मंत्रालय की मशीनरी उस राज्य में ठीक से काम नहीं कर रही है । वहां झगड़े हो रहे थे लेकिन यहां उनके बारे में कोई खबर तक नहीं थी । अगर जानकारी थी भी तो कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसलिये इस मामले में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व तो है ही । और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह के दंगों की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

अतः मेरा निवेदन है कि एक जांच करानी चाहिये——जांच इस बात की नहीं कि किसने किसकी हत्या की बल्कि इस बात की इस दुर्घटना का मूल कारण क्या था । अन्यथा ऐसी दुर्घटनायें समय-समय पर होती रहेंगी । आसाम का यह पहला अवसर नहीं है जबकि ऐसी घटनाएं हुई हैं बल्कि तीसरी बार यह घटना हुई है । इसी प्रश्न को लेकर अन्य राज्यों में भी ये घटनायें हुई हैं । इसलिये इन घटनाओं का असली कारण जाने बिना इनकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकता । क्योंकि ऐसी घटनायें विश्व में हमें नीचा दिखाती हैं ।

उच्च अधिकार प्राप्त निकाय को इस मामले की जांच करनी चाहिये । तभी यह बुराई दूर हो सकती है । कुछ लोगों का कहना है कि जांच कराना ठीक नहीं रहेगा । इस से आसामी भाषी लोग रुष्ट हो जायेंगे । लेकिन मैं चाहता हूं कि सचाई का पता लग जाये । इससे आसामियों का ही नहीं बल्कि सभी का भला होगा । आसामी लोग भी वास्तविकता और सचाई जानने के लिये उत्सुक हैं ।

यह तो सभी कहते हैं कि ये दंगे एक राजनैतिक दल द्वारा कराये गये थे । उसमें प्रजा समाजवादी दल का नाम भी लिया जाता है । मैं भी उसका एक सदस्य हूं । अतः यह जानना चाहता हूं कि इस दल ने क्या-क्या किया । मैं उन लोगों का कभी भी साथ नहीं दे सकता जो प्रांतीयता में, जो सम्प्रदायवाद में यकीन रखते हैं । मैं ऐसे लोगों का साथ छोड़ने के लिये तैयार हूं जो भारत की एकता में विश्वास नहीं रखते लेकिन यह तभी होगा जब कि यह सुनिश्चित हो जाये कि प्रजा-समाजवादी दल ने वहां ऐसा किया है ।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले की अच्छी तरह जांच करनी चाहिये और इसका असली कारण मालूम करना चाहिए ।

†**श्री अतुल्य घोष** (आसनसोल) : इस प्रतिवेदन के बारे में, जिसे आसाम में गये शिष्टमंडल ने प्रस्तुत किया है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे व्यक्ति निरपेक्ष हैं, दो मत नहीं हो सकते । सभी लोग इससे सहमत हैं । पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल ने गड़बड़ी आरम्भ होने पर राज्य सरकार से परामर्श मांगा था कि उसे क्या करना चाहिये ।

(**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुई)

वहां आसाम में ये दंगे १ जुलाई से प्रारम्भ हो कर १२ जुलाई तक चलते रहे । यह ठीक है कि वहां के मुख्य मंत्री अस्वस्थ थे और वित्त मंत्री बाहर गये थे लेकिन इससे क्या हुआ । यहां केन्द्र में भी प्रधान मंत्री या गृह मंत्री बाहर चले जाते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार का काम तो चलता रहता है । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार लगातार १२ दिनों तक ये दंगे वहां होने दिये । प्रधान मंत्री का उत्तर भी इस बारे में कोई सन्तोषजनक नहीं है ।

ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों ने जिन पर सब से अधिक मुसीबतें आई हैं, कभी भी भाषाई प्रश्न नहीं उठाया था । बंगाल के तीन ज़िले आसाम में मिला दिये गये हैं, यह इसलिये किया गया था ताकि आसाम अपना खर्चा पूरा कर सके । उस राज्य के बंगला भाषी निवासी वहां के उतने ही अच्छे नागरिक हैं जितने और लोग । यह कहना गलत है कि बंगाली लोग अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझते हैं, वे भी आसाम की धरती को उतना ही प्यार करते हैं जितना आसामी करते हैं । इसलिये यह कहना गलत है कि बंगाली आसामियों पर अपनी भाषा थोपना चाहते हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था वह कुछ गुमराह लोगों की करतूत थी लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि उस घटना के कारण बंगाल ने देशवासियों की सहानुभूति को खो दिया है ।

कहा जाता है कि बंगाली लोग झगड़ेखोर हैं । हम ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया था, लेकिन अब समय लगेगा जब कि हम अपने आपको बदल सकेंगे । प्रधान मंत्री ने अपने १५ अगस्त के भाषण में भी बंगाल का उल्लेख किया था । लेकिन पश्चिमी बंगाल में स्वाधीनता दिवस न मनाना बंगालियों के दुख का प्रतीक था, साथ ही स्वाधीनता दिवस न मनाने का भी उनके

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अतुल्य घोष]

लिये वह पहिला अवसर न था । १९५६ में जब बाढ़ आई थी तब भी हम ने स्वतन्त्रता दिवस मनाना स्थगित कर दिया था । गोआ की घटना पर भी हमने स्थगित कर दिया था ।

अखबारों ने बढ़ा चढ़ा कर समाचार छापे हैं । यह बुरी बात है लेकिन वे भी मजबूर थे क्योंकि आसाम राज्य में खबरों पर कड़ा सेंसर लगा हुआ था । और राज्य सरकार की ओर से खबरें देने की कोई व्यवस्था नहीं थी और कोई व्यवस्था न होने के कारण अखबारों को अपने साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था । यदि खबरों में तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर अथवा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो इसकी वजह यही थी कि तथ्य-संग्रह की तो कोई सहूलियत ही नहीं दी गई थी ।

आसाम में यह गड़बड़ी जून में आरम्भ हुई थी लेकिन पश्चिमी बंगा : में अब भी आने वाले जाने वाले शरणार्थियों का तांता लगा हुआ है । आसाम के बंगला-भाषी लोग वहां अपने आपको बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझते । बंगाल में आने वाले शरणार्थियों की संख्या ४५,००० तक पहुंच गई है । आसाम में विधि और व्यवस्था का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है । लोगों के दिमाग में यह बात लानी होगी कि अब वहां शांति रहेगी । प्रधान मंत्री भी असाम गये थे वहां की स्थिति उन्होंने अच्छी तरह देखी है । प्रधान मंत्री को ऐसी कुशल व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोगों को यह आश्वासन हो जाये कि वे वहां सुरक्षित रह सकेंगे ।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि वहां न्यायिक जांच करानी चाहिये जिससे कि आसाम सरकार को सहायता मिल सके और आसाम के शरणार्थियों को पुनर्वास देने में सहायता मिल सके । संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि ऐसी जांच कराना अत्यन्त आवश्यक है । आसाम की घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता । अतः आशा करता हूं कि इसकी शीघ्र ही जांच करायी जायेगी ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** (शिवसागर) : आसाम में जो कुछ हुआ है, उससे मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है । मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है कि मैं इस बारे में अपना दुःख व्यक्त कर सकूं । हम अपनी पूरी शक्ति से इन अत्याचारों की निन्दा करते हैं और इनसे प्रभावित होने वालों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं । जो कुछ हुआ है उससे राज्य की जनता बहुत दुःखी है । स्वयं कुछ आसामी भी हैं जो इन अत्याचारों का शिकार हुये हैं । बहुत से ऐसे आसामी भी हैं जिन्होंने बंगालियों की सहायता की है उन्हें शरण दी है । आसामी लोग परम्परा से शांति प्रिय हैं । इस प्रकार की घटनायें सब के लिए खेदजनक हैं ।

कहा गया है कि यह सब कांग्रेस राज्य को समाप्त करने के लिए किया गया है । जो कुछ भी हुआ, परन्तु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि भाषा के प्रश्न को ठीक प्रकार से हल कर लिया गया तो अभी कुछ वर्ष आसाम से कांग्रेस को नहीं निकाला जा सकता । आगामी चुनाव में ही नहीं बल्कि इससे भी आगे वाले चुनाव में निश्चित रूप में पुनः शक्ति कांग्रेस के ही हाथ में आयेगी । कांग्रेस की जड़ वहां इतनी मजबूत है कि अगर सब दल एक साथ मिल भी जायें तो भी कांग्रेस को निकाल नहीं सकते हैं । वहां के रूठे हुए कांग्रेसी भी इतने शक्तिशाली नहीं कि मंत्रिमंडल का कुछ बिगाड़ सकें ।

इस आन्दोलन का रूप सब से पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल तथा वहां के मुख्य मंत्री को पदच्युत करने का था, परन्तु बाद में इसका रूप 'बंगालियों को राज्य से निकालना' हो गया । आसाम में १७ लाख व्यक्ति बंगाली भाषी है । लगभग ८ से ९ लाख तक बंगाली आसाम घाटी में रहते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। इन सब में से इन उपद्रवों का प्रभाव केवल ४०,००० लोगों पर ही पड़ा है। अतः यह कहना नितान्त भूल है कि यह बंगालियों को निकालने का आन्दोलन था। यदि ऐसा ही होता तो कोई भी बंगाली वहां रह नहीं सकता था।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सब के लिए उत्तरदायी कौन है? किस कारण से यह सब कुछ हुआ? संसद् सदस्यों का जो शिष्टमंडल आसाम गया था उसने अपनी रिपोर्ट में यह बिल्कुल साफ कहा है कि इन उपक्रमों का तात्कालिक कारण यद्यपि भाषा समस्या थी फिर भी वास्तविक कारण और भी गहरा था। इन सब कारणों की एक लम्बी सूची मेरे पास है परन्तु मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। साथ ही उन सब कारणों को बताने का मतलब यह होगा कि मैं उपद्रवों के पक्ष में प्रचार कर रहा हूं। मैं अपने बंगाली मित्रों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता।

मैंने श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का भाषण पूरा नहीं सुना। उन्होंने नौकरियां के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि सरकारी नौकरियों में बंगालियों की नियुक्तियां उनके अनुपात से अधिक की गयी है। बंगाली भाषी लोगों की आसाम में संख्या १७ अथवा १८ प्रतिशत है। इस अनुपात से नौकरियों में उनका अंश बहुत अधिक है। १७ लाख आदमियों के पास भूमि नहीं थी फिर भी राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के पांच लाख विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी थी। पूर्वी पाकिस्तान के ५ लाख विस्थापितों को आसाम में बसाया गया है। इन सब के लिए कभी भी बंगालियों ने आसाम सरकार की सराहना नहीं की।

आसामी लोगों की एक ही इच्छा थी कि उनकी भाषा राज्य की भाषा बन जाये। इस बात का बंगालियों द्वारा विरोध किया गया। आन्दोलनकारियों ने आसामी भाषा को "गदहों की भाषा" की संज्ञा दी। कछार में बंगला और गैर आसामी भाषी लोगों का एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस विरोधी प्रतिक्रियावादी लोगों ने स्थिति का लाभ उठा कर विद्यार्थियों को भड़काया और आन्दोलन उग्र रूप धारण कर गया।

आसाम सरकार ने दंगा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए और उनके पुनर्वास के उद्देश्य से १.४ करोड़ रुपये स्वीकृत किये। हिंसात्मक कार्यों के लिए ५००० व्यक्ति हिरासत में लिए गये। इस समय भी एक हजार लोग जेलों में है। इस समस्या का वास्तविक हल यह है कि हृदय परिवर्त्तन होना चाहिए। भाषा समस्या हल होनी चाहिए। बंगालियों को अपनी इस मनोवृत्ति को दूर करना चाहिए कि हर बात में वे पश्चिमी बंगाल का ही मुंह देखते रहें। उन्हें भी आसाम को ही अपनी मातृभूमि समझना चाहिए और आसामियों को अपना भाई समझना चाहिये। आसाम सरकार को अपनी ही सरकार समझना चाहिये। यदि इस प्रकार का परिवर्त्तन दृष्टिकोणों में हो सकता है तो बंगाली और आसामी भाषाभाषी लोगों में कोई झगड़ा नहीं होगा और दोनों शांति-पूर्वक रह सकेंगे। और ऐसा करने से न केवल आसाम और बंगाल का ही लाभ होगा बल्कि सारे देश को लाभ होगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): बंगाली तथा गैर आसामी भाषी लोगों के सम्मेलन में ही यह विचार पहली बार प्रकट किया था जिसे अब प्रधान मंत्री ने तथा संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के नेताओं ने भी मान लिया है। वह यह है कि आसाम की राज्यभाषा की घोषणा, किसी सर्वमान्य सूत्र के स्वीकृत होने तक के लिए स्थगित कर दी जाय। यह बड़ी विचित्र बात है कि संसदीय शिष्ट मंडल ने इस सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्प को बहुत लम्बा कह कर

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

अपनी रिपोर्ट में स्थान नहीं दिया है । परन्तु खेद की बात है कि साम्यवादी दल का प्रस्ताव उन्हें लम्बा नहीं लगा। उसे उसमें स्थान दिया गया है । इस बात की मुझे शिकायत है ।

इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्र को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही इन घटनाओं के बारे में कोई जांच ही करानी चाहिए । परन्तु वहां जो स्थिति थी वह इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती थी कि केन्द्र को इसमें प्रत्येक अवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का उचित समय पर प्रयोग कर लिया जाता तो स्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना किया जा सकता था । और इससे आज जो लोग अपने घर-बार छोड़ कर विस्थापित बनने के लिये बाध्य हुए हैं वे इस संकट से बच जाते ।

आसाम की घटनाओं को आप असाधारण नहीं कह सकते । ऐसी घटनायें १९४८, १९५० और १९५५ में भी हो चुकी हैं । बहुत कुछ हुआ था, परन्तु उनमें किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया । हमें आज भी यही सन्देह है भयंकर बातें हो जाने पर भी शायद कुछ न हो । ऐसी परिस्थितियों में, स्थिति का सामना करने के लिये विशेष कार्यवाही होनी चाहिये ।

प्रधान मन्त्री ने भी ४ जलाई का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि ये घटनायें ४ जुलाई से आरम्भ हुईं । लेकिन आसाम के गवर्नर ने उनको गलत सूचना दी । ४ जुलाई का उल्लेख आ जाने से आज लोगों की यह धारणा बन गयी है कि उस तारीख से पहले कुछ हुआ ही नहीं था । आसाम सरकार की विज्ञप्ति तक में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उपद्रव २७ जून को ही आरम्भ हो गये थे। विद्यार्थियों की 'कौंसिल आफ एक्शन' ने सारी आसाम की सरकार पर कब्जा कर लिया था । शान्ति और व्यवस्था का सारा काम उनके हाथ में चला गया था । वह तो लोगों को परमिट देने लगे थे । और इस प्रकार की अराजकता की स्थिति वहां कई दिन तक रही । इन विद्यार्थियों का नेता एक ४० वर्षीय पुरुष था जिसके शायद ५ बच्चे भी हैं । उसने ही यह सारा कबाड़ा किया । यह बात ध्यान में रखने योग्य है ।

आसाम की आबादी में ३३ प्रतिशत से अधिक बंगाली हैं । लेकिन, श्री बरुआ ने यह १७ प्रतिशत बताया है लेकिन यह गलत है वहां गैर आसामी लोगों की संख्या कुल मिला कर ६६ प्रतिशत है परन्तु खेद की बात यह है कि आसाम का राज्य कांग्रेस के नाम पर आसाम जातीय महासभा चलाती है । राजनैतिक तो वहां बराये नाम हैं । ऐसा साहित्य भी प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि बंगालियों को बलपूर्वक आसाम से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आसाम को बंगाल ने ही जन्म दिया था । और हमें इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिये कि आसामी भाषी क्षेत्र आसाम के कुल क्षेत्रफल का १/५ भाग है ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे इस बात का खेद है कि वाद-विवाद में कटुता आ रही है । मेरा निवेदन है कि वाद-विवाद में कटुता लाकर हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। यदि आसाम के सदस्य इस वाद-विवाद में भाग न लें तो अच्छा ही है ।

कहा गया है कि यह सब भाषा विवाद के कारण हुआ है । यह गलत बात है । ये झगड़े तो साम्प्रदायवादी झगड़े हैं, इनके कारण बहुत गहरे ह। गड़बड़ी के मूल कारणों का पता लगाने के लिये सरकार को अदालती जांच की बात मान लेनी चाहिये । अन्यथा यह बात आगे चल कर करनी ही पड़ेगी । अख-

†मूल अंग्रेजी में ।

बारों ने भी इन घटनाओं का विवरण बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिया है । उनका भी कोई दोष नहीं क्योंकि उन्हें सरकार से कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही थी । कहीं-कहीं तो अखबारों में असली घटनाओं को प्रकाशित नहीं किया गया । दंगे के दिनों में आसाम के राज्यपाल भी राज्य से बाहर थे और मुख्य मन्त्री भी बीमार थे । अतः सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

अब सभा खाद्यान्न के मूल्यों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा शुरू करेगी ।

खाद्यान्नों के मूल्य*

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सभापति महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर में १० अगस्त, १९६० को माननीय मन्त्री ने बताया था कि चावल और खरीफ की फसल के अनाजों के भाव मई और जून १९६० में बढ़े हैं ।

माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछे थे । उन अनुपूरक प्रश्नों में से एक आपने भी खाद्यान्नों के खुदरा भावों के बारे में पूछा था । माननीय उपमंत्री ने बताया था कि थोक के भाव २६ रुपये प्रति मन हैं तथा खुदरा भाव ३० रुपये प्रतिमन हैं ।

मैंने उनसे एक और अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की कमी है तो उन्होंने बताया कि वहां पर गहूं की कोई कमी नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि हमने कमी के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछा है, प्रश्न तो हमारे सामने यही है कि मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं ।

मैंने माननीय मन्त्री से यह भी पूछा था कि मूल्यों के बढ़ जाने के कारण क्या सरकार खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार करने के बारे में विचार कर रही है । माननीय उपमंत्री ने जवाब दिया था कि जो कुछ सम्भव है किया जा रहा है । इसी के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वार पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय उपमंत्री ने बताया था कि अब अमरीका से समझौता हो जाने के कारण और गेहूं खरीदना अनावश्यक हो गया है ।

इसी प्रकार १६ दिसम्बर, १९५९ को राज्य-सभा में बोलते हुए श्री पाटिल ने बताया था कि खाद्यान्नों का राशनिंग करना और उन पर नियन्त्रण करना आपातकाल की बात है जो युद्ध के समय ही सम्भव हो सकती है ।

मैं खाद्यान्नों पर नियन्त्रण का पक्षपाती नहीं हूं परन्तु यह चाहता हूं कि इनके मूल्यों में कमी हो जाये । मैं सभा में १९५४ से १९५९ तक के मूल्यों के आंकड़े बताता हूं ।

वर्ष	अनाज	दालें	खाद्य वस्तुयें
१९५४ . .	८४.१	६५.७	९८.२
१९५५ . .	७२.८	५५.८	८५.४
१९५६ . .	९२.३	७८.२	९९.०
१९५७ .	१०१.७	८४.५	१०६.८
१९५८ . .	१०४.७	९४.०	११२.०
१९५९ . .	१०४.३	९९.८	११८.२

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री स० मो० बनर्जी]

इन आंकड़ों को देखने पर पता लगता है कि प्रति वर्ष मूल्य बढ़ रहे ह और यदि माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि राज्य व्यापार के द्वारा मूल्यों को स्थिर नहीं किया जा सकता है तो कृपा करके वह बतायें कि मूल्यों को किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है ।

हाल में ही मेरे मित्र श्री ब्रजराजसिंह ने पूछा था कि जब आपके पास गेहूं की कमी नहीं है तो आप 'जोनों' को समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को एक 'ज़ोन' क्यों नही बाना देते हैं । माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि ऐसा करना सम्भव होने पर वह एक क्षण की भी देर नहीं करेंगे । मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या अभी समय नहीं आया है और एक सुझाव देता हूं कि मंत्रिमण्डल इस समस्या पर विचार करे ।

मैं आशा करता हुं कि माननीय मंत्री स्पष्टतः हमें बतायेंगे कि खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये वह क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : अमरीका से भारत में बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात होने के कारण क्या सरकार अगली फसल पर गेहूं के निम्नतम मूल्य निर्धारित करना चाहती है और यदि हां, तो क्या वह मूल्य इस प्रकार के होंगे कि वर्ष में कभी भी प्रति सेर एक आने से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार ने सभी खाद्यान्न जोनों को समाप्त करके देश में एक जोन बनाने के बारे में निर्णय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश की वर्तमान परिस्थिति में, खाद्यान्न के मूल्यों को जिस स्तर पर रखा जा सकता है वह उसी स्तर पर हैं । मैं यह बता कर कि खाद्यान्न के आज के मूल्य, पिछले दस वर्षों की तुलना में अच्छे हैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि विकसित अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक है कि कुछ मूल्य बढ़ जायें । परन्तु इतना स्पष्ट है कि इस स्थिति पर ध्यान रख रहे हैं ।

मेरी आंकड़ों पर कभी भी आस्था नहीं रही है परन्तु इतना अवश्य समझता हूं कि इस समय संसार में कोई भी ऐसा प्रगतिशाली देश नहीं है जहां पर भारत की तुलना में मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई हो । प्रत्येक देश की विकसित अर्थ-व्यवस्था में ऐसा होना आवश्यक है क्योंकि किसानों को विकास के लिये ॠण दिया जाता है कि वह वस्तुयें खरीदें । परन्तु बाज़ार में वस्तुयें कम होने के कारण किसानों को नहीं मिल पाती तो वह उन को अधिक मूल्य पर खरीदने की कोशिश करते हैं । इस का असर खाद्यान्नों पर पड़ता है । और उन के भाव बढ़ जाते हैं ।

मेरा यह भी कहना है कि रुपये की कीमत घट गई है और इस की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है । इस की जिम्मेदारी निश्चित रूप से संसद् पर है क्योंकि घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने की स्वीकृति संसद् ने ही दी थी ।

मेरे मित्र ने बताया कि राज्य व्यापार के द्वारा मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं ने यह नहीं कहा ।

†**श्री स० का० पाटिल** : आप ने ऐसा नहीं कहा परन्तु फिर भी मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं जिस से अपनी बात साफ साफ कह सकूं । मैं बताना चाहता हूं कि देश में मूल्यों के बढ़ने का कारण राज्य-व्यापार ही है । मैं कुछ आंकड़े बताता हूं । जबकि हमारे देश में गेहूं की बहुतायत है और चावल

†मूल अंग्रेजी में

का भी पर्याप्त भांडार है तो स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य बढ़ जाने के कारण कुछ और ही हैं। बेचारे किसान ने तो खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन किया है तब भी मूल्य बढ़े तो इस के कारण तो कुछ और ही मालूम होते हैं।

उन कारणों को मैं बताता हूं। पंजाब तथा मध्य प्रदेश दो राज्यों को लीजिये। इन दोनों राज्यो में खाद्यान्नों की अधिकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं १४ रुपये अथवा १३ रुपये मन किसानों से खरीदा और उस को १७ रुपये प्रतिमन के मूल्य पर बेचा क्योंकि गेहूं की खरीददारी करने में सरकार का ३ रुपये प्रति मन खर्चा आया। मैं समझता हूं कि यदि सरकार किसान को बाज़ार में गेहूं बेचने देती तो उसे जो ३ रुपये मन व्यय करने पड़े वह न करने पड़ते और गेहूं के मूल्य न बढ़ते। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है और मुझे मालूम हुआ है कि पंजाब सरकार ने राज्य-व्यापार के द्वारा पिछले वर्ष ६० लाख रुपया कमाया था। इस से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में राज्य व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है तथा पूरे वर्ष तक ही मूल्य निश्चित करना कठिन है। यदि पूरे वर्ष के मूल्य निश्चित किये जायें तो सरकार को ऐसा करने के लिये कुछ धन व्यय करना पड़ेगा और यह धन उन को विक्रय मूल्यों द्वारा उगाहने की व्यस्वस्था करनी पड़ेगी। इस धन की उगाई उपभोक्ताओं से की जायेगी जिस के कारण मूल्य अधिक बढ़ जायेंगे। इसीलिये ऐसा करना भी बेकार ही होगा।

इस वर्ष पंजाब तथा मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने जो गेहूं खरीदा उस को वह बेच नहीं पाये हैं और हम से पूछ रहे हैं कि उस गेहूं को किस प्रकार बेचें।

जब मैं ने यह सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं का राज्य-व्यापार करना बन्द कर दिया है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योकि उन्हों ने अक्लमन्दी से काम लिया और राज्य व्यापार करने पर जो धन व्यय होता उसे बचा लिया।

एक और कठिनाई है। काश्मीर में गेहूं और चावल दोनों की कमी है। परन्तु वह पंजाब सरकार से १७ रुपये मन पर गेहूं खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि काश्मीर पहुंचते पहुंचते वह २० अथवा २२ रुपये मन हो जायेगा।

इस से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य व्यापार के द्वारा यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। राज्य व्यापार आपतकाल में सफल हो सकता है। परन्तु आप इस के द्वारा स्थिति पर काबू पाना चाहेंगे तो वह संभव नहीं है। राज्य व्यापार तभी सफल हो सकता है जब हम उस का उपयोग गिरते हुए मूल्यों को रोकने के लिये करें जिस से किसानों की हालत न बिगड़ पाये।

१९५४ में खाद्यान्नों के मूल्य कम हुए और किसानों को नुकसान हुआ। सरकार ने भी उन की कोई मदद नहीं की। मेरी ऐसी नीति नहीं है। मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि किसान को नुकसान हो।

मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आवश्यकता होने पर राज्य व्यापार किया जायेगा। परन्तु ऐसा राज्य व्यापार नहीं होगा जैसा मध्य प्रदेश तथा पंजाब सरकार ने किया है। वह अब मुझ से कह रहे हैं कि मैं १७ रुपये प्रति मन पर उन के गेहूं को खरीदूं और करोड़ों रुपयों की हानि उठाऊं। मैं ऐसा करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूं।

मैं 'ज़ोन' बनाये रखने का भी समर्थक नहीं हूं। क्योंकि यदि कोई राज्य अपने पसंद का गेहूं खरीदने के लिये कुछ अधिक मूल्य देना पसन्द करें तो खरीदे, हमें क्या आपत्ति हो सकती है?

[श्री स० का० पाटिल]

इसलिये यह कहना कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं ठीक नहीं है। थोड़े दिनों में नई फसल आ जायेगी और हालत ठीक हो जायगी। इस समय उड़ीसा, आन्ध्र, आसाम और मैसूर राज्यों में कुछ आपत्ति आई हुई है। परन्तु कभी कभी इन आपत्तियों से लाभ भी होता है जैसे बाढ़ के बाद भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों का सामना करने को पूरी तरह तैयार हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आन्ध्र, उड़ीसा आदि सरकारों ने ऐसा करने की मांग नहीं की तो माननीय सदस्य बतायें कि हम उन्हें ऐसा करने को क्यों बाध्य करें। स्पष्ट है कि सरकार ने मूल्यों को बढ़ने न देने के बारे में जो नीति अपनाई है वह ठीक है। १३ तारीख को हमारी बैठक हो रही है और मैं सभा को बता देना चाहता हुं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से जब मैं ने पूछा कि गेहूं के जोन को समाप्त कर दिया जाये तो उन्हों ने कहा कि गेहूं के साथ साथ चावल के जोनों को भी समाप्त कर देना चाहिये। मैं ने कहा कि यदि उन की ऐसी राय है तो मैं भी यही ठीक समझता हूं। इस से पता लग जाता है कि आज देश क्या चाहता है और हमें उसी के अनुसार काम करना है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १ सितम्बर, १९६०
१० भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२९९५–३०१७
तारांकित प्रश्न संख्या	
९६४ ठगों के दल	२९९५–९६
९६५ इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम .	२९९६–९७
९६६ पुर्नवित्त निगम	२९९७–९८
९६७ दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में पंचायतें .	२९९८–२९९९
९६८ हिन्दी आयोग	२९९९–३००३
९६९ विदेशी बैंकों में भारतीय खाते . . .	३००३–०६
९७० अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा .	३००६–०८
९७१ लोक सहायक सेना .	३००८–११
९७२ मध्य क्षेत्रीय परिषद् . . .	३०११–१२
९७३ विशेष पुनर्ग न यूनिट डिवीजन .	३०१२–१३
९७४ प्रतिरक्षा क्रय मिशन .	३०१३–१५
९७६ पुलिस द्वारा गश्त . . .	३०१५–१६
९८२ गोआ के निकट भारतीय क्षेत्र पर अज्ञात विमान .	३०१६–१७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
९ सर्वे आफ इंडिया, देहरादून के स्टोर्स आफिस में आग लगना .	३०१७–२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०२०–७६
तारांकित प्रश्न संख्या	
९७५ रूरकेला के लिये कच्चा माल . . .	३०२०
९७७ भारतीय वायु सेना का 'लिबरेटर' विमान .	३०२०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

९७८	जीवन बीमा निगम पालीसियां का व्ययगत होना	३०२०–२१
९७९	चर्चा और कोरमा खानें	३०२१
९८०	पाक-राजस्थान सीमा पर तस्कर व्यापार	३०२१
९८१	माध्यमिक स्कूलों की परीक्षा पद्धति में सुधार	३०२१–२२
९८३	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	३०२२
९८४	देशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली	३०२२–२३
९८५	हैलीकोप्टरों की खरीद	३०२३
९८६	ईसाई धर्म-प्रचारक	३०२३
९८७	कोरवा तापीय संयंत्र के लिये कोयला	३०२३
९८८	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में विदेशी	३०२४
९८९	पिछड़े हुए वर्गों को विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	३०२४
९९०	भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति, सागर	३०२४
९९१	इँधन की कमी	३०२५
९९२	रद्दी लोहे सम्बन्धी निर्यात-नीति	३०२५
९९३	निक्षेप बीमा योजना	३०२५–२६
९९४	दिल्ली में पुलिस पदाधिकारी	३०२६
९९५	प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी	३०२६
९९६	गरीबों को कानूनी सहायता	३०२७
९९७	कोरवा कोयला क्षेत्र	३०२७–२८
९९८	गुरुकुलों को अनुदान	३०२८
९९९	भिलाई में 'ग्रेन्युलेशन प्लांट'	३०२८
१०००	भारत –विद्या संस्था	३०२८
१००१	निकोबार द्वीप समूह में अध्यापक का काम करने वाले पुलिस कर्मचारी	३०२९
१००२	कोयले का यातायात	३०२९
१००३	हिमाचल प्रदेश में घूसखोरी	३०२९–३०
१००४	दिल्ली में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रात को गश्त	३०३०
१००५	रद्दी लोहे का निर्यात	३०३०–३१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१००६	कोयले का उपयोग	३०३१
१००७	सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम . . .	३०३१–३२
१००८	गैस टर्बाइन परियोजना . . .	३०३२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८५७	दिल्ली में कत्ल और छुरा घोंपने की घटनायें .	३०३२–३३
१८५८	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	३०३३–३४
२८५९	कोयले का निर्यात . . .	३०३४
१८६०	जोरहाट में सेना के सिपाही द्वारा हत्या . . .	३०३४
१८६१	इस्पात के कारखानों में उत्पादन	३०३५
१८६२	बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	३०३५
१८६३	हिमाचल प्रदेश में विभागीय पदोन्नति समितियां .	३०३६
१८६४	आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन .	३०३६
१८६५	नये खनिजों की खोज . .	३०३६–३७
१८६६	विश्वविद्यालयों में फिल्म्स क्लब .	३०३७
१८६७	चांदी की खानें . .	३०३७
१८६८	पंजाब में पुस्तकालय आन्दोलन . .	३०३७–३८
१८६९	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल . .	३०३८
१८७०	बम्बई विश्वविद्यालय को अनुदान . .	३०३८
१८७१	तांबे की खानें	३०३८–३९
१८७२	आर्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, लोदी कालोनी, नई दिल्ली	३०३९
१८७३	छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां . .	३०३९
१८७४	केन्द्रीय आयुध डिपो, छिवकी में सामान .	३०३९–४०
१८७५	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार .	३०४०
१८७६	दिल्ली नगर निगम के वित्तीय साधन .	३०४०–४१
१८७७	केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी असिस्टेंट . .	३०४१
१८७८	उड़ीसा में जूनियर टैक्नीकल स्कूल .	३०४१–४२
१८७९	उड़ीसा में पिछड़े वर्गों का कल्याण . . .	३०४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८८०	दुर्गापुर के लिये लौह-अयस्क	३०४२
१८८१	नौ-सेना अधिकारियों तथा नाविकों का प्रशिक्षण	३०४२–४३
१८८२	बस्तर जिले में सीसा अयस्क के निक्षेप	३०४३
१८८३	दिल्ली में गुन्डागर्दी	३०४३–४४
१८८४	दिल्ली में आत्म हत्या की घटनायें	३०४५
१८८५	दिल्ली में बाल-गृह	३०४५
१८८६	दिल्ली में महिलाओं के लिये चलता-फिरता जनता कालेज	३०४५–४६
१८८७	दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र	३०४६–४७
१८८८	उड़ीसा में दलित वर्ग संघ	३०४७
१८८९	कालिदास अकादमी, उज्जैन	३०४७–४८
१८९०	अल्प बचत योजनायें	३०४८
१८९१	बर्मा में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन	३०४८
१८९२	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बकाया मामले	३०४९
२८९३	नागा विद्रोही	३०४९
१८९४	दिल्ली में हरिजनों को सहायता	३०४९
१८९५	दिल्ली में क्षय रोगियों को हरिजन कल्याण बोर्ड की सहायता	३०४९–५०
१८९६	आन्ध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण	३०५०
१८९७	पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	३०५१
१८९८	इंडोचीन में भारतीय सैनिक दल	३०५१
१८९९	शाहबाद, बिहार में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड	३०५२
१९००	चंडीगढ छावनी	३०५२
१९०१	संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान द्वारा उम्मीदवारों का इंटरव्यू	३०५२
१९०२	संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय प्रबन्ध शिक्षा विशेषज्ञ	३०५३
१९०३	आई० सी० एस० पदाधिकारी	३०५३
१९०४	गंगानगर में भूतपूर्व सैनिक	३०५४
१९०५	बम्बई के मिल मालिकों पर बकाया कर की राशि	३०५४
१९०६	भारत के सहकारी पुरालेखविद का कार्यालय	३०५४–५५
१९०७	अन्दमान में सहकायक आयुक्त की नियुक्ति	३०५५–५६
१९०८	खोपरा और सुपारी की बिक्री	३०५६
१९०९	हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें	३०५६–५७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९१०	मद्य-निषेध	३०५७—५८
१९११	१८७३ के विनियमन १ का निरसन	३०५८
१९१२	स्पिति क्षेत्र में भोटी की शिक्षा	३०५८—५९
१९१३	जारडाइन हैण्डरसन लिमिटिड का मामला	३०५९
१९१४	प्रादेशिक सेना	३०५९—६०
१९१५	कलकत्ते में 'टेक्समेको' फैक्टरी में विस्फोट	३०६०
१९१६	"टैक्नीकल मैनपावर"	३०६०
१९१७	उड़ीसा में अस्पृश्यता निवारण	३०६१
१९१८	राज्य बैंक को शाखायें खोलना	३०६१
१९१९	हिन्दी शिक्षा योजना	३०६१—६२
१९२०	गृह-कार्य मंत्रालय में प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्र	३०६२—६३
१९२१	हिन्दी के काम के लिये कर्मचारी	३०६३
१९२२	कार्य का हिन्दी में किया जाना	३०६३—६४
१९२३	नेता जी के आन्दोलन सम्बन्धी सामग्री	३०६४
१९२४	"एम० वी० दया"	३०६४
१९२५	भारत का सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	३०६४—६५
१९२६	फरीदाबाद में बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	३०६५
१९२७	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	३०६५—६६
१९२८	प्रादेशिक प्रोद्यौगिकी संस्था, जमशेदपुर	३०६६
१९२९	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	३०६७
१९३०	तेल का मूल्य	३०६७
१९३१	विभागीय उपहार गृह (कैन्टीन)	३०६७—६८
१९३२	नये विश्वविद्यालय	३०६८—६९
१९३३	अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार दफ्तर	३०६९
१९३४	हथियार लाइसेंस	३०६९
१९३५	हिन्दी शब्दावली	३०७०
१९३६	मद्रास राज्य में महिला शिक्षकों के लिये मकान	३०७०—७१
१९३७	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	३०७१
१९३८	सागर छावनी	३०७२
१९३९	दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा	३०७२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१९४० दिल्ली के स्कूलों में फर्नीचर	३०७२
१९४१ मद्रास को सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का आवंटन	३०७३
१९४२ मद्रास राज्य में राजस्व	३०७३
१९४४ त्रिपुरा में पंजीकृत शरणार्थी	३०७३-७४
१९४५ त्रिपुरा में अग्निकांड	३०७४
१९४६ प्रादेशिक सेना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	३०७४-७५
१९४७ केन्द्रीय सचिवालय में कर्मचारी संघ	३०७५-७६
१९४८ भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	३०७६
१९४९ दिल्ली में आत्म हत्या के मामले	३०७६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३०७७—७९

(१) कोयला खान (संरक्षण और बचाव) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और बचाव) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९९० की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२० में प्रकाशित राजस्थान भारतीय औषधि बोर्ड आदेश, १९६०।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ९४६।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ९५३ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० ९५४ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(ख) जी० एस० आर० ९५५ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(ग) जी० एस० आर० ९५६ दिनांक २० अगस्त, १९६० ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६० की एक प्रति ।

(६) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० की धारा ९६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ९ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६३ में प्रकाशित बम्बई राज्य वित्त निगम (साधारण बैठक) नियम, १९६० की एक प्रति ।

राज्य-सभा से प्राप्त सन्देश ३०७९

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य-सभा ने २९ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ३ अगस्त, १९६० को पारित किये गये त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(दो) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा १८ अगस्त, १९६० को पारित किये गये निम्नलिखित विधेयकों के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है:—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६०

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३०७९

श्रीमती ईला पालचौधरी ने एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

असैनिक उड्डयन उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

विषय | पृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०७९—८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर, जो ३१-८-६० को प्रस्तुत किये गये थे, आगे चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री जगन्नाथ राव का स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और शेष प्रस्ताव अस्वीकृत। चर्चा समाप्त हुई।

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . . . ३०८९—३११५

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चार स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ३११५—१८

श्री स० मो० बनर्जी ने खाद्यान्न के मूल्यों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के १० अगस्त, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०/११ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

GIPND—LS III—360(Ai) LSD—5-10-60—135